लोक सभा

सोमवार,
२३ अगस्त, १९५४

वाद विवाद

(भाग १—प्रश्नोतर)

खंड ४, १९५४

(२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सप्तम सत्र, १९५४

(खंड ४, में अंक १ से अंक २५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

• विषय-सूची

(खंड ४—अंक १ से २५—२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

अंक १—सोमवार, २३ अगस्त, १९५४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७, १०, २४, ३१, ९, १२ से १७, १९, २१ से २३, २५ से २७, २९, ३२, ३३, ३५ . . १—४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६, ८, ११, १८, २०, २८, ३०, ३४ ४०–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से १७ . . . ४५–५६

अंक २—मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ३९, ४१ से ४३, ४५ से ५४, ५६ से ६०, ६२, ६३, ६५ से ७६, ७८ से ८१ और ८३ . . ५७–१०७

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ से ३ . . . . . १०७–११५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४०, ४४, ५५, ६१, ६४, ७७, ८२ और ८४ ११५–११९

अतारांकित प्रश्न संख्या १८ से ३८, ४० से ४३ . . ११९–१३८

अंक ३—बुधवार, २५ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५ से ९०, १२७, ९१ से ९३, ९५ से १०३, १०५ से ११२, १२४, ११३ और ११४ १३९-१८२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ १८३-१८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४, ११५ से १२३, १२५, १२६, १२८ से १४० १८५-१९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४ से ४८, ५० से ५९, ६१ और ६२ १९९-२१०

अंक ४— बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १४५, १४७ से १६१, १६३, १६५ से १७८ २११-२५६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ २५६-२५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६, १६२, १६४, १७९ से १८५ २५९-२६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३ से ७४ २६६-२७४

अंक ५— शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८६, २२७, १८७ से २०१, २०३, २०५, २१७, २०६, २०७, २०९ से २१६, २१८, २१९ . . . . २७५–३२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०२, २०४, २२०, २२१ से २२६, २२८ से २३० . . . . . ३२१–३२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५ से १०५ . . . . . ३२८–३५०

अंक ६— सोमवार, ३० अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २३१ से २३४, २३६, २३८ से २४८, २५० से २५२, २५५ से २५७, २५९, २६०, २६२ से २६५ . . ३५१–३९५

स्तम्भ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३५, २४९, २५४, २५८, २६१, २६६ से २७१, २७३, २७४, २७६, २७७ से २७९ . . . ३९५–४०६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६ से ११७, ११९ से १२८ . . . ४०६–४२४

अंक ७— मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८० से २८७, २८९ से ३०१, ३०३, ३०६, ३०८ से ३११, ३१३, ३१४, ३१६, ३१८ से ३२० . . ४२५–४७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८८, ३०२, ३०५, ३०७, ३१५, ३१७, ३२१ से ३३२ . . . . . ४७३–४८४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १५१ . . ४८४–४९८

अंक ८— बुधवार, १ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३३३, ३३५, ३३६, ३३८ से ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५८, ३४९, ३५०, ३५२, ३५३, ३५५, ३५६, ३५९, ३६०, ३६३ से ३६६, ३६९ से ३७२, ३७४, ३७६ से ३७८ . . ४९९–५४५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . . ५४५–५४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३३४, ३३७, ३४४, ३४६, ३५१, ३५४, ३५७, ३६१, ३६२, ३६७, ३६८, ३७३, ३७५, ३७९ से ३९५ . . . ५४८–५६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२ से १५६, १५९ से २०० . . . ५६५–५९८

अंक ९—बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६, ३९८ से ४०१, ४०३ से ४०७, ४०९, ४१०, ४१३ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२४, ४३८, ४२५ से ४२७, ४२९ से ४३२, ४३४, ४३५, ४३७, ५९९—६४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९७, ४०२, ४०८, ४११, ४१२, ४१६, ४१७, ४२१, से ४२३, ४२८, ४३३, ४३६, ४३९ से ४४१. . ६४३—६५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २०१ से २१९. . . . ६५१—६६२

अंक १०—शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४२, ४४५ से ४५६, ४५८, ४६० से ४६६, ४६८, ४७०, ४७१, ४७३, ४७५, ४७७ से ४८२ . . ६६३—७०७

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर—

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . ७०७—७११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न–संख्या ४४३, ४४४, ४५७, ४५९, ४६७, ४६९, ४७२, ४७४, ४७६, ४८३ से ५०४ . . . . ७११—७३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२० से २३३, २३४ से २४१ . . ७३०—७४४

अंक ११—सोमवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०७, ५०९ से ५१६, ५१९, से ५२१, ५२६, ५२८, ५२९, ५३३, ५३५, ५३९, ५४१, ५४७, ५४९, ५५०, ५५२ से ५५५, ५६१, ५६४, ५६५ ७४५-७९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५, ५०८, ५१७, ५१८, ५२२ से ५२५, ५२७, ५३० से ५३२, ५३४, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२ से ५४६, ५४८, ५५१, ५५६ से ५६०, ५६२, ५६३, ५६६ से ५७५ . . . . ७९०-८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २७४ . . . . ८१४-८३२

अंक १२—बृहस्पतिवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७७, ५७९, ५८१ से ५८४, ५८६, ५८७, ५८९, ५९१ से ५९४, ६०२, ६०८, ६०६, ६०७, ६०९, ६१२, ६३४, ६३५, ६१३ से ६१५, ६२० से ६२६, ६२८, ६२९, ६३३ . . . . ८३३-८७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७६, ५७८, ५८०, ५८५, ५८८, ५९०, ५९५ से ६०१, ६०३, ६०४, ६१०, ६१६ से ६१९, ६२४, ६२५, ६२७, ६३० से ६३२ . . ८७३-८८७

अतारांकित प्रश्न संख्या २७५ से २८२, २८४ से २९१, २९३ से २९५ . . . . . ८८८-८९८

अंक १३— बुधवार ८ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३६, ६३८ से ६४०, ६४२ से ६४७, ६५०, ६५१, ६५५ से ६५७, ६६१ से ६६४, ६६७, ६६८, ६७० से ६७५, ६७७, ६७८, ६८१ से ६८४ . . ८९९—९४३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . . ९४४—९४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४८, ६४९, ६५३, ६५४, ६५८ से ६६०, ६६५, ६६६, ६६९, ६७६, ८७९, ६८०, ६८५ से ६९७ . . . . . ९४६—९६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३२६ . . . ९६२—९८४

अंक १४—शुक्रवार १० सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९८, ७०० से ७०३, ७०५ से ७१६, ७२०, ७१७, ७२२, ७२४, ७२५, ७२७, ७३० से ७३३, ७३८, ७४०, ७४१, ७४४, ७६२, ७४५, ७४६ . . . ९८५—१०३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . १०३२—१०३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . .

तारांकित प्रश्न संख्या ६९९, ७०४, ७१८, ७१९, ७२१, ७२३, ७२६, ७२८, ७२९, ७३४ से ७३७, ७३९, ७४२, ७४३, ७४७, से ७६१, ७६३ से ७७१ . . . . १०३५—१०६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२७ से ३७९ . . . १०६२—१०९२

अंक १५—शनिवार, ११ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७२ से ७७५, ७७६ से ७८२, ७८५, ८०९, ७८८, ७८९, ७९१, ७९३, ७९५ से ७९७, ७९९ से ८०५, ८०७, ८११ से ८१३, ८१६ से ८१८ . . १०९३—११४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . . . . ११४०—११४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७५, ७८४, ७८६, ७८७, ७९२, ७९४ ७९८, ८०६, ८०८, ८१० . . . . . ११४३—११४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८० से ३९८, ४०१ से ४०३ . ११४९—११६६

अंक १६—सोमवार, १३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८१९, ८२१ से ८३१, ८३३ से ८३५, ८३७, ८३९, ८४२ से ८४४, ८४७ से ८५६, ८५८, ८६० से ८६२ ११६७—१२०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२०, ८३२, ८३६, ८३८, ८४०, ८४१, ८४५, ८४६, ८५७, ८६३ से ८७५ . . . १२१०—१२२३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४ से ४२९ . . . . १२२४—१२४२

अंक १७—मंगलवार, १४ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८७८ से ८८०, ८८३ से ८९०, ८९२, ८९३, ८९६, ९०१ से ९०७, ९१०, ९११, ९११ क, ९१२ से ९१५, ९१७, ९१९, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६, ८७७ १२४३—१२८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७६, ८८१, ८८२, ८९१, ८९४, ८९५, ८९७ से ९००, ९०८, ९०९, ९१८, ९२१, ९२२, ९२५ . १२८६—१२९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३० से ४[illegible] . . . . १२९४—१३१४

अंक १८—बुधवार, १५ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२८, ९३०, ९३२ से ९४०, ९४४, ९४८ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४ और ९६५ . . . १३१५—१३५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२७, ९२९, ९३२, ९४१ से ९४३, ९४६, ९४७, ९६३, ९६६ से ९७९, ९८१ से ९८६, ७८३, ७९०, ८१४ और ८१५ . . . . . . १३५९—१३७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६३ से ४८५, ४८७ और ४८८ . १३७६—१३९२

अंक १९—बृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८७, ९९० से ९९६, ९९८, ९९९, १००२ से १००४, १०३६, १००५ से १००८, १०१०, १०१३, १०१६ से १०२५, १०२७ से १०२९ १३९३—१४४२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ११ १४४२—१४४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८८, ९८९, ९९७, १०००, १००९, १०११, १०१२, १०१४, १०१५, १०२६, १०३० से १०३५, १०३७ से १०४३ . . १४४६—१४६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८९ से ५११ १४६२—१४७८

अंक २०—शुक्रवार, १७ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४८, १०४६ से १०५५, १०५७ से १०६०, १०६२ से १०६४, १०६७, १०६८, १०७१ से १०७८, १०८० से १०८५ . . . . . १५७९—१५२४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . १५२४—१५२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५, १०५६, १०६३, १०६५, १०६६, १०७०, १०७६, १०८६ से ११०५ . . . . १५२७—१५४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१२ से ५४६ . . १५४२—१५६६

———

अंक २१—सोमवार, २० सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०६ से १११०, १११२, १११४, ११२२, ११२४ से ११२६, ११२९, ११३१, ११३४, ११३६, ११३९ से ११४३, ११४५ से ११४७, ११४९, ११५०, ११३७, ११२७, ११३५, ११२१, ११२०, ११३८, ११२८ १५६७–१६१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११३, १११५ से १११७, १११९, ११२३, ११३०, ११४४, ११४८ ... ... १६१४–१६१८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५४७ से ५६७ ... १६१९–१६३४

———

अंक २२—मंगलवार, २१ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५१ से ११५३, ११५५, ११५७, ११५८, ११६०, ११६१, ११६३, ११६७ से ११७०, ११७३, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९ से ११८७, ११८९ से ११९१, ११९४, ११९५, ११९८, ११९९, १२०१, १२०३ तथा ११५४ . . . १६३५–१६८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . . . १६८४–१६८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ११५६, ११५९, ११६२, ११६४, ११६५, ११६६, ११७१, ११७२, ११७५, ११७८, ११८८, ११९२, ११९३, ११९६, ११९७, १२००, १२०२ तथा १२०४ . . . १६८७–१६९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५९३ . १६९७–१७१४

अंक २३—बुधवार, २२ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०६, १२०९, १२१०, १२१५, १२१७, १२१९, १२२०, १२२३ से १२२६, १२२८ से १२३०, १२३१ से १२३९, १२४१ से १२४५, १२४७ से १२४९, १२५१ से १२५३, १२५५ १२५७, १२५९ . . . . . १७१५—१७६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . १७६१--१७६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०५, १२०७, १२०८, १२११, १२१३ से १२१४, १२१६, १२१८, १२२१, १२२२, १२२७, १२३१, १२४०, १२४६, १२५०, १२५४, १२५६, १२५८, १२६० . . १७६४—१७७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९४ से ६४८ . . . . १७७६—१८०८

अंक २४—बृहस्पतिवार, २३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६१, १२६३ से १२७०, १२७२, १२७६, १२७७, १२७९, १२८०, १२८४, १२८६, १२८८, १२८९, १२९१ से १३००, १२७५, १२७४ और १११८ . . . . . १८०९—१८५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६२, १२७३, १२७८, १२८२ से १२८३, १२९० . . . . . १८५५—१८६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४९ से ६७९ . . . . १८६१—१८८४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१, १३०३, १३०५ से १३१०, १३१२ से १३१४, १३१६, १३१८, १३२०, १३२१, १३२३, १३२४, १३२६, १३२८, १३३०, १३३१, १३३३ से १३३६, १३३८ से १३४१, १३४३, १३४४ . . . . . १८८५—१९३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०२, १३०४, १३११, १३१५, १३१७, १३१९ १३२२, १३२९, १३३२, १३३७, १३४२ १९३३—१९३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७०६ ७०८ से ७१४ १९३९—१९६०

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकरपुरी, सरदार तेजासिंह, (गुरदासपुर)
अग्रवाल, श्री श्रीमन्नारायण (वर्धा)
अग्रवाल, श्री होती लाल जिला (जालोन व जिला इटावा-पश्चिम व जिला झांसी—उत्तर)
अग्रवाल, श्री मुकन्दलाल (जिला पीलीभीत व जिला बरेली—पूर्व)

अचलसिंह, सेठ (जिला आगरा-पश्चिम)
अचलू, श्री सुकम् (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अचित राम, लाला (हिसार)
अच्युतन, श्री के० टी० (क्रेंगनूर)
अजित सिंह, श्री (कपूरथला—भटिंडा—रक्षित अनुसूचित जातियां)

अजित सिंह जी, जनरल (सिरोही-पाली)
अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)
अवदुल्ला भाई मुल्ला ताहिर अली मुल्ला (चांदा)

अब्दुस्सत्तार, श्री (कलना-कटवा)
अमजद अली, श्री (ग्वालपाडा-गारो पहाडियां)
अमीन, डा० इन्दुभाई बी० (बड़ोदा-पश्चिम)
अमृत कौर, राजकुमारी (मंडी-महासु)
अय्यंगार, श्री एम० अनन्तशयनम् (तिरुपति)
अय्युण्णि, श्री सी० आर (त्रिचूर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (चिंगलपट)
अस्थाना, श्री सीताराम (जिला आजमगढ—पश्चिम)

अहमद मुहीउद्दीन, श्री (हैदराबाद नगर)

आ

आजाद, मौलाना अबुल कलाम (जिला रामपुर व जिला बरेली—पश्चिम)
आजाद, श्री भागवत झा (पूर्निया व संथाल परगना)

आनन्द चन्द, श्री (बिलासपुर)
आन्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)
आल्वा, श्री जोक्वीम (कनारा)

इ

इब्राहीम, श्री ए० (रांची—उत्तर-पूर्व)
इलयापेरुमाल, श्री एल० (कडलूर—रक्षित-अनुसूचित जातियां)

ई

ईयाचरण श्री ईय्यानी (पोन्नानी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

उ

उइके, श्री एम० जी० (मंडला—जबलपुर दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित आदिमजातियां)
उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (जिला प्रतापगढ—पूर्व)
उपाध्याय, श्री शिव दत्त (सतना)
उपाध्याय श्री शिव दयाल (जिला बांदा व जिला फतहपुर)

ए

एंथनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय)
एबनजिर, डा० एस० ए० (विकाराबाद)

क

कंदस्वामी, श्री एस० के० बेबी (तिरुचेंगोड)
कक्कन, श्री पी० (मदुरै—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कजरोलकर, श्री नारायण सदोवा (बम्बई नगर—उत्तर-रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कथम, श्री वीरेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
कमल सिंह, श्री (शाहाबाद उत्तर—पश्चिम)
करमरकर, श्री डी० पी० (रत्नागिरि-उत्तर)
कर्णीसिंह जी हिज हाईनेस महाराजा श्री बहादुर आफ बीकानेर (बीकानेर-चूरू)
कासलीवाल, श्री नेमिचन्द्र (कोटा-झालावाड़)
काचिरायर, श्री एन० डी० गोविन्द स्वामी (कडलूर)
काजमी, श्री सैयद मोहम्मद अहमद (जिला सुलतानपुर—उत्तर व जिला फैजाबाद—दक्षिण-पश्चिम)
काटजू, डा० कैलास नाथ (मन्दसौर)
कानूनगो श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)
कामले डा० देवराव नामदेव राव (नान्देड—रक्षित अनुसूचित जातियां)
काले, श्रीमती अनुसूयाबाई (नागपुर)
किदवई,श्री रफी अहमद (जिला बहराइच—पूर्व)
किरोलिकर, श्री वासुदेव श्रीधर (दुर्ग)
कुरील, श्री बैजनाथ (जिला प्रतापगढ—पश्चिम व जिला रायबरेली—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृपालानी, आचार्य जे० बी० (भागलपुर व पूर्निया)
कृपालानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)
कृष्ण, श्री एम० आर० (करीम नगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृष्णचन्द्र श्री (जिला मथुरा—पश्चिम)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (कोलार)
कृष्णमाचारी, श्री टी० टी० (मद्रास)
कृष्णस्वामी, डा० ए० (कांचीपुरम)
केलप्पन, श्री के० (पोन्नानी)
केशवैयंगार, श्री एन० (बंगलौर उत्तर)
केसकर, डा० बी० वी० (जिला सुल्तानपुर—दक्षिण)
कौट्टुकप्पल्ली, श्री जार्ज थामस (मीनाचिल)
कोले, श्री जगन्नाथ (बांकुरा)
कोसा, श्री मुचाकी (वस्तर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

ख

खरे, डा० एन० बी० (ग्वालियर)
खर्डेकर, श्री बी० एच० (कोल्हापुर व सतारा)
खान, श्री शाहनवाज (जिला मेरठ—उत्तर-पूर्व)
खान, श्री सादत अली (इब्राहीमपटनम)
खीमजी, श्री भवन जी ए० (कच्छ—पश्चिम)
खेडकर, श्री गोपालराव बाजीराव (बुलडाना-अकोला)
खोंगमेन, श्रीमती बी० (स्वायत्त जिले—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)
गणपति राम, श्री (जिला जौनपुर—पूर्व रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गांधी, श्री फीरोज (जिला प्रतापगढ—पश्चिम व जिला रायबरेली—पूर्व)
गांधी, श्री माणिकलाल मगनलाल (पंचमहल व बड़ौदा—पूर्व)
गांधी, श्री वी० बी० (बम्बई नगर—उत्तर)
गाडगील, श्री नरहर विष्णु (पूना—मध्य)
गाडिलिंगन गौड़, श्री (करनूल)
गिडवानी, श्री चोइथराम प्रतापराय (थाना)
गिरि , श्री वी० वी० (पातपटनम्)
गिरिराज शरणसिंह, श्री (भरतपुर, सवाई माधोपुर)

गुप्त, श्री बादशाह (जिला मैनपुरी—पूर्व)
गुप्त, श्री साधन चन्द्र (कलकत्ता—दक्षिण—पूर्व)
गुरुपादस्वामी, श्री एम० एस० (मैसूर)
गुलाम कादिर, खान (जम्मू तथा काश्मीर)
गुहा, श्री अरुण चन्द्र (शान्तिपुर)
गोपालन, श्री ए० के० (कन्नूर)
गोपी राम, श्री (मंडी महासु—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गोविंद दास, सेठ (मंडला-जबलपुर—दक्षिण)
गौहेन श्री चौखामून (नाम निर्देशित—आसाम आदिमजाति क्षेत्र)
गौडा, श्री टी० मादिया (बंगलौर—दक्षिण)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)
गौंडर, श्री के० शक्ति—वाडिवेल (पैरियकुलम)
गौंडर, श्री के० पेरियास्वामी (ईरोड)

घ

घोष, श्री अतुल्य (वर्दवान)
घोष, श्री सुरेन्द्र मोहन (मालदा)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)
चटर्जी, श्री एन० सी० (हुगली)
चटर्जी, श्री तुषार, (श्रीरामपुर)
चटर्जी, डा० सुशील रंजन (पश्चिम दिनाजपुर)
चट्टोपाध्याय, श्री हरीन्द्र नाथ (विजयवाडा)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (जिला एटा—मध्य)
चन्दा, श्री अनिल कुमार (वीरभूम)
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (तिरुवल्लूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चरक, श्री लक्ष्मणसिंह (जम्मू तथा काश्मीर)
चांडक, श्री बी० एल० (बेतूल)
चालिहा श्री बिमलाप्रसाद (शिवसागर—उत्तर लखीमपुर)
चाबदा, श्री अकबर (बनस्कंठा)
चिनारिया, श्री हीरा सिंह (महेन्द्रगढ)
चेट्टियार, श्री टी० एस० अविनाशिलिंगम् (तिरुप्पुर)
चेट्टियार, श्री बी० वी० आर० एन० ए० आर० नागप्पा (रामनाथपुरम्)
चौधरी, श्री गणेशीलाल (जिला शाहजहांपुर—उत्तर व खेरी—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री निकुंज बिहारी (घाटल)
चौधरी, श्री मुहम्मद शफी, (जम्मू तथा काश्मीर)
चौधरी, श्री रणवीर सिंह (रोहतक)
चौधरी, श्री रोहिणी कुमार (गौहाटी)
चौधरी, श्री सी० आर० (नरसरावपेट)
चौधरी श्री त्रिदिव कुमार (बहरमपुर)

ज

जगजीवन राम, श्री (शाहाबाद—दक्षिण—अनुसूचित जातियां)
जजवाडे, श्री रामराज (संथाल परगना व हजारीबाग)
जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
जयरामन, श्री ए० (तिंडीवनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जयश्री, श्रीमती राय जी (बम्बई उपनगर)
जयसूर्य, डा० एन० एम० (मेदक)
जांगडे, श्री रेशम लाल (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जाटववीर, डा० मानिक चन्द (भरतपुर-सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जेठन, श्री खेरवार (पालामऊ व हजारीबाग व रांची—रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां)
जेना, श्री कान्हू चरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री निरंजन (ढकानाल—पश्चिम कटक—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ज

जैन, श्री लक्ष्मीधर (जाजपुर-कयोंझर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जैदी, कर्नल बी० एच० (जिला हरदोई—उत्तर—पश्चिम व जिला फर्रुखाबाद—पूर्व व जिला शाहजहांपुर—दक्षिण)

जैन, श्री अजित प्रसाद (जिला सहारनपुर—पश्चिम व जिला मुजफफरनगर—उत्तर)

जैन, श्री नेमी शरण (जिला बिजनौर—दक्षिण)

जोगेन्द्रसिंह सरदार (जिला बहराइच—पश्चिम)

जोशी, श्री कृष्णाचार्य (यादगीर)

जोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)

जोशी, श्री नन्दलाल (इन्दौर)

जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नगिरि—दक्षिण)

जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर—राजगढ)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)

ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर-उत्तर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर—मध्य)

ट

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (जिला इलाहाबाद—पश्चिम)

टंडन, श्री शिवनारायण (कानपुर जिला—मध्य)

टेकचन्द, श्री (अम्बाला-शिमला)

ड

डाभी, श्री फूलसिंहजी बी० (कैरा—उत्तर)

डामर, श्री अमरसिंह साबजी (झाबआ—रक्षित—अनसूचित आदिम जातियां)

त

तिम्मय्या, श्री डोड्डा (कोलार—रक्षित—अनसूचित जातियां)

तिवारी, पंडित द्वारिका नाथ (सारन—दक्षिण)

तिवारी, पंडित बी० एल० (नीमाड)

तिवारी, सरदार राज भानु सिंह (रीवा)

तिवारी, श्री राम सहाय (छतरपुर-दतिया-टीकमगढ)

तिवारी, श्री वेंकटेशनारायण (जिला कानपुर—उत्तर व जिला फर्रुखाबाद—दक्षिण)

तीर्थ, स्वामी रामानन्द (गुलबर्गा)

तुलसीदास, श्री किलाचन्द (मेहसाना—पश्चिम)

तेलकीकर, श्री शंकर राव (नान्देड)

त्यागी, श्री महावीर (जिला देहरादून व जिला बिजनौर—उत्तर-पश्चिम व जिला सहारनपुर—पश्चिम)

त्रिपाठी, श्री कामाख्य प्रसाद (दरांग)

त्रिपाठी, श्री विश्वभर दयाल (जिला उन्नाव व जिला राय बरेली—पश्चिम व जिला हरदोई—दक्षिण-पूर्व)

त्रिपाठी, श्री हीरावल्लभ (जिला मुजफ्फरनगर—दक्षिण)

त्रिभुवन नारायण सिंह, श्री (जिला बनारस—पूर्व)

त्रिवेदी, श्री उमाशंकर मूलजीभाई (चित्तौड़)

थ

थामस, श्री ए० एम० (एरणाकुलम)

थामस श्री ए० वी० (श्रीवैकुण्ठम्)

थिरानी, श्री जी० डी० (वारगढ)

थिरुकुरलार, श्री वी० मुनिस्वामी अवर्गल (तिंडीवनम्)

द

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम)

दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)

दत्त, श्री वीरेन (त्रिपुरा—पश्चिम)

दामोदरन, श्री नेत्तर पी० (टेल्लिचेरी)

दामोदरन, श्री जी० आर० (पोल्लाची)

दातार, श्री वलवंत नगेश (बेलगांव—उत्तर)

दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास श्री नयन तारा दास (मुंगेर सदर व जमुई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री बसन्त कुमार (कटाई)
दास, श्री बी० (जाजपुर-क्योझर)
दास, श्री बेलीराम (वारपेटा)
दास, डा० मनमोहन (बर्दवान—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री रामधनी (गया—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री रामानन्द (बैरकपुर)
दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम—दक्षिण)
दास, श्री सारंगधर (ढेंकानाल—पश्चिम कटक)
दास, श्री श्रीनारायण (दरभंगा—मध्य)
दिगम्बर सिंह, श्री (जिला एटा—पश्चिम व जिला मैनपुरी—पश्चिम व जिला मथुरा—पूर्व)
दिग्विजय नारायण सिंह, श्री (मुजफ्फरपुर—उत्तर-पूर्व)
दुबे, श्री उदयशंकर (जिला बस्ती—उत्तर)
दुबे, श्री मूलचन्द (जिला फर्रुखाबाद—उत्तर)
दुबे, श्री राजाराम गिरधरलाल (बीजापुर—उत्तर)
देव, श्री चण्डिकेश्वर शरणसिंह जू (सरगजा-रायगढ)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा—पूर्व)
देव, श्री सुरेशचन्द्र (कचार-लुशाई पहाडियां)
देव, एच० एच० महाराजा राजेन्द्र नारायण सिंह (कालाहांडी-बोलनगिर)
देवगम, श्री कान्हूराम (चैबस्सा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक—मध्य)
देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती—पश्चिम)
देशमुख, श्री चिन्तामण द्वारकानाथ (कोलाबा)
देशमुख, डा० पंजाबराव एस० (अमरावती—पूर्व)
देसाई, श्री कन्हैयालाल नानाभाई (सूरत)
देसाई, श्री खंडभाई कासन जी (हालर)
द्विवेदी, श्री एम० एल० (जिला हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री दशरथ प्रसाद (जिला गोरखपुर—मध्य)

ध

धूलेकर, श्री आर०बी० (जिला झांसी—दक्षिण)
धुसिया, श्री सोहन लाल (जिला बस्ती—मध्यपूर्व व जिला गोरखपुर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
धोलकिया, श्री गुलाब शंकर अमृतलाल (कच्छ—पूर्व)

न

नन्दा, श्री गुलजारी लाल (सबरकण्ठा)
नटवाडकर, श्री जयन्तराव गणपत (पश्चिम खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
नटेशन, श्री पी० (तिरुवल्लूर)
नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (सोरठ)
नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)
नम्बियार, श्री के० आनन्द (मयूरम्)
नरसिंहन्, श्री सी आर० (कृष्णगिरि)
नरसिंहम, श्री० एस० वी० एल० (गंटूर)
नानादास, श्री मंगलगिरि (आगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नायडू श्री नाला रेड्डी (राजामंद्री)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन् (क्विलोन व मावेलिक्करा)
नायर श्री वी० पी० (चिरयिन्कील)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (जिला गाडा—पश्चिम)
नायर, श्री सी० कृष्णन (बाह्य दिल्ली)
नास्कर, श्री पूर्नेन्दु शेखर (डायमंड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
निजलिंगप्पा, श्री एस० (चितलदुर्ग)
पेवटिया, श्री आर० पी० (जिला शाहजहांपुर—उत्तर व खेरी—पूर्व)

नसवी, श्री टी० आर० (धारवाड़--दक्षिण)
नेसामनी, श्री ए० (नागरकोइल)
नेहरू, श्रीमती उमा (जिला सीतापुर व जिला खेरी--पश्चिम)
नेहरू, श्री जवाहरलाल (जिला इलाहाबाद--पूर्व व जिला जौनपुर--पश्चिम)

प

पंडित, श्रीमती विजय लक्ष्मी (जिला लखनऊ-मध्य)
पटनायक, श्री उमा चरण (घुमसूर)
पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर--उत्तर)
पटेल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई (सूरत-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां)
पटेल, श्रीमती मणिबेन वल्लभभाई (कैरा--दक्षिण)
पटेल, श्री राजेश्वर (मुजफफरपुर--दरभंगा)
पन्त, श्री देवीदत्त (जिला अलमोड़ा-उत्तर--पूर्व)
पन्नालाल, श्री (जिला फैजाबाद-उत्तर-पश्चिम-रक्षित--अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री रुपाजी भावजी (पंचमहल व बड़ौदा--पूर्व--रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां)
परांजपे, श्री आर० जी० (भीर)
परागीलाल, चौधरी (जिला सीतापुर व जिला खेरी--पश्चिम-रक्षित-अनुसूचित जातियां)
पवार, श्री वैंकटराव पिराजीराव (दक्षिणसतारा)
पांडे, डा० नटवर (सम्बलपुर)
पांडे, श्री सी० डी० (जिला नैनीताल व जिला अलमोड़ा-दक्षिण-पश्चिम व जिला बरेली-उत्तर)
पाटस्कर, श्री हरि विनायक (जलगांव)
पाटिल, श्री पी० आर० कानावडे (अहमदनगर-उत्तर)
पाटिल, श्री शंकरगौड़ वीरगौड़ (बेलगांव--दक्षिण)
पाटिल, श्री एस० के० (बम्बई नगर-दक्षिण)
पारिख, डा० जयंतीलाल नरभेराम (जालावाड़)
पारिख, श्री शान्तिलाल गिरधारीलाल (मेहसाना--पूर्व)
पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री पी० टी० थानू (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री पी० टी० (आल्लेप्पि)
पोकर साहब, जनाब बी० (मलप्पुरम्)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

फ

फोतेदार, पंडित शिवनारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

ब

बंसल, श्री घमंडी लाल (झज्जर-रेवाड़ी)
बदन सिंह, चोधरी (जिला बदायं--पश्चिम)
बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल--रक्षित-अनुसूचित जातियां)
बरुआ, श्री देवकान्त (नौगांव)
बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)
बसु, श्री ए० के० (उत्तर बंगाल)
बसु, श्री कमलकुमार (डायमंड हार्बर)
बहादुर सिंह, श्री (फिरोजपुर--लुधियाना--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
बागडी, श्री मगन लाल (महासमुन्द)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा-रायगढ-रक्षित--अनुसूचित जातियां)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर-झुझनू--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन, श्री एस० सी० (ईरोड-रक्षित--अनुसूचित जातियां)
बाल सुब्रह्मण्यम, श्री एस० (मदुरै)
बाल्मीकि, श्री कन्हैयालाल (जिला बुलंदशहर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री सी० आर० (तुमकुर)
बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर--दक्षिण)

बीरबल सिंह, श्री (जिला जौनपुर—पूर्व)
बुचिकोटैय्या, श्री सनक (मसुलीपट्टनम्)
बूबराघस्वामी, श्री बी० (पैरम्बलूर)
बैनर्जी, श्री दुर्गाचरण (मिदनापुर-झाड़ग्राम)
बोगावत, श्री यू० आर० (अहमदनगर–दक्षिण)
बोरकर, श्री नाम अर्जुन (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बोस, श्री पी० सी० (मानभम—उत्तर)
बैरो, श्री ए० ई०, टी० (नामनिर्देशित—आंगल–भारतिय)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया—पूर्व)
ब्रन्ह, चौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा-गारो पहाडियां रक्षित—अनसूचित आदिम जातियां)

भ

भडारी, श्री दौलत मल (जयपुर)
भक्त दर्शन, श्री (जिला गढवाल—पूर्व व जिला मुरादाबाद—उत्तर–पूर्व)
भगत, श्री बी० आर० (पटना व शाहाबाद)
भटकर, श्री लक्ष्मण श्रावण (बुलडाना-अकोला—रक्षित अनसूचित जातियां)
भट्ट, श्री चन्द्रशंकर (भड़ौच)
भवानी सिंह, श्री (बाडमेड-जालौर)
भार्गव, पंडित ठाकुर दास (गुड़गांव)
भार्गव, पंडित मुकुट विहारीलाल(अजमेर-दक्षिण)
भारती, श्री गोस्वामी राजा सहदेव (यक्तमाल)
भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)
भीखाभाई श्री, (बांसवाड़ा-डूंगरपुर—रक्षित—अनुसूचित, आदिम जातियां)
भोई, श्री गिरधारी (कालाहांडी–बोलनगिर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
भोंसले, श्री जगन्नाथ राव कृष्णराव (रत्नागिरि—उत्तर)

म

मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा—रक्षित—अनुजातियां)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मथुरम डा० एडवर्ड पाल (तिरुचिरापल्ली)
मत्लय्या, श्री श्री निवास य० (दक्षिण कनारा-उत्तर)
मल्लूदोरा, श्री गाम (विशाखपटनम-रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मसुरिया दीन, श्री (जिला इलाहाबाद—पूर्व व जिला जौनपुर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महता, श्री बलवन्त सिंह (उदयपुर)
महताब, श्री हरेकृष्ण (कटक)
महाता, श्री भजहरि (मानभूम-दक्षिण व धालभूम)
महापात्र, श्री शिवनारायण सिंह (सुन्दरगढ—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
महेन्द्रनाथ सिंह, श्री (सारन—मध्य)
महोदय, श्री बैजनाथ (नीमार)
माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां)
माझी, श्री चैतन (मानभूम–दक्षिण व धालभूम-रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मात्तन श्री सी० पी० (तिरुवल्ला)
मायदेव, श्रीमती इन्दिरा ए० (पूना—दक्षिण)
मालवीय, श्री केशव देव (जिला गोंडा—पूर्व व जिला बस्ती—पश्चिम)
मालवीय, श्री मोतीलाल (छतरपूर-दतिया-टीकमगढ—रक्षित अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री भगु नन्दु (शाजापुर-राजगढ—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, पंडित चतुर नारायण (रायसेन)
मावलंकर, श्री जी० वी० (अहमदाबाद)
मिनीमाता, श्रीमती (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिश्र, श्री रघुबर दयाल (जिला बलन्दशहर)
मिश्र, श्री मथरा प्रसाद (मंगेर उत्तर-पश्चिम)

मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन (दरभंगा—उत्तर)
मिश्र, श्री सरयू प्रसाद (जिला देवरिया—दक्षिण)
मिश्र, पंडित सुरेशचन्द्र (मुंगेर—उत्तर-पूर्व)
मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर)
मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)
मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)
मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)
मिश्र, श्री विश्वेश्वर (गया—उत्तर)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व)
मुत्तुणे, श्री वाई० एम० (थाना—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मुत्तुकृष्णन्, श्री एम० (बैल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मुदलियार, श्री सी० रामस्वामी (कुम्बकोणम)
मुनिस्वामी, श्री एन० आर० (वान्दिबाश)
मुरली मनोहर, श्री (जिला बलिया—पूर्व)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (गंगानगर-झुंझनू)
मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पूर्निया—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मुसाफिर, श्री गुरुमख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद इसलामुद्दीन, श्री (पूर्निया—उत्तर-पूर्व)
हम्मद खदाबख्श, श्री (मुर्शीदाबाद)
हम्मद सईद मसूदी, मौलाना (जम्मू तथा काश्मीर)
मूर्ति, श्री बी० एस० (एलुरु)
मेनन, श्री के० ए० दामोदर (कोजिकोडे)
मेहता श्री अशोक (भंडारा)
मेहता, श्री बलवन्त राय गोपाल जी (गोहिलवाड़)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मैथ्यू प्रो० सी० पी० (कोट्टयम)
मैस्करीन, कुमारी एनी (त्रिवेन्द्रम्)
मोरे, श्री शकर शान्ताराम (शोलापुर)
मोरे श्री के० एल० (कोल्हापुर व सतारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रघुरामैया, श्री कोत्ता (तेनालि)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला बनारस—मध्य)
रघुवीर सहाय, श्री (जिला एटा—उत्तर-पूर्व व जिला बदायूं—पूर्व)

रघुवीर सिंह, चौधरी (जिला आगरा—पूर्व)
रजमी, श्री सैयदुल्ला खां (सिहोर)
रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)
रणबीर सिंह, चौधरी (रोहतक)
रणदमन सिंह, श्री (शाहडोल-सिद्धि—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

राउत, श्री भोला (सारन व चम्पारन—रक्षित अनुसूचित जातियां)
राघवाचारी, श्री के० एस० (पेनुकोंडा)
राघवैया, श्री पशुपति वेंकट (ओंगोल)
राचय्या, श्री एन० (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राज बहादुर, श्री (जयपुर-सवाई माधोपुर)
राजभोज, श्री पी० एन० (शोलापुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

राधारमण, श्री (दिल्ली नगर)
राने, श्री शिवराम रांगो, (भसावल)
रामचन्द्र, डा० डी० (वेल्लोर)

रामदास, श्री (होशियारपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामनारायण सिंह, बाबू (हजारीबाग—पश्चिम)
राम शरण, श्री (जिला मुरादाबाद—पश्चिम)
रामशेषय्या, श्री एन० (पार्वतीपुरम्)
राम सुभग सिंह, डा० (शाहाबाद—दक्षिण)
राम स्वामी, श्री एम० डी० (अरुपुक्कोटै)
रामस्वामी, श्री एस० वी० (सैलम)
रामस्वामी, श्री पी० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

र

रामानन्द शास्त्री, स्वामी (जिला उन्नाव व जिला रायबरेली--पश्चिम व जिला हरदोई--दक्षिण-पूर्व-रक्षित-अनुसूचित जातियां)
राय, श्री पतिराम (बसिरहाट--रक्षित--अनुसूचि जातियां)
राय, श्री विश्वनाथ (जिला देवरिया-पश्चिम)
राय, डा० सत्यवान (उलुबेरिया)
राय, श्री कोन्द्र मुव्वा(एलुरु, रक्षित-अनुसूचित जातियां)
राय, श्री काडियाला गोपाल (गुडिवाडा)
राव, दीवान राघवेन्द्र श्रीनिवास (उस्मानाबाद)
राव, श्री पेंड्याल राघव (वारंगल)
राव, श्री पी० मुव्वा (नौरंगपुर)
राव, श्री वी० शिवा (दक्षिण कनाडा-दक्षिण)
राव, श्री कैनेटी मोहन (राजामंद्री--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
राव, श्री वी० राजगोपाल (श्री काकुलम्)
राव, डा० बी रामा (काकिनाडा)
राव, श्री टी० बी० विट्ठल (खम्मम)
राव, श्री रायासम शेषगिरि (नन्दयाल)
रिचर्डसन राइट रेवेरैंड जान(नाम निर्देशित-अण्डमान तथा निकोबर द्वीप)
रिशांग किशिंग, श्री (बाह्य मनीपुर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
रूपनारायण, श्री (जिला मिर्जापुर व जिला बनारस--पश्चिम-रक्षित-अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कडपा)
रेड्डी श्री के० जनार्दन (महबूबनगर)
रेड्डी, श्री बद्दम येल्ला (करीमनगर)
रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)
रेड्डी श्री वी० रामचन्द्र (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री टी० एन० विश्वनाथ (चित्तूर)

ल

लंका सुन्दरम्, डा० (विशाखपटनम्)
ललनजी श्री(जिलाफैजाबाद-उत्तर-पश्चिम)
लक्ष्मय्या, श्री पैडी (अनन्तपुर)
लाल, श्री राम शंकर (जिला बस्ती--मध्यपूर्व व जिला गोरखपुर--पश्चिम)
लाल सिंह, सरदार (फिरोजपुर-लुधियाना)
लाश्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार-लुशाई पहाडियां--रक्षित---अनुसूचित जातियां)
लिंगम, श्री एन० एम० (कोयम्बटूर)
लेसराम जोगेश्वर सिंह, श्री (आन्तरिक मनीपुर)
लोटनराम,श्री (जिला जालौन व जिला इटावा--पश्चिम व जिला झांसी--उत्तर--रक्षित अनुसूचित जातियां)

व

वर्मा, श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई--उत्तर पश्चिम व जिला फर्रुखाबाद-पूर्व व जिला शाहजहांपुर--दक्षिण--रक्षित अनुसूचित जातियां)
वर्मा, श्री बी० बी० (चम्पारन--उत्तर)
वर्मा , श्री माणिक्य लाल (टोंक)
वर्मा, श्री राम जी (जिला देवरिया--पूर्व)
वल्लाथरास, श्री के० एम० (पुदुकोटे)
वाघमारे, श्री नारायण राव (परभणी)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (जालंधर)
विल्सन, श्री जे०एन० (जिला मिर्जापुर व जिला बनारस--पश्चिम)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ--पश्चिम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
वीरस्वामी, श्री वी० (मयुरम्--रक्षित-अनुसूचित जातियां)
वेंकटरामन, श्री आर० (तंजोर)
वेलायुधन,श्री आर०(क्विलोन व मावेलिक्करा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास (अहमदाबाद--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
वैष्णव, श्री हनुमन्तराव गणेशराव (अम्बड)
वोडयार, श्री के० जी० (शिमोगा)
व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकरपांडियन् श्री एम० (शंकरनायिनार कोविल)
शकुन्तला, श्रीमती (जिला गौंडा—पश्चिम)
शर्मा, श्री राधाचरण (मुरैना—भिण्ड)
शर्मा, श्री नन्दलाल (सीकर)
शर्मा, श्री खुशीराम (जिला मेरठ-पश्चिम)
शर्मा, पंडित कृष्णचन्द (जिला मेरठ–दक्षिण)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (होशियारपुर)
शर्मा, पंडित बालकृष्ण (जिला कानपुर-दक्षिण व जिला इटावा—पूर्व)
शास्त्री, पंडित अलगूराय (जिला आजमगढ़—पूर्व व जिला बलिया—पश्चिम)
शास्त्री, श्री भगवानदत्त (शाहडोल–सिद्धि)
शाह, श्री रायचन्द्र भाई एन० (छिंदवाडा)
शाह, हर हाईनेस राजमाता कमलेन्दुमति (जिला गढवाल—पश्चिम व जिला टिहरी व जिला बिजनौर—उत्तर)
शाह, श्री चिमनलाल चाकूभाई (गोहिलवाड-सोरठ)
शिवनंजप्पा, श्री एम० के० (मडया)
शिव, डा० एम० वी० गंगाधर (चित्तूर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)
शुक्ल, पंडित भगवतीचरण (दुर्ग–बस्तर)
शोभाराम, श्री (अलवर)

स

संगण्णा, श्री टी० (रायागढ-फुलबनी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
सक्सेना, श्री मोहनलाल (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी)
सत्यनाथन, श्री एन० (धर्मपुरी)
सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल–रक्षित अनुसूचित जातियां)
सतीशचन्द्र, श्री (जिला बरेली—दक्षिण)
सर्मा, श्री देवेश्वर (गोलाघाट,-जोरहाट)
सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)
सहाय, श्री श्यामनन्दन (मुजफ्फरपुर—मध्य)
सामन्त, श्री सतीशचन्द्र (तामलुक)
साहा, श्री मेघनाद (कलकत्ता–उत्तर-पश्चिम)
साहू, श्री भागवत (बालासोर)
साहू, श्री रामेश्वर (मुजफ्फरपुर व दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिंधल, श्री श्रीचन्द (जिला अलीगढ़)
सिंह, श्री अनिरुद्ध (दरभंगा—पूर्व)
सिंह, श्री आर० एन० (जिला गाजीपुर)
सिंह, डा० सत्यनारायण (सारन—पूर्व)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (गया—पश्चिम)
सिंह, सरदार इकबाल (फाजिल्का-सिरसा)
सिंह, श्री ठाकुर युगल किशोर (मुजफ्फरपुर–उत्तर-पश्चिम)
सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मंगेर सदर व जमई)
सिंहासन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर–दक्षिण)
सिद्धनंजप्पा, श्री एच० (हसन चिकमगलूर)
सिन्हा, श्री अवधेश्वर प्रसाद (मुजफ्फरपुर–पूर्व)
सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हजारी बाग–पूर्व)
सिन्हा, श्री एस० (पाटलिपुत्र)
सिन्हा, श्री कैलाशपति (पटना—मध्य)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हजारी-बाग व रांची)
सिन्हा, श्री झूलन (सारन—उत्तर)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना—पूर्व)
सिन्हा, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर—पूर्व)
सुन्दर लाल, श्री (जिला सहारनपुर—पश्चिम व जिला मुजफ्फरनगर—उत्तर रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सुब्रह्मण्यम्, श्री कन्दा (विजयनगरम्)
सुब्रह्मण्यम, श्री टेकूर (बेल्लारी)
सुरेशचन्द्र डा० (औरंगाबाद)
सूफी, मुहम्मद अकबर (जम्मू तथा काश्मीर)
सूर्य प्रसाद, श्री (मुरैना भिंड–रक्षित-अनुसूचित जातियां)
सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्निया—मध्य)
सेन, श्री राज चन्द्र (कोटा-बून्दी)

सेन, श्रीमती सुषमा (भागलपुर—दक्षिण)
सेवल, श्री ए० आर० (चम्बा सिरमूर)
सैय्यद अहमद, श्री (होशंगाबाद)
सैयद महमूद, डा० (चम्पारन—पूर्व)
सोधिया, श्री खूबचन्द (सागर)
सोमना, श्री एन० (कुर्ग)
सोमानी, श्री जी० डी० (नागौर-पाली)
स्नातक, श्री नरदेव (जिला अलीगढ—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कुष्टगी)
स्वामीनाथन, श्रीमती अम्मू (डिंडीगल)

ह

हजारिका, श्री जोगेन्द्रनाथ (डिब्रूगढ)
हरप्रसाद सिंह, श्री (जिला गाजिपुर—पश्चिम)
हरिमोहन, डा० (मानभूम—मउत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
हरिशंकर प्रसाद, श्री (जिला गोरखपुर—उत्तर)
हिफजुर रहमान, श्री एम० (जिला मुरादाबाद—मध्य)
हुक्म सिंह, सरदार (कपूरथला-भटिंडा)
हेडा, श्री एच० सी० (निजामाबाद)
हेम्ब्रोम, श्री लाल (सन्थाल परगना व हजारीबाग—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)
हैदर हुसैन, चौधरी (जिला गौंडा—उत्तर)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री जी० वी० मावलंकर

उपाध्यक्ष

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार

सभापति ताकिला

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री हरि विनायक पाटस्कर
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्रीमती बी० खोंगमेन
सरदार हुक्म सिंह
श्री उपेन्द्र नाथ वर्मन

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

प्राक्कलन समिति

श्री एच० वी० पाटस्कर (सभापति)
श्री कमल कुमार बसु
श्रीमती बी० खोंगमेन
श्री राधे लाल व्यास
श्री कोत्ता रघुरामैया
श्री बलवन्त राय गोपाल जी मेहता
श्री टी० मादिया गौडा
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री मोहन लाल सक्सेना
पंडित बाल कृष्ण शर्मा
डा० सैयद महमूद
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्री नित्यानन्द कानूनगो
श्री नाला रेड्डी नायडू
कुमारी एनी मैस्करीन

डा० राम सुभग सिंह
श्री सी० पी० मैथ्यू
डा० लंका सुन्दरम्
श्री एम० डी० रामस्वामी
श्री वी० बी० गांधी
श्री एम० आर० कृष्ण
श्री अहमद मुहीउद्दीन
श्री नटवर पांडे
श्री पी० एन० राजभोज
श्री के० केलप्पन

लोक लेखा समिति

श्री बी० दास (सभापति)
श्री त्रिभुवन नारायण सिंह
श्री रामानन्द दास
श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल
श्री श्रीनारायण दास
श्री वलवन्त सिंह मेहता
श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन
श्री खंडूभाई कासनजी देसाई
श्री अमरनाथ विद्यालंकार
श्री एस० वी० रामस्वामी
श्री उमाचरण पटनायक
श्री चोइथराम प्रतापराय गिडवानी
श्री वी० पी० नायर
श्री इन्दुभाई बी० अमीन
श्री यू० एम० त्रिवेदी
श्रीमती वायलेट आल्वा
दीवान चमनलाल
श्री के० एस० हैगड़े
श्री पी० एस० राज गोपाल नायडू
श्री राम प्रसाद ताम्ता
श्री मुहम्मद वलीउल्ला
श्री जे० बी० के० वल्लभराव

सदन-कार्य मंत्रणा समिति

श्री ज़ी० बी० मावलंकर (सभापति)
श्री एम० अनन्तशयनम अय्यंगार

श्री सत्य नारायण सिन्हा
श्री ए० एम० थामस
श्री नरहर विष्णु गाडगील
श्री देव कान्त बरुआ
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री मूलचन्द दुबे
श्रीमती उमा नेहरू
श्री हरि विनायक पाटस्कर
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्री बी० राम चन्द्र रेड्डी
श्री पी० टी० पुन्नूस
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी
डा० लंका सुन्दरम्

याचिका समिति

श्री कोत्ता रघुरामैया (सभापति)
श्री असीम कृष्ण दत्त
श्री सी० पी० मैथ्यू
श्री सोहनलाल धूसिया
श्री बेलीराम दास
श्री लीलाधर जोशी
श्री यू० आर० बोगावत
श्री जेठालाल हरिकृष्ण जोशी
श्री भोला राउत
श्री रेशमलाल जांगड़े
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री रामजी वर्मा
श्री पी० सुब्बाराव
श्री आनन्द चन्द
श्री पी० एन० राजभोज

विशेषाधिकार समिति

डा० कैलास नाथ काटजू (सभापति)
श्री सत्य नारायण सिन्हा
श्री ए० के० गोपालन
श्रीमती सुचेता कृपालानी

श्री सारंगधर दास
श्री बी० शिवाराव
श्री आर० वेंकटरामन
श्री राधे लाल व्यास
डा० सैय्यद महमूद

नियम समिति

श्री जी० वी० मावलंकर (सभापति)
श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री टेक चन्द
श्री सत्य नारायण सिन्हा
श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी
श्री एन० कशवैयंगार
पंडित अलगू राय शास्त्री
श्री ए० के० बसु
श्री शिवराम रांगो राने
डा० एन० एम० जयसूर्य
श्री एन० सी० चटर्जी
श्री भवानी सिंह
श्री के० के० बसु
श्री के० एस० राघवाचार्य

गृह-व्यवस्था समिति

श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या (सभापति)
श्री बीरबल सिंह
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री के० जनार्दन रेड्डी
श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन
श्री राधा चरण शर्मा
श्री हीरा सिंह चिनारिया
श्री एन० डी० गोविन्दस्वामी काचिरायर
श्री के० आनन्द नम्बियार
श्री राजेन्द्र सैन
श्री वाई० गाडिलिंगन गौड

पुस्तकालय समिति

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार (सभापति)
श्री एम० एल० द्विवेदी
श्रीमती सुचेता कृपलानी
श्री उमा चरण पटनायक
श्री एम० डी० जोशी
श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी
श्री बी० एन० तिवारी
श्री हृदयनाथ कुंजरू
डा० श्रीमती सीता परमानन्द
प्रो० आर० डी० सिंह दिनकर

अधीनस्थ विधान समिति

श्री हरि विनायक पाटस्कर (सभापति)
श्री एस० वी० रामस्वामी
श्री एन० एम० लिंगम
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री ए० इब्राहीम
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी
श्री एन० सी० चटर्जी
श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी
श्री तुलसीदास किलाचन्द
श्री हनुमन्तराव गणेशराव वैष्णव
श्री टेकचन्द
श्री गणपति राम
श्री नन्दलाल जोशी
श्री एस० सिन्हा
डा० ए० कृष्णस्वामी

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक सम्बन्धी समिति

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार (सभापति)
श्री नेमिचन्द्र कासलीवाल
श्री पी० नटेशन
श्री रघुनाथ सिंह
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन
श्री चोइथँराम प्रतापराय गिडवानी
डा० नटवर पांडे
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी
श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर
श्री गोस्वामी राजा सहदेव भारती
श्री नरेन्द्र पी० नथवानी
श्री सी० आर० बासप्पा
श्री बी० एच० खर्डेकर
श्री टी० बी० विट्ठलराव

आश्वासन समिति

श्रीमती सुचेता कृपालानी (सभापति)
श्री अनिरुद्ध सिन्हा
श्री देवकान्त बरुआ
श्री टेकूर सुब्रह्मण्यम्
श्री जसवन्त राज मेहता
डा० लंका सुन्दरम्
श्री राधाचरण शर्मा
श्री पूर्णेन्दुशेखर नास्कर
श्री उदयशंकर दुबे
श्री रामानन्द दास
श्री भूपेन्द्रनाथ मिश्र
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा
श्री नित्यानन्द कानूनगो
श्री वी० मुनिस्वामी अवल० थिरुकुरलार
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी

सामान्य वित्त से रेलवे वित्त प्रथक्करण समिति

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार (सभापति)
श्री सी० डी० देशमुख
श्री लाल बहादुर शास्त्री
श्री आर० वेंकटरामन्
श्री बसंत कुमार दास
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी
श्री रामसरण
श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी
सरदार लाल सिंह
श्री तुलसीदास किलाचन्द
श्री के० आनन्द नम्बियार
श्री आर० एम० देशमुख
श्री बी० सी० घोष
बाबू गोपीनाथ सिंह
श्री टी० वी० कमलस्वामी
श्री बी० एम० उबैदुल्ला साहब

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य तथा रक्षा मंत्री एवं अणुशक्ति विभाग के भार-साधक	श्री जवाहरलाल नेहरू ।
शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन एवं वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री	मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ।
संचार मंत्री	श्री जगजीवन राम
स्वास्थ्य मंत्री	राजकुमारी अमृत कौर
वित्त मंत्री	श्री चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख
योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री	श्री गुलज़ारी लाल नन्दा ।
गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री	डा० कैलाश नाथ काटजू ।
खाद्य तथा कृषि मंत्री	श्री रफ़ी अहमद किदवई ।
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री	श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ।
विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री	श्री सी० सी० बिस्वास ।
रेलवे तथा परिवहन मंत्री	श्री लाल बहादुर शास्त्री ।
निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री	सरदार स्वर्ण सिंह ।
श्रम मंत्री	श्री वी० वी० गिरि ।
उत्पादन मंत्री	श्री के० सी० रेड्डी ।
पुनर्वास मंत्री	श्री अजित प्रसाद जैन ।

मंत्री मंडल की कोटि के मंत्री (परन्तु मंत्रि-मंडल के सदस्य नहीं)

संसद्-कार्य मंत्री	श्री सत्य नारायण सिन्हा ।
रक्षा संगठन मंत्री	श्री महावीर त्यागी ।
सूचना तथा प्रसारण मंत्री	डा० बी० वी० केसकर ।
वाणिज्य मंत्री	श्री डी० पी० करमरकर ।
कृषि मंत्री	डा० पंजाबराव एस० देशमुख।

उपमंत्री

संचार उपमंत्री	श्री राजबहादुर
प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री	श्री के० डी० मालवीय ।
रक्षा उपमंत्री	सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया ।
गृह-कार्य उपमंत्री	श्री बलवन्त नगेश दातार।
श्रम उपमंत्री	श्री आबिद अली ।
वित्त उपमंत्री	श्री मणिलाल चतुरभाई शाह ।
पुनर्वास उपमंत्री	श्री जगन्नाथराव कृष्णराव भोंसले ।
रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री	श्री ओ० वी० अलगेशन ।
स्वास्थ्य उपमंत्री	श्रीमती एम० चन्द्रशेखर ।
वैदेशिक-कार्य उपमंत्री	श्री अनिल कुमार चन्दा ।
खाद्य तथा कृषि उपमंत्री	श्री एम० वी० कृष्णप्पा ।
सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री	श्री जयसुख लाल हाथी ।
रक्षा उपमंत्री	श्री सतीश चन्द्र ।
वित्त उपमंत्री	श्री अरुणचन्द्र गुह ।

लोक सभा वाद विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ४ प्रथम संसद् के सातवें सत्र का पहला दिन अंक १

लोक सभा

सोमवार, २३ अगस्त, १९५४

लोक-सभा सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** (श्री जी० वी० मावलंकर) पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जातीय भेद-भाव सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रीय आयोग

*१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका में जातीय भेद-भाव सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रीय जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर विचार कर लिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खान) : (क) संयुक्त राष्ट्रीय आयोग ने अपना पहला प्रतिवेदन महासभा को इसके १९५३ में हुये आठवें सत्र में प्रस्तुत किया था। आयोग २१ सितम्बर, १९५४ से आरम्भ होने वाले नवें सत्र में महासभा को एक और प्रतिवदन प्रस्तुत करेगा;

(ख) भारत सरकार ने आयोग के पहले प्रतिवेदन पर सम्यक् विचार किया था और इस पर संयक्त राष्ट्रीय महासभा के आठवें सत्र में भी चर्चा की गई थी ।

श्री डी० सी० शर्मा : दक्षिण अफ्रीका में जातीय भेद-भाव के विस्तार के सम्बन्ध में भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री सादत अली खान : निस्सन्देह, उचित कार्यवाही ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या एशियन-अरब गुट ने जातीय भेद-भाव की समस्या की सब शाखाओं तथा प्रशाखाओं का अध्ययन किया है और उन की इस विषय में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सादत अली खान : हां, श्रीमान्, मुझे यही कहना चाहिये ।

श्री डी० सी० शर्मा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त संघ द्वारा बनाय गये इस आयोग के साथ सहयोग करने से इन्कार कर दिया भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू) : माननीय सदस्य बड़े गहरे प्रश्न उठा रहे हैं जिन

का उत्तर एक प्रश्न के उत्तर में तो क्या एक लम्बे-चौड़े वाद-विवाद में भी नहीं दिया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न लेता हूं ।

सीमान्तक घटनायें

*२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि जून, १९५४ के तीसरे सप्ताह में पूर्वी पंजाब के सीमान्तस्थ पुलकंजरी नामक ग्राम में भारतीय तथा पाकिस्तानी पुलिस की गश्ती टुकड़ियों ने एक दूसरे पर गोली चलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो गोलियां कितने समय तक चलती रहीं ;

(ग) उस गोलीकाण्ड में कितने भारतीय हताहत हुये थे ; और

(घ) गोली चलाने का कारण क्या था ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (घ) . एक विवरण, जिस में घटना का वृत्तान्त दिया हुआ है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १]** ।

डा० राम सुभग सिंह : विवरण में यह बताया गया है कि यह घटना पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के भारतीय प्रदेश के अतिक्रमण के प्रयत्न के फलस्वरूप हुई थी । क्या इस घटना के पश्चात् दोनों पक्षों ने इस उपद्रव के कारण को समाप्त करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्री अनिल के० चन्दा : यथास्थिति रखी जा रही है ।

डा० राम सुभग सिंह : जिस पाकिस्तानी पुलिस ने भारतीय प्रदेश का अतिक्रमण किया था क्या वह अब पाकिस्तानी प्रदेश में वापस चली गई है ?

श्री अनिल के० चन्दा : भूमि पर हमारा अधिकार था । यह अब भी हमारे अधिकार में है ।

श्री एस० एन० दास : कुछ पदाधिकारियों ने दोनों ओर अनुसन्धान किया था । जिन पदाधिकारियों ने उस प्रदेश में अनुसन्धान तथा उस का सर्वेक्षण किया था उन के प्रतिवेदन में क्या लिखा था ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमारे पदाधिकारियों ने हमें अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और इसके आधार पर हम ने पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया था ।

कपड़े के कारखानों का बन्द होना

*३. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद और लखनऊ के लगभग १२ कपड़े के कारखानों के बन्द होने के सम्बन्ध में उत्तर भारतीय वाणिज्य संघ की ओर से जो स्मरण-पत्र प्रस्तुत किया गया था उस पर सरकार ने क्या विनिश्चय किया है ;

(ख) इन कारखानों के बन्द होने के क्या कारण हैं ;

(ग) इन कारखानों को पुनः चाल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) इन कारखानों पर विभिन्न प्रकार के कपड़े के उत्पादन पर लगाये गये निर्बंधनों में किस हद तक छूट दे दी गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) माननीय सदस्य

ने जिस स्मरण पत्र का उल्लेख किया है वह प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) से (घ) . प्रश्न नहीं उठते ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या सरकार इन मिलों को मितव्ययता से चलवाने के लिये कोई प्रयत्न कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पहली बात तो यह है कि बारह कपड़ा मिलें बन्द नहीं हुई हैं । उत्तर प्रदेश में कुल छै मिल बन्द हुई हैं । उस के बाद से उन में से एक पुनः चालू हो गई है । इन सब मिलों में पुरानी और घिसी हुई मशीनरी लगी हुई है । इनमें से कुछ में श्रमिकों के झगड़े हैं । कुछ के साथ मुकदमे बाज़ी चल रही है । में यह नहीं कह सकता कि उन पर बहुत अधिक राशि व्यय किये बिना हम उन्हें पुनः चालू कर भी सकेंगे ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या इन में से किसी मिल ने अच्छी मशीनरी लगाने के लिये सरकार से ऋण के लिये प्रार्थना की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री पुन्नूस : माननीय मंत्री ने कहा था कि वे हमें तथ्य बताने में असमर्थ हैं । क्या हम यह समझें कि उन्होंने इन मिलों के बन्द होने के सम्बन्ध में अथवा वहां जो कुछ हो रहा है उस के सम्बन्ध में पूछ-ताछ नहीं की है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे समझ नहीं आता कि मैं कौन से तथ्य नहीं बता सका । मुझे जो तथ्य ज्ञात थे वे मैं ने बतला दिये हैं ।

सीमा सम्बन्धी विवाद

*४. **श्री एस० एन० दास**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच पश्चिमी सीमा सम्बन्धी शेष विवाद तय हो गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इनके तय होने में क्या अड़चनें हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खान) : (क) जी नहीं । बातचीत अभी चल रही है ।

(ख) सीमा सम्बन्धी शेष विवादों के तय होने में विलम्ब का कारण अधिकतर रेडक्लिफ पंचाट को लागू करने में होने वाली कठिनाइयां हैं जो कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच पंचाब (भारत), पंजाब (पाकिस्तान) की सीमा पर स्थित कुछ क्षेत्रों के सम्बन्ध में पंचाट के निर्वचन के बारे में मत-भेद के कारण उत्पन्न हुई हैं । दिसम्बर, १९४८ के भारत-पाकिस्तान करार के अनुसार पूर्वी तथा पश्चिमी पंजाब के वित्तीय आयुक्तों को इन विवादों की परीक्षा करने और भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों से सर्वसम्मत सिफारिशें करने का काम सौंपा गया है । वित्तीय आयुक्तों की बैठकें अभी जारी हैं ।

श्री एस० एन० दास: जो बातचीत चल रही थी क्या उसमें हाल के मासों में किसी प्रकार से कोई बाधा पड़ी है ? यदि हां. तो इसके क्या कारण थे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इन की संख्या बहुत अधिक है । मेरे विचार में मेरे पास दस छोटे छोटे विवादों की एक सूची है । और भी हो सकते हैं । कभी कभी तो सौ वर्ग गज़, दो सौ वर्ग गज़ या कुछ एकड़ों की बात होती है, कभी कभी इससे कुछ अधिक होते हैं । इन में से कुछ तो समझौते से तय होने वाले हैं । मुझे समझ नहीं आता कि 'बाधा पड़ने' का मतभेद के कारण होने वाली बाधा के अतिरिक्त और क्या अर्थ है ।

श्री एस० एन० दास: मैं यह जानना चाहता था कि क्या इस काम के लिये नियुक्त किये गये वित्तीय आयुक्तों का कार्य उसी प्रकार निर्बाध रूप से चल रहा है जैसे कि चलना चाहिये था।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इसका उत्तर अभी दे चुका हूं।

काली मिर्च

*५. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत से निर्यात की जाने वाली काली मिर्च का अच्छा मूल्य प्राप्त कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) १९५३ के मई, जून और जुलाई मासों में तथा १९५४ के इन्हीं मासों में काली मिर्च का औसत निर्यात मूल्य क्या था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) काली मिर्च के सम्भरण पर भारत का एकाधिकार नहीं है और प्रचलित भाव अधिकांशतया मांग और सम्भरण के आर्थिक सिद्धान्त पर निर्भर करते हैं। तथापि सरकार इसकी स्थिति को, विशेष रूप से अपने निर्यात शुल्कों का इसके व्यापार पर प्रभाव देखने के लिये ध्यान से देखती रही है।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २**]।

श्री ए० के० गोपालन: क्या भारत सरकार ने एक दम बहुत भाव गिर जाने के समय उगाने वालों को, विशेष रूप से छोटे छोटे उगाने वालों को उचित मूल्य दिलवाने के लिये कोई कायवाही की है ?

श्री करमरकर: इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री वी० पी० नायर: विवरण से ज्ञात होता है कि जब कि जून, १९५३ में काली मिर्च का भाव लगभग ६८० रुपये था, किन्तु जून, १९५४ में यह केवल २६६ रुपये ही रह गया। क्या भाव में एक दम इतनी अधिक गिरावट का कारण काली मिर्च के निर्यात पर काली मिर्च उगाने वाले क्षेत्रों में कार्य करने वाले विदेशी सार्थों का एकमात्र नियंत्रण नहीं है ?

श्री करमरकर: जी नहीं, इस का कारण अधिकांशतया हमारे नियंत्रण के बाहर है।

श्री पुन्नूस: काली मिर्च पर प्रति टन कितना निर्यात शुल्क लिया जाता है ; पहले कितना लिया जाता था, और अब कितना है ?

श्री करमरकर : यह यथामूल्य ३० प्रतिशत और अधिकतम १५० रुपये प्रति हंड्रडवेट था। अब १२ मई, १९५४ से इसे घटा कर अधिकतम ६५ रुपये प्रति हंड्रडवेट कर दिया गया है।

श्री ए० एम० थामस: क्या यह सत्य है कि सरकार ने हाल ही में निर्यात शुल्क के सम्बन्ध में जिन रियायतों की घोषणा की है उन से उगाने वालों को किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं हुआ है ?

श्री करमरकर: अभी यह नहीं कहा जा सकता। उन्हें लाभ होने की आशा है और यदि उन्हें लाभ नहीं हुआ, तो इस के कारण मुख्यतया विश्व के कारण होंगे, क्योंकि जैसा कि मेरे माननीय मित्र जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि भारतीय काली मिर्च के साथ इण्डोनेशिया और सारवाक की विशेष रूप से गत कुछ वर्षों में बड़ी तीव्र प्रतिद्वन्द्विता रही है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० ७, सरदार हुक्म सिंह ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि प्रश्न सं० १०, २४ और ३१ भी इस के साथ ही ले लिये जायें ?

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री इस से सहमत हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं एक एक कर के उन सब का उत्तर देने को तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा ।

श्रीलंका में भारतीय

***७. सरदार हुक्म सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या श्रीलंका सरकार ने श्रीलंका में पंजीकृत भारतीय उद्भव के नागरिकों को संसदीय प्रतिनिधित्व देने के लिये प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों के बारे में कोई प्रस्थापनायें भेजी हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया श्रीलंका सरकार को भेज दी हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) और (ख) । जी हां । हमें उन की प्रस्थापनाओं की सूचना मिली थी और उन प्रस्थापनाओं के प्रति हम ने अपनी प्रतिक्रिया भी उन्हें भेज दी थीं ।

श्रीलंका में भारतीय

***१०. श्री ए० एम० थामस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) श्रीलंका में भारतीयों के बारे में किये गये भारत-श्रीलंका करार को श्रीलंका सरकार ने कहां तक क्रियान्वित किया है;

(ख) भारतीय तथा पाकिस्तानी नागरिकता अधिनियम के अधीन नागरिकों के पंजीकरण की क्या स्थिति है; और

(ग) भारत सरकार उन 'राज्यहीन व्यक्तियों' का क्या करेगी जिन्हें श्रीलंका सरकार मान्यता नहीं देगी ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) देहली करार के खंड ४ और ५ के उपबन्धों को लागू करने के लिये हाल ही में कुछ संवैधानिक संशोधन विधेयक श्रीलंका की संसद् में पुरःस्थापित किये गये थे और पारित किये गये थे : पारित किये गये अधिनियमों में सारे द्वीप के एक ही निर्वाचन-क्षेत्र में सब पंजीकृत मतदाताओं के एक पृथक निर्वाचक-मण्डल का और पृथक निर्वाचक-मंडल को १९६६ में किसी भी समय समाप्त करने का उपबन्ध किया गया है । उन निर्वाचन-क्षेत्रों में जहां पंजीकृत मतदाताओं की संख्या २५० से कम थी उन का नाम राष्ट्रीय पंजी में लिख लिया गया है । पंजीकृत मतदाताओं द्वारा निर्वाचन किये जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या चार निश्चित की गई है । देहली करार के अनुसार श्रीलंका सरकार लोगों को भारत के संविधान के अधीन भारतीय नागरिकों के रूप में पंजीयन कराने के लिये प्रोत्साहित करने के हेतु विशेष प्रलोभन देगी । अभी तक उस ने इस प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं दिया है, पंजीकरण और विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों के निबटाने में अभी तक निश्चित रूप से कोई शीघ्रता नहीं आई है ।

(ख) अगस्त १९५१ से जून १९५४ के अन्त तक कुल ३१,०९९ व्यक्तियों का पंजीयन हुआ है । किन्तु इस में पाकिस्तानियों का भी नाम मात्र प्रतिशतक है ।

(ग) भारतीय संविधान के अनुच्छेद ८ के अधीन राज्यहीन व्यक्ति यदि चाहें तो भारत के राष्ट्रजन बन सकते हैं, परन्तु यदि वे ऐसा न चाहें अथवा इस अनुच्छेद के उपबन्धों को पूरा न करते हों, तो भारत सरकार उन के प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकती ।

श्रीलंका में भारतीय

*२४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अब तक कितने भारतीयों को, श्री लंका की नागरिकता के अधिकार मिल चुके हैं ;

(ख) श्रीलंका के भारतीयों को यदि कोई राजनैतिक रियायतें अथवा विशेषाधिकार दिये गये हैं, तो वे क्या हैं; और

(ग) क्या श्री लंका में भारतीय कार्मिक संघों को मान्यता दी गई है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जून १९५४ की समाप्ति तक उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हों ने श्रीलंका की नागरिकता के अधिकार प्राप्त किये हैं ३१,०९९ हैं इस में पाकिस्तानियों का नगण्य प्रतिशतक भी है। केवल भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के पृथक आंकड़े प्राप्त नहीं हैं ।

(ख) शून्य ।

(ग) क्योंकि श्रीलंका में कोई भारतीय कार्मिक संघ नहीं है अतः यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्रीलंका में भारतीय

*३१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन अधिकांश श्री लंका निवासी भारतीयों को, जिन्हें सन् १९४९ के पूर्व ५ वर्ष लगातार रहने के आधार पर स्थायी निवास परमिट दिये गये थे, अब ये परमिट नहीं दिये जा रहे हैं ;

(ख) क्या ऐसे परमिट न देना भारत और श्रीलंका में हुए समझौते की शर्तों के अनुसार है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार उन्हें भारतीय नागरिकता के अधिकार नहीं देगी ;

(घ) यदि हां, तो क्या श्रीलंका की सरकार को यह बात बता दी गई थी ; और

(ङ) इस विषय में सरकार का क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य उपमन्त्री (श्री अनिल क० चन्दा) : (क) लगभग २०,००० भारतीयों को जिन के श्रीलंका में अस्थायी रूप से रहने के श्रीलंका सरकार द्वारा जारी किये गये परमिट समाप्त हो गये हैं उन्हें वापस भेजने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सम्बद्ध व्यक्ति निर्विवाद रूप से भारतीय नागरिक हैं अतः यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री ए० एम० थामस : क्या यह सत्य है कि श्रीलंका सरकार ने भारत-श्रीलंका करार के उपबन्धों को हमारी आशानुसार क्रियान्वित नहीं किया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी हां ।

डा० राम सुभग सिंह : प्रश्न ३१(क) के उत्तर में उपमंत्री जी ने कहा था कि श्रीलंका सरकार सम्बद्ध व्यक्तियों को वापस भारत भेजने का यत्न कर रही है । क्या भारत सरकार की सलाह से उन्हें वापस भारत भेजा जायेगा या श्रीलंका सरकार अपनी इच्छा से ऐसा कर रही है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जैसा कि मैं ने अपने उत्तर में बताया वे भारतीय नागरिक हैं जिन्हें श्रीलंका में रहने के अस्थायी परमिट मिले हुए थे और उन के रहने की अवधि समाप्त हो चुकी है और अब श्रीलंका सरकार

अक्तूबर और नवम्बर में लगभग ५,००० लोगों को वापस भारत भेज रही है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह अधिनियम पारित होने पर श्रीलंका की संसद् में भारतीयों की संख्या घट कर चार हो जायेगी जब कि पहले ७ थी ।

श्री अनिल के० चन्दा : नये करार के अधीन श्री लंका की पंजिका के नये मतदाताओं को भारतीयों में से श्रीलंका की संसद् के लिये चार सदस्य निर्वाचित करने का अधिकार होगा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या यह सत्य है कि संवाद दाताओं से भेंट करते हुए श्री सी० सी० देसाई ने एक वक्तव्य में यह कहा था कि भारत-श्रीलंका करार तब तक शून्य समझा जायेगा जब तक श्रीलंका सरकार अपने संविधान में भारतीय उद्भव के निवासियों के बारे में संशोधन करने के लिये सहमत नहीं हो जाती और यदि हां, तो क्या वे भारत सरकार की ओर से कोई नीति सम्बन्धी वक्तव्य दे रहे थे ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह बहुत लम्बा प्रश्न है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं दोहरा दूं ?

अध्यक्ष महोदय : सारा प्रश्न नहीं । वह तो फिर लम्बा ही होगा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं पूछ रही थी कि क्या भारतीय उच्चायुक्त, श्री सी० सी० देसाई ने एक वक्तव्य में कहा था कि यदि श्रीलंका के संविधान में भारतीय उद्भव के निवासियों के बारे में संशोधन नहीं किया गया तो भारत-श्रीलंका करार शून्य घोषित कर दिया जायेगा और यदि हां, तो क्या वे सरकार की ओर से कोई वक्तव्य दे रहे थे ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मुझे पता नहीं कि किसी ने कोई वक्तव्य दिया हो ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं इसे स्पष्ट कर दूं ?

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा का समय नहीं है । माननीय प्रधान मंत्री ने जानकारी दे दी है कि उन्हें उन के द्वारा दिये गये किसी वक्तव्य के बारे में पता नहीं है, बात यहां समाप्त हो जाती है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं यह समझूं .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : जो बीस हज़ार भारतीय श्रीलंका से हिन्दुस्तान वापस भेजे जा रहे हैं, वे सब कब तक यहां भारत में आ जायेंगे और जो सब से पहले आयेंगे वे क्यों आयेंगे और वे कौन सी ऐसी वजहें हैं जिन के कारण वे सब से बाद में भेजे जायेंगे, क्या इस विषय में श्रीलंका सरकार ने कुछ प्रकाश डाला है ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : जो सब से पीछे आयेंगे उसी वजह से आयेंगे जो सब से पहले आयेंगे ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : जिनके पास. . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । श्री डी० सी० शर्मा ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या इस समस्या को हल करने के लिये भारत और श्रीलंका में आगे और कोई बात चीत की जायेगी, और यदि हां, तो कब ?

श्री अनिल के० चन्दा : समय समय पर उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के बारे में श्रीलंका स्थित हमारा प्रतिनिधि वहां की सरकार से लगातार चर्चा करता रहता है

डा० एन० बी० खरे : क्या इस करार से श्रीलंका में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ गई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह तो अपनी अपनी राय का प्रश्न है ।

श्री राधा रमण : क्या इस समस्या को हल करने के सम्बन्ध में भारत सरकार ने कोई सुझाव दिये हैं और क्या श्रीलंका सरकार ने उन में से कुछ सुझाव स्वीकार किये हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : कुछ समय हुआ श्रीलंका सरकार के प्रतिनिधियों के साथ एक सम्मेलन हुआ था और उस चर्चा के परिणामस्वरूप कुछ करार किये गये थे ।

श्री ए० एम० थामस : श्रीलंका सरकार द्वारा अपनाई गई योजना के कारण कुल कितने व्यक्तियों के प्रत्यावर्तन का अनुमान है और क्या श्रीलंका सरकार ने न व्यक्तियों के लिये हाल ही में किन्हीं रियायतों की घोषणा की है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जैसा कि मैं ने पहले बताया हमारी जानकारी के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीलंका से लगभग २०,००० लोग प्रत्यावर्तित किये जायेंगे । रियायतों के बारे में सरकारी रूप से मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है, परन्तु आज के समाचार-पत्र में श्रीलंका का एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि कभी कभी भारत वापस आने और धन भेजने की दो रियायतें दी जायेंगी ।

श्री केलप्पन : क्या इन प्रत्यावर्तित लोगों के पुनर्वास के लिये सरकार के पास कोई प्रस्ताव है ?

श्री अनिल के० चन्दा : इन लोगों के पुनर्वास के बारे म मद्रास और त्रावनकोर की सरकारों से हम चर्चा कर रहे हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता था .....

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : उस प्रश्न के स्पष्टीकरण में जो मैं ने पूछा था ....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

नमक

*९. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने किस्म के खाने वाले नमक का उत्पादन किया जाता है ;

(ख) उन में से सब से अधिक कौन सा नमक कहां उत्पादित होता है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में होती रहने वाली नमक की कमी को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) मुख्यतः देश में तीन प्रकार के खाने वाले नमक का उत्पादन होता है, अर्थात्, आन्तर्भौम खारा (अन्तर्देशीय) नमक, समुद्री नमक तथा सेन्धा नमक ।

(ख) समुद्री नमक, जिन स्थानों में समुद्री नमक तैयार किया जाता है वे सौराष्ट्र, कच्छ, बम्बई, त्रावनकोर-कोचीन, मद्रास, आन्ध्र, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में हैं ।

(ग) उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में नमक की निरन्तर होने वाली कमी के सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई सूचना नहीं मिली । इस वर्ष मई में पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में नमक की कमी के सम्बन्ध में सूचना मिली थी और कमी को दूर करने के लिये तुरन्त कार्यवाही की गई थी ।

श्री आर० एन० सिंह : क्या मैं कारण जान सकता हूं कि बलिया जिले में ही नमक की कमी क्यों है जब कि दूसरे जिलों में नहीं है ?

श्री आर० जी० दुबे : जहां तक मुझे मालूम है ईस्टर्न यू० पी० के बलिया जिले के बारे में, वहां रेलवे ट्रान्सपोर्ट फैसिलिटीज की कमी है । इसी वजह से वहां यह कमी पैदा होती है ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि यह कमी कंट्रोल की वजह से है ?

श्री आर० जी० दुबे : कंट्रोल का सवाल यहां नहीं पैदा होता है । लेकिन मैं कह सकता हूं कि नामिनी सिस्टम के साथ साथ फ्री ट्रेड के शुरू करने के बारे में सही कदम उठाये जा रहे हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को यह विदित है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में यह कमी बिहार से चौर्यानयन द्वारा पूरी की जाती है ?

श्री आर० जी० दुबे : हमें पता नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

*१२. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) जून १९५४ के अन्त तक उत्तर प्रदेश के लिये कितने राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड नियत किये गये हैं ;

(ख) उन में से कितने इस समय काम कर रहे हैं; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के लिये कोई अतिरिक्त खण्ड नियत करने की सरकार के पास कोई प्रस्थापना है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) ४१ ।

(ग) जी हां । १९५४-५५ के लिये हाल ही में ३० राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड नियत किये गये हैं ।

चौ० रघुवीर सिंह : इस पर हुए व्यय की औसत क्या है ?

श्री हाथी : अक्तूबर से मार्च तक खण्डों के लिये कुल व्यय लगभग ९ लाख रुपये हुआ है ।

श्री एस० एन० दास : विभिन्न राज्यों को कितने राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड दिये गये हैं ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : उत्तर प्रदेश में जो नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस ब्लाक्स रखे गये हैं वे उत्तर प्रदेश सरकार की सलाह से रखे गये हैं या स्थानीय मनुष्यों से भी जांच की जाती है कि किसी जगह पर खोले जाने चाहियें या नहीं ?

श्री हाथी : सामान्यत: राज्य सरकारें यह निर्णय करती हैं कि किन स्थानों पर खण्ड होने चाहियें, परन्तु वह जनता की प्रतिक्रिया पर भी निर्भर करता है ।

श्री के० के० बसु : क्या ये राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड विभिन्न राज्यों के लिये राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर नियत किये जाते हैं अथवा जनसंख्या के आधार पर ?

श्री हाथी : ये केवल क्षेत्रफल अथवा जनसंख्या के आधार पर नहीं किये जाते यद्यपि इन का भी ध्यान रखा जाता है । जहां तक इस कार्यक्रम के प्रवर्तन का सम्बन्ध है, यह मुख्यत: लोगों के राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्य और उस के प्रति उत्साह पर निर्भर करता है ।

टेक्नीकल व्यक्तियों की उपलब्धि सम्बन्धी समिति

*१३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **सिंचाई तथा** विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि क्या यह सच है कि सरकार का नदी घाटी परियोजनाओं के निष्पादन के लिये टैक्नीकल व्यक्तियों की उपलब्धि के सम्बन्ध में जांच करने और उस पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये, शीघ्र ही एक समिति नियुक्त करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : हां, श्रीमान्। जो नदीघाटी परियोजनाएं चल रही हैं और जो अगले १५ वर्षों में चलाई जायेंगी उनको शीघ्र और कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिये आवश्यक विभिन्न श्रेणियों के टेक्नीकल व्यक्तियों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये भारत सरकार ने एक समिति बनाई है। समिति से कहा गया है कि वह ३१ दिसम्बर, १९५४ तक भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

श्री विभूति मिश्र : सरकार कौन से तात्कालिक कार्य कर रही है जिन से कि टैक्नीकल पर्सनेल की संख्या बढ़े ?

श्री हाथी : सरकार विभिन्न प्रकार के टैक्नीकल व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजनाओं पर विचार कर रही है। वस्तुतः इन में से एक योजना पहले ही लागू है।

श्री वी० पी० नायर : क्या भारत सरकार के पास टैक्नीकल अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों की एक राष्ट्रीय पंजिका रहती है और यदि हां, तो क्या इस पंजिका में नवीनतम जानकारी रखी जाती है ?

श्री हाथी : सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय के पास ऐसी एक पंजिका है परन्तु मैं कह नहीं सकता कि इस में नवीनतम जानकारी है अथवा नहीं। यह समिति आंकड़े आदि एकत्र करेगी।

श्री टी० एन० सिंह : भारत सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व टैक्नीकल व्यक्तियों की गणना की थी। क्या उस समय एकत्र किये गये आंकड़े किसी काम के नहीं निकले ?

श्री हाथी : यह बात नहीं कि वे किसी काम के नहीं निकले। परन्तु और नदी घाटी परियोजनाओं का ध्यान रखते हुए जो हम ने आरम्भ की हैं और इस तथ्य का ध्यान रखते हुए कि अगले कुछ वर्षों में हमारे पास और भी बड़े कार्यक्रम होंगे, इन आंकड़ों को उपयोग में लाया जायेगा।

श्री साधन गुप्त : इस समिति के सदस्य कौन कौन हैं ?

श्री हाथी : समिति के सदस्य ये हैं : श्री डब्ल्यू० एस० मेकेरेहेस–राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पूना, प्रधान; योजनाआयोग के श्री दातार, सदस्य; शिक्षा मंत्रालय के श्री चन्द्रमणी, सदस्य; केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के श्री रिपुदमन सिंह, सदस्य–सचिव।

चेक व्यापार प्रतिनिधि मंडल

***१४. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चेकोस्लोवाकिया के जिस व्यापार प्रतिनिधिमण्डल ने इस वर्ष मई-जून में भारत का दौरा किया था उस का मुख्य उद्देश्य क्या था ;

(ख) उन का हमारे देश के औद्योगिक विकास में किस प्रकार से सहायता करने का विचार है ;

(ग) कुछ समय पूर्व उन्हों ने हमें जो पूंजीगत वस्तुयें भेजी थीं, उन के सम्बन्ध में हमारा क्या अनुभव है ; और

(घ) वे अब हमें क्या वस्तुयें देना चाहते हैं और अन्य देशों की तुलना में उन की शर्तें कैसी हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (घ) । मई-जून, १९५४ में चेको-स्लोवाकिया के एक गैर-सरकारी व्यापार प्रतिनिधि मण्डल ने भारत का दौरा किया था ।

इस दौरे का मुख्य उद्देश्य संभवतः यह था कि पारस्परिक व्यापार के विकास के विचार से इस देश के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किये जायें । सरकार के पास इस सम्बन्ध में और कोई जानकारी नहीं है ।

आकाश वाणी के कार्यक्रम

***१५. श्री माधवी रेड्डी**: क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि देश में रेडियो सेटों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है, परन्तु आकाश वाणी के कार्यक्रम सुनने वालों की संख्या घट रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है अथवा उस का करन का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) यह सच है कि देश में रेडियो सेटों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है। माननीय सदस्य का यह मत आधार-रहित है कि सुनने वाले लोगों की संख्या घट रही है। मेरी जानकारी इस के विपरीत है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री माधव रेड्डी: यदि माननीय मंत्री की जानकारी इस के विपरीत है तो क्या कोई ऐसा ढंग है जिस से यह जाना जा सके कि आकाश वाणी के कार्यक्रम सुनने वालों की संख्या बढ़ रही है अथवा घट रही है ?

डा० कसकर : ऐसा कोई अचूक ढंग नहीं है जिस से यह जाना जा सके कि लोग किसी विशेष संस्था अर्थात्, आकाश वाणी या बी० बी० सी० के कार्यक्रमों को सुन रहे हैं अथवा नहीं । शहरी क्षत्रों में तो सामान्यतः यह होता है कि लोग न केवल अपने ही देश का रेडियो कार्यक्रम सुनना चाहते हैं वरन् अन्य देशों का भी कार्यक्रम सुनना चाहते है । वे मास्को, न्यूयार्क, लन्दन अथवा लंका का कार्यक्रम सुनना पसन्द करते हैं । वे संभवतः अन्य संस्थाओं के कार्यक्रम को भी सुनना पसन्द कर सकते हैं । तो भी हम ने अन्य संस्थाओं की तरह एक सुनने वालों के सम्बन्ध में गवेषणा करने वाली संस्था बनाई हुई है जो सुनने वालों की पसन्द और नापसन्द का नमूने के तौर पर सर्वेक्षण करने का प्रयत्न करती है और अपना मत देती है । हम ने इस देश में रेडियो सुनने वालों के सम्बन्ध में यूनेस्को द्वारा किये गये कतिपय नमूने के सवक्षण और उस सर्वेक्षण द्वारा जांच की थी जो बी० बी० सी० ने निजी तौर पर अपने उपयोग के लिये किया था, और उस जानकारी के आधार पर ही मैं ने यह वक्तव्य दिया है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या लोगों के लिये सस्ते रेडियो सेट बनाने के लिये सरकार की कोई प्रस्थापना है, ताकि अधिक रेडियो हो सकें ?

डा० केसकर : इस का सुनने से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, परन्तु मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि सुनने वालों की संख्या बढ़ाने के लिये सस्ते रेडियो सेटों का होना बहुत महत्वपूर्ण है । हमारी इस प्रश्न में रुचि है और यदि हम अब तक इसे कर नहीं सके तो इस का कारण यह था कि हमारी प्रसारण व्यवस्था इतनी दृढ़ नहीं थी कि हम सस्ते रेडियो सेट प्रयोग कर

सकते । हम आशा करते हैं कि अगले वर्ष जब हमारी प्रसारण व्यवस्था संतोषजनक रूप से दृढ़ हो जायेगी तो हम सस्ते रेडियो सेटों के निर्माण को प्रोन्माहन देंगे अथवा यह संभव न हुआ कि साधारण व्यापारी उन का निर्माण करें तो हम स्वयं सस्ते रेडयो सेटों को निर्माण करेंगे ।

श्री एम० डी० रामस्वामी : क्या यह सच है जहां तक संगीत के कार्यक्रमों का सम्बन्ध है सुनने वाले आकाश वाणी की अपेक्षा श्रीलंका रेडियो को अधिमान देते हैं ?

डा० केसकर : संभवतः मेरे मित्र और उन के मित्रों का यह मत है ।

कोसी नदी के नमूने

***१६. श्री वी० मिश्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् गवेषणा केन्द्र, पूना ने कोसी नदी के नमूनों पर प्रयोग पूरे कर लिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस के परिणाम क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). प्रयोग अभी किये जा रहे हैं ।

श्री ए० एम० थामस : क्या जो भारतीय इंजीनियर दल चीन गया था उस ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और क्या यह सच है कि अस्थायी रूप से कोसी नदी के किनारों को ऊंचा कर के उसे काबू में करने की कोई प्रस्थापना है ?

श्री हाथी : जो इंजीनियर दल चीन गया था उस ने प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ।

श्री श्यामनंदन सहाय : क्या माननीय मंत्री कृपया बतायेंगे कि ये प्रयोग कब तक पूरे होने की संभावना है ?

श्री हाथी : दो नमूनों पर प्रयोग पूरे हो चुके हैं । तीसरे पर अभी कुछ और समय लगेगा क्योंकि वह प्रयोग नदी पर बांध की रचना हो जाने के पश्चात् की स्थिति के सम्बन्ध में है ।

श्री श्यामनंदन सहाय : क्या कोसी में भीषण बाढ़ के कारण सरकार ने बाढ़ों की दिशा और उस से हुई क्षति का वास्तविक सर्वेक्षण से पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्री हाथी : वस्तुतः सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री वहां गये हुए हैं और आज वापस आ रहे हैं, अतः हमें बाढ़ के कारण हुई सारी क्षति का पूरा विवरण मिल जायेगा ।

श्री एस० एन० दास : क्या इन प्रयोगों के पूरा न होन के कारण कोसी परियोजना की वित्तीय मंजूरी में, जिस पर पहले सहमति दी जा चुकी, है देरी हो रही है ?

श्री हाथी : जी नहीं, उस का मंजूरी से कोई सम्बन्ध नहीं ।

भाखड़ा बांध (नींव)

***१७. श्री नवल प्रभाकर** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि भाखड़ा बांध की नींव अभी तक नहीं डाली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस की नींव में कंकरीट बिछाने के कार्य के कब तक आरम्भ होने की आशा है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) नवम्बर १९५५ ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो तिथि माननीय मंत्री ने बताई है वह योजना के अनुसार निश्चित समय के बाद की है या उस के पहले की ?

श्री हाथी : नवम्बर १९५५ की तिथि नवीनतम कार्यक्रम के अनुसार है । पहली वाली तिथि १९५४ की थी ।

डा० सत्यवंती : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो डाइवरशन टनल दूसरी बन रही है वह पूरी हो गई है या नहीं और वह कब खोली जायेगी ?

श्री हाथी : एक इस वर्ष खोल दी गई है । दूसरी १९५५ में खोली जायेगी ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि भाखड़ा डैम बनने में कितना समय और कितना रुपया लगेगा ?

श्री हाथी : बांध के १९६० में पूर्ण होने की संभावना है । नवीनतम प्राक्कलन लगभग १५२ करोड़ रुपये का है ।

पुनर्वास अधिकारियों का सम्मेलन

*१९. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के पुनर्वास अधिकारियों का एक सम्मेलन श्रीनगर में ५, ६, तथा ७ जून, १९५४ को हुआ था, तथा

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य निर्णय किये गये ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी हां । सम्मेलन ५ से ८ जून १९५४ तक श्रीनगर में हुआ था ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा के सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १ अनुबन्ध संख्या ३]**

श्री भागवत झा आज़ाद : सम्मेलन में किये गये निर्णयों में से कौन से निर्णय सरकार द्वारा अब तक कार्यान्वित किये गये हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : यह तो एक बहुत लम्बा प्रश्न है । वहां पर विचार की गई २२ बातों में से, लगभग नौ या दस के सम्बन्ध में निर्णय किया जा चुका है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या इस सम्मेलन ने मंत्रालय द्वारा किये गये काम की जांच की थी, और मंत्रालय द्वारा शरणार्थियों के पुनर्वास का कितना प्रतिशत भाग पूरा किया जा चुका है ?

श्री जे० के० भोंसले : यह बताना तो बहुत कठिन है, परन्तु जहां तक पुनर्वास का सम्बन्ध है, पश्चिम प्रदेश के अधिकतर विस्थापित व्यक्तियों को बसाया जा चुका है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या सम्मेलन में इस प्रस्ताव की चर्चा हुई थी कि निकट भविष्य में पुनर्वास मंत्रालय को समाप्त कर दिया जाये, तथा सम्मेलन द्वारा इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया ?

श्री जे० के० भोंसले : इस बात पर चर्चा हुई थी, परन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

विस्थापित व्यक्तियों की सम्पत्ति

*२१. **श्री अजित सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री पश्चिम पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों की अब तक प्राप्त हुई चल सम्पत्ति का कुल अनुमानित मूल्य बताने की कृपा करेंगे ।

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : चल सम्पत्ति समझौते के अधीन पश्चिम पाकिस्तान से कुछ चल सम्पत्ति जो मुख्यतया घरेलू सामान तथा निजी सामान के रूप में थी समय समय पर प्राप्त की गई है । परन्तु

उक्त सम्पत्ति के मूल्य का अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

श्री अजित सिंह : क्या मैं पश्चिम पाकिस्तान आये विस्थापित व्यक्तियों की कुल संख्या जान सकता हूं, और उन में से कितने व्यक्तियों के चल सम्पत्ति के दावे हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : यह आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु मैं कह सकता हूं कि १ जनवरी, १९५४ से १५ जुलाई, १९५४ तक लगभग ८८ परिवारों ने पाकिस्तान से अपना निजी सामान प्राप्त किया है ।

श्री गिडवानी : क्या पाकिस्तान में विस्थापित व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई कोई चल सम्पत्ति प्राप्त की गई है ?

श्री जे० के० भोंसले : जी हां । यह क्रम १९५० से जारी है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या यह तथ्य है कि कोई भी मूल्यवान चल सम्पत्ति प्राप्त नहीं की गई है, बल्कि केवल साधारण वस्तुयें ही प्राप्त की गई हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : लाकर्ज तथा अन्य रक्षित निक्षेपों के सामूहिक हस्तांतरण, अनिष्क्रान्त संयुक्त स्कन्ध समवायों की सम्पत्तियों के वापस किये जाने तथा जहां संयुक्त स्कन्ध समवायों की सम्पत्तियां सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई थीं उन के प्रतिकर की अदायगी के अतिरिक्त, अन्य वस्तुओं के भारत में लाने की अनुमति दी जा चुकी है ।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : यह सब मूल्यवान सम्पत्ति है और यह समझौते के कतिपय उपबन्धों के अधीन प्राप्त की गई है ।

पंडित एस० सी० मिश्र : मंत्री महोदय के इस कथन को दृष्टि में रखते हुए कि कुछ सम्पत्ति प्राप्त हुई थी क्या हम पाकिस्तान से प्राप्त हुई सम्पत्ति की मात्रा जान सकते हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : इस का उत्तर देना बहुत कठिन है ।

हारलिक्स फैक्टरी

*२२. **श्री बुचिकोटैय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में हारलिक्स फैक्टरी स्थापित करने के विषय में सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या फैक्टरी के लिये कोई स्थान विचाराधीन है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). हारलिक्स लिमिटेड आफ इंग्लैंड द्वारा निर्माण सम्बन्धी कोई निश्चित प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या सरकार को विदित है कि मैसूर की औद्योगिकीय (टैक्नोलोजीकल) संस्था में किये गये गवेषणा कार्य से लाभप्रद परिणाम प्राप्त हुए हैं और वित्तीय सहायता के अभाव में कोई देशी वस्तु तैयार नहीं की जा सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि प्रश्न पूछने के स्थान पर माननीय सदस्य जानकारी दे रहे हैं ।

श्री आर० के० चौधरी : क्या यह तथ्य है कि विदेशी समवायों द्वारा भारत में तैयार की गई वस्तुयें जैसे डीटोल इत्यादि, उन के अपने देश में उन के द्वारा तैयार की गई वस्तुओं की अपेक्षा बहुत घटिया प्रकार की होती हैं यदि ऐसी बात है तो इस प्रकार के उत्पादन को प्रोत्साहन देने से क्या लाभ है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री आर० के० चौधरी : मैं अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस प्रश्न की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि सरकार को कोई निश्चित या ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं । मैं जान सकता हूं कि क्या हारलिक्स के मालिकों ने स्वयं अथवा किसी भारतीय समवाय के साथ मिल कर भारत में हारलिक्स निर्माण करने का कोई संयंत्र स्थापित करने के विषय में सरकार से प्रार्थना की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार के पास केवल इतनी जानकारी है कि हारलिक्स कम्पनी वालों ने इस देश में हारलिक्स निर्माण करने की संभावना की जांच करने के लिये एक दल भेजा था ।

हिन्द-चीन

*२३. **श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत ने हिन्द-चीन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय विराम सन्धि निरीक्षणिक आयोग के सभापति के रूप में कार्य करना स्वीकार कर लिया है; तथा

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग के निर्देश पद क्या हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) तथा (ख). मैं सदन पटल पर एक विवरण रखता हूं, जिस में भाग (क) तथा (ख) के उत्तर दिये गये हैं ।

विवरण

२० जुलाई, १९५४ को जिनिवा में ह्वीट नाम, कम्बोडिया तथा लाओस के सम्बन्ध में दिये गये युद्ध समाप्ति सम्बन्धी समझौतों में समझौतों के उपबन्धों के लागू किये जाने का निरीक्षण करने के लिये ह्वीट नाम , कम्बोडिया तथा लाओस में से प्रत्येक देश में एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग स्थापित किये जाने का उपबन्ध किया गया था । यह निर्णय किया गया था कि अन्तर्राष्ट्रीय आयोग में कनाडा, पोलैण्ड तथा भारत के प्रतिनिधि होने चाहियें । अग्रेतर निर्णय यह किया गया था कि इन तीन देशों में से प्रत्येक के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग का सभापतित्व भारत के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना चाहिये ।

२. भारत सरकार ने जिनिवा सम्मेलन के सह-सभापति महोदय (श्री ईडन तथा श्री मोलोटोव) द्वारा इस कार्यभार को उठाने के लिये दिये गये निमंत्रण को स्वीकार कर लिया ।

३. अन्तर्राष्ट्रीय आयोगों के निर्देश-पदों तथा कार्यों को, ह्वीट नाम, कम्बोडिया तथा लाओस के सम्बन्ध में किये गये तीन युद्ध रोको समझौते में स्पष्ट किया गया है । घोषणाओं के साथ इन तीन समझौतों के पाठ सदन पटल पर रख दिये गये हैं । [पुस्तकालय में रखे गये । **देखिये संख्या** एस—२४६/५४]

४. हिन्द-चीन में युद्ध-समाप्ति के अन्तिम दिवस ११ अगस्त को ह्वीट नाम, कम्बोडिया तथा लाओस में अन्तर्राष्ट्रीय आयोग को स्थापित करने के लिये—आयोग के अन्य दो सदस्यों—कनाडा तथा पोलैण्ड के प्रतिनिधियों के परामर्श से आवश्यक प्रबन्ध करने के उद्देश्य से अगस्त के पहले सप्ताह में भारत सरकार द्वारा दिल्ली में एक प्रारम्भिक सम्मेलन बुलाया गया था । भारत सरकार ने फ्रांस, ह्वीट नाम, लाओस तथा कम्बोडिया के तीनों राज्यों , तथा ह्वीट नाम के प्रजातन्त्रीय गणराज्य को, हिन्द चीन में तीनों आयोगों द्वारा कार्य के समुचित ढंगसे चलाये जाने के निमित्त उपयुक्त प्रबन्ध करने में उन की सहायता तथा सहयोग

प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने प्रतिनिधि भेजने का निमंत्रण दिया था ।

५. चर्चा स्पष्ट तथा मित्रभाव से हुई थी और सब मामलों पर निर्णय सर्वसम्मति से किये गये थे । सम्मेलन के निर्णयों के अनुसार कनाडा, पोलैण्ड तथा भारत के प्रतिनिधियों का एक अग्रिम मिशन राष्ट्रमण्डलीय सचिव श्री सुबीमल दत्त के सभापतित्व में, ७ अगस्त, १९५४ को हिन्द चीन को गया । उस के पश्चात् हम सूचना मिली है कि इन तीनों देशों में से प्रत्येक में ११ अगस्त को अन्तर्राष्ट्रीय आयोग स्थापित किये गये, और उन्हों ने अपना अपना काम आरम्भ कर दिया ।

६. प्रत्येक आयोग के दो बड़े बड़े विभाग हैं—(१) प्रत्येक देश का राष्ट्रीय शिष्ट मण्डल तथा (२) अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय तथा यातायात, संचार सुरक्षा तथा साधारण कार्य करने वाले कर्मचारीवर्ग जैसी सामान्य सेवायें ।

७. प्रत्येक सदस्य सरकार ने अपने राष्ट्रीय शिष्ट मण्डलों को केवल वेतन तथा भत्ते देना स्वीकार कर लिया है, और राष्ट्रीय शिष्ट मण्डलों के दूसरे खर्च, जैसे निवास, भोजन तथा यातायात इत्यादि, सम्बन्धी खर्च, तथा अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय और सामान्य सेवाओं का समस्त व्यय इस सामान्य धनराशि से दिये जायेंगे जिस के लिये जिनिवा सम्मेलन के मुख्य सदस्य अथवा सम्बद्ध पक्ष वित्त का प्रबन्ध करेंगे । आयोगों के लिये वित्त को जुटाने सम्बन्धी प्राक्कलनों तथा प्रबन्धों पर विचार किया जा रहा है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या भारत को सभापति नियुक्त किये जाने पर विश्व की किसी शक्ति द्वारा कोई आपत्ति की गई थी ?

श्री अनिल के० चन्दा : किसी ने भी आपत्ति नहीं की ।

श्री ए० एम० टामस : निष्पक्ष राष्ट्र प्रत्यवासन आयोग के सभापति के पक्ष में कोरिया में प्राप्त किये गये अनुभव के आधार पर क्या भारत सरकार ने, प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार करने से पूर्व कुछ शर्तें रखी थीं, और यदि हां, तो मुख्य शर्तें क्या थीं ?

श्री अनिल के० चन्दा : युद्ध समाप्ति समझौतों की शर्तें सदन पटल पर रख दी गई हैं; उक्त विलेख में समस्त जानकारी दी गई है ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह तथ्य नहीं है कि पिछले सत्र में प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य देते हुए कहा था कि भारत सरकार इस मामले में कोई उत्तरदायित्व लेने को तैयार नहीं है; और अब इतना उत्तरदायित्व लेने का क्या कारण था ?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे निश्चय नहीं है कि माननीय सदस्य प्रधान मंत्री के शब्दों को ठीक निर्वचन कर रहे हैं । इस विवाद में अन्तर्ग्रस्त समस्त देशों ने हम को इस आयोग का सभापति बनने का निमंत्रण दिया और स्वभावतः हम इस उत्तरदायित्व से इन्कार नहीं कर सकते थे ।

कपड़ा आयुक्त के कार्यालय में निर्यात विभाग

*२५. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कपड़ा आयुक्त के कार्यालय में एक निर्यात विभाग खोलने का जो सुझाव उत्तर भारतीय वाणिज्य संघ ने दिया था उस पर सरकार ने क्या विनिश्चय किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : उत्तर भारत वाणिज्य संघ से ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या सरकार ने कोई वस्त्र निर्यात उन्नति समिति का निर्माण

किया है और यदि ऐसा है तो उस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ? और उक्त समिति ने अब तक क्या कार्य किया है ?

श्री करमरकर : जिस संघ के नाम का निर्देश मेरे विद्वान मित्र ने किया है उस का निर्माण हो रहा है । उस का निर्माण अब लगभग समाप्ति पर है और अभी से परिषद् के सदस्यों के नाम बताना बहुत अपरिपक्व होगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या सरकार ने समिति के लिये कोई निधि आवंटित की है अथवा समिति की इच्छानुसार व्यय के लिये रखी है ?

श्री करमरकर : ५ लाख रुपये की निधि इस समिति के कार्य करने के लिये अलग रख लेने की सहमति दे दी गई है ।

श्री राधा रमण : उत्तर भारत वाणिज्य संघ का मुख्यालय कहां पर है और क्या सरकार ने इस को मान्यता दी है ?

श्री करमरकर : मैं इस का पता लगाना चाहूंगा और इसी बीच मेरे मित्र भी मेरी सहायता करेंगे ।

राज्य व्यापार समिति

*२६. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने राज्य व्यापार समिति की सिफारिशों पर कोई निर्णय किया है और यदि ऐसा है तो वह निर्णय क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : नहीं, श्रीमान् ।

श्री वी० पी० नायर : क्या इस समिति से ऐसी वस्तुओं के निर्यात, जिन के मूल्यों का संकट बार बार होता है, के लिये एक मशीनरी स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई सुझाव प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने राज्य-व्यापार समिति से ऐसे सुझाव के लिये कहा है, तो उस का उत्तर 'नहीं' है । राज्य व्यापार समिति अब समाप्त हो चुकी है ।

श्री पुशूस : माननीय मंत्री ने प्रश्न के उत्तर में 'नहीं' कहा है । इन सिफारिशों पर कोई निर्णय न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वे परिस्थितियां जो निर्णय किये जाने के अनुकूल हो सकती हैं, अभी तक उत्पन्न नहीं हुई हैं ।

अपहृत व्यक्तियों की पुनर्प्राप्ति

*२७ **श्री एस० एन० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान तथा भारत की सरकार ने दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच अपहृत व्यक्तियों की पुनः प्राप्ति के प्रश्न पर मई १९५४ के द्वितीय सप्ताह में हुए सम्मेलन के परिणामों को कार्यान्वित करने के लिये कोई कार्यवाहियां की हैं ; और

(ख) क्या किसी तथ्य-निर्धारण समिति की स्थापना की गई है और वह कार्य कर रही है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खान) : (क) भारत तथा पाकिस्तान के दो उच्चाधिकार रखने वाले अफसर कार्यान्विति सम्बन्धी विवरण तैयार कर रहे हैं और आशा की जाती है कि वे अपनी अपनी सिफारिशें सम्बन्धित सरकारों के पास शीघ्र ही प्रस्तुत कर देंगे ।

(ख) नहीं ।

श्री एस० एन० दास : इस सम्मेलन में किये गये निर्णयों के परिणामस्वरूप क्या भारत में अपहृत व्यक्तियों सम्बन्धी अधिनियमों पर पुनर्विचार करने अथवा किसी

प्रकार का संशोधन किये जाने की आशा है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहर लाल नहरू) : इस में अधिनियम में संशोधन का कोई प्रश्न नहीं है । कुछ समय बाद यह अधिनियम समाप्त हो जायेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : करार के वे सर्वसम्मत सामान्य सिद्धान्त क्या हैं जो अपहृत व्यक्तियों को वापस लौटाने के बारे में निश्चित हुए बताये जाते हैं ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : इस सम्मेलन में बहुत से विवरणों पर विचार किया गया था। भारत की ओर से जिस महान सिद्धान्त पर सदैव जोर दिया गया है वह यह है कि अन्तिम रूप से न तो किसी का आदान प्रदान किया जाय और न इस ओर अथवा उस ओर की सीमा के बाहर ही, उस की इच्छा तथा आकांक्षा के बिना भेजा जाय । हम लोगों ने सदा इसी बात पर जोर दिया है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इस वर्ष भारत में ढूंढ़ निकाले गये अपहृत व्यक्तियों की योग संख्या क्या है ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : ये आंकड़े तीन चार बार दिये जा चुके है । यदि समुचित समय दिया जाय तो फिर दिये जा सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस के अतिरिक्त मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न इस से किस प्रकार उत्पन्न होता है ।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

*२९. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय।** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंग्नीज अयस्क पर निर्यात शुल्क लगाने से इस पदार्थ के निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इस से विदेशी बाजारों में वह नहीं पहुंच पायेगा ,

(ख) मैंगनीज अयस्क के निर्यात के तुलनात्मक आंकड़े १९५१, १९५२, १९५३ तथा ३० जून, १९५४ तक के क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि मैंगनीज अयस्क को भेजने के लिये मालगाड़ी के डिब्बों की अनुपलब्धता भी इस के व्यापार में अवनति के लिये आंशिक रूप से उत्तरदायी हैं, और

(घ) क्या रेलवे द्वारा अधिमान्य तालिकाओं को हटा देने से सामान के आवागमन के लिये इसके निर्यात में शीघ्रता हो जायेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) विदेशी विपणियों के संकुचन के लिये संक्षिप्त कारण बता सकना कठिन है । निर्यात शुल्क तद् पश्चात् हटा दिया गया था ।

(ख) १९५१ ९६९,००० टन
१९५२ १४,०९,००० टन ।
१९५३ १६,५८,००० टन ।
१९५४ (जनवरी-जून) ५२६,००० टन ।

(ग) तथा (घ) नहीं, श्रीमान् । बन्दरगाहों पर बहुत सा स्टाक जमा हो गया है जो अभी तक जहाजों द्वारा नहीं भेजा गया है ।

पंडित मुनिश्वर दत्त उपाध्याय : हम किन किन देशों को और कितने प्रतिशत अपना अयस्क हम अधिकांशतः निर्यात करते हैं ?

श्री करमरकर : १९५३-५४ में हमारा निर्यात व्यापार विशेषतः इंगलिस्तान से (दस प्रतिशत) अमरीका से (६२ प्रतिशत), जापान से (छः प्रतिशत) तथा अन्य देशों से जैसे स्वीडन, नार्वे, जर्मनी, फ्रांस, इटली से लगभग २२ प्रतिशत था ।

श्री नाना दास : भाग (क) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि इस बात

का पता लगाना सम्भव नहीं होगा कि मैंगनीज़ अयस्क पर निर्यात शुल्क का कहां तक विपरीत प्रभाव पड़ा। मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने फिर किन कारणों से मैंगनीज़ अयस्क पर निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया ?

श्री करमरकर : हम ने निर्यात में कमी देखी और यह समझा कि यह उपाय निर्यात में वृद्धि करने में सहायता करने वाले उपायों में से एक हो सकता है।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सच है कि मैंगनीज़ ओर के बहुत से व्यापारियों ने रेलवे का भाड़ा कम करने के लिये गवर्नमेंट से प्रार्थना की है ताकि वे सस्ते दाम में माल भेज सकें ?

श्री करमरकर : हमें पता नहीं रेलवे भाड़ा कम करने के कुछ रिप्रेज़ेंटेशन तो थे, फ्री फैसिलिटीज के बारे में थे, लेकिन ऐसा करना मुश्किल था और उस के लिये हम ने किन्हीं किन्हीं रेलों पर रेस्ट्रिक्शन्स डाले, रेल के भाड़े के बारे में कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं आया।

एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग

*३२. **श्री एस० एन० दास** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मई १९५३ में टोकियो में जल संसाधन विकास के सम्बन्ध में एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग के तत्वाधान में हुए सम्मेलन में भाग लेने के लिये जो भारतीय प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था उसे ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो उस रिपोर्ट की मुख्य मुख्य विशेषतायें क्या हैं; तथा

(ग) सम्मेलन में वाद-विवाद किये गये आवश्यक विषय क्या थे तथा भारत के प्रतिनिधियों ने उस में क्या योग दिया ?

सिंचाई तथा विद्युत उप-मंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जाती है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखियें संख्या एस–२४५/५४]

श्री एस० एन० दास : क्या प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की सरकार ने जांच की है, यदि ऐसा है तो आवश्यक विषय कौन कौन से हैं जिन पर भारत सरकार कार्यवाही करना चाहेगी ?

श्री हाथी : रिपोर्ट की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

व्यापार यथा प्रशुल्कों का सामान्य समझौता

*३३. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यापार तथा प्रशुल्कों के सामान्म समझौते की कार्यन्विति के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल समाप्त कर ली है ; तथा

(ख) यदि एसा है तो इस मामले में क्या निर्णय किये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). व्यापार तथा प्रशुल्कों के सामान्य समझौते के प्रभाव का अध्ययन जहां तक इस का प्रभाव हमारे देश पर पड़ने का सम्बन्ध है, एक निरन्तर क्रिया है तथा समझौते के अंगों पर संशोधन बहुधा व्यापार तथा प्रशुल्कों के सामान्य समझौते की बैठकों में रखे जाते

हैं । सुझाव दिये गये आधार पर कोई विशेष अध्ययन अभी तक नहीं किया जा सका है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार यह बता सकेगी कि हमारे निर्यातों का कितना प्रतिशत व्यापार तथा प्रशुल्कों के सामान्य समझौते वाले देशों को जाता है तथा हमारे कुल आयातों का कितना प्रतिशत उन देशों से आता है, जिस से हम यह पता लगा सकें कि इस समझौते का हमारे देश के आयात-निर्यात व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि प्रश्न पूछा गया तो मैं इस का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री जोकीम अल्वा : गैट की कार्यान्विति के सम्बन्ध में अध्ययन करने में, जो कि माननीय मंत्री के कथनानुसार, एक निरतन्र क्रिया है, क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि अमरीका ने इस समझौते के खण्डों का अपने तर्क के पक्ष में ऐसे समय में प्रयोग किया जब कि श्री लंका चीन को सामरिक महत्व की वस्तुयें निर्यात करना चाहता था और क्या सरकार इन खतरनाक चीजों तथा आकस्मिक आपत्तियों पर ध्यान देगी ?

अध्यक्ष महोदय : वह कोई सूचना नहीं चाहते हैं ; वह चाहते हैं कि सरकार इन बातों को ध्यान में रखे ।

अन्तर्राज्यीय झगड़े

*३५. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों में उन की सम्पत्तियों के लिये वह विधेयक परिचालित करवाया जा रहा है जो अन्तर्राज्यीय सिंचाई तथा अन्य परियोजनाओं की प्रकार के अन्तर्राज्यीय हितों के सम्बन्ध में अन्तर्राज्यीय झगड़ों में संघ सरकार को हस्तक्षेप करने तथा उन को निबटाने की शक्ति देने के विषय में है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : हां श्रीमान्, उस को परिचालित करवा दिया गया है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : सामान्यत: इस विधेयक के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न राज्यों की प्रतिक्रियायें क्या हैं ?

श्री हाथी : हमें अभी तक सभी राज्यों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या बहुत से राज्यों के उत्तर आ गये हैं और क्या यह सच है कि उन में से कुछ इस के विरोधी भी हैं ?

श्री हाथी : कुछ राज्यों से हममें उत्तर प्राप्त हो गये हैं, किन्तु यह कहना सही नहीं होगा कि उन में से कुछ इस के विरोधी हैं ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : सही सही स्थिति क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : किस सम्बन्ध में ?

श्री हाथी : श्रीमान्, प्रश्न यह था कि क्या यह सच है कि कुछ राज्य इस विधेयक के विरोध में हैं । मैं ने कहा कि वास्तविक स्थिति यह नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सूची समाप्त हुई ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेशम उद्योग

*६. **श्री राघवैया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री उस ढंग को बताने की कृपा करेंगे जिस से सरकार चालू वर्ष के बजट में रेशम उद्योग के वास्ते दिये गये ४० लाख रुपये के अनुदान का उपयोग करने का विचार करती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) । एक विवरण, जिस में योजनाओं का ब्यौरा

और उन के लिये प्रथक्-रक्षित अनुदानों को दिखाया गया है, सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध सं० ४] ।

औद्योगिक आवास योजना

*८. **श्री झलन सिन्हा** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री बताने की कृपा करेंगे ।

(क) मेसर्स न्यू सरन शुगर एण्ड गुड़ रिफाइनिंग कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता को बिहार के सेवान स्थान पर गृह निर्माण के लिये राजकीय सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत अनुदान के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई है, और

(ख) उस जगह इन निर्माण कार्यों की प्रगति क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १८,०८० रुपयों की एक सहायता स्वीकृत हुई है परन्तु अभी कोई भुगतान नहीं हुआ है ।

(ख) कुटीर तैयार हो गये हैं ।

रूस में भारतीय राजदूतावास

*११. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या **प्रधान मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वहां के कूटनीतिज्ञों के बिना रोक टोक के आने जाने पर लगाये गये निर्बन्धनों के सम्बन्ध में रूसी सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा गया ; और

(ख) क्या इसी प्रकार के निर्बन्धन अन्य देशों में रूसी कूटनीतिज्ञों पर भी लगाये गये हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, कुछ देशों ने अपने यहां रूसी कूटनीतिज्ञों पर प्रतिशोधात्मक निर्बन्धन लगाये हैं । जून, १९५३ में रूसी सरकार द्वारा निर्बन्धनों के शिथिल कर देने पर बहुत से इन देशों में भी निर्बन्धन शिथिल हो गये हैं ।

अगरतला को विद्युत संभरण

*१८. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री अतारांकित प्रश्न संख्या २७७ जिसका उत्तर २ दिसम्बर, १९५३ को दिया गया के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने अगरतला (त्रिपुरा) की विद्युत् संभरण सम्बन्धी स्थिति को सुधारने के लिये क्या किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : त्रिपुरा सरकार ने राज्य में विद्युत सम्भरण स्थिति को सुधारने के लिये १५ जनवरी, १९५४ को अगरताला स्टेट गारंटीड इलेक्ट्रिक सप्लाई को० लिमिटेड को अपने अधिकार में ले लिया । राष्ट्रीयकरण होने के बाद ही एक नवीन २१० किलोवाट सेट अगरतला विद्युत् केन्द्र में स्थापित किया गया । इसे ३१-७-५४ को अधिकार में लिया गया । पुराने सेटो की मरम्मत भी की जा रही है । बिजली देने वाली लाइनों के विस्तार तथा पुनर्संस्थापन के लिये एच० टी० लाइनों और छोटे छोटे स्टेशनों को अपेक्षित उपकरणों का प्रबन्ध करने के लिये व्यादेश देने का प्रयत्न हो रहा है ।

त्रिपुरा में जनजाति कुटुम्ब

*२०. **श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि तिलियापुरा (त्रिपुरा) के अनेक जनजाति कुटुम्ब पुनर्वास विभाग द्वारा अपने देश से निकाल दिये गये हैं ;

(ख) क्या यह सत्य है कि तिलियापुरा के डी० आर० ओ० के आदेश से जनजातियों के सहस्रों वृक्ष काट डाले गये हैं जिसके उपलक्ष में उनकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं की गई ;

(ग) जनजाति कुटुम्बों की संख्या जो उस क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हुई है; और

(घ) निष्कासित जनजाति किसानों के निर्वाह के लिये कौन से वैकल्पिक साधन उपस्थित किये गये हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० क० भोंसले): (क) से (ग) . तिलियापुरा (त्रिपुरा) का कोई जनजाति कुटुम्ब पुनर्वास विभाग द्वारा अपने देश से नहीं निकाला गया। तिलियापुरा में कुछ भूमि अधिग्रहीत हुई जो लगभग ११९ एकड़ भूमि थी जो १८ जनजाति कुटम्बों की थी । यह भूमि बेकार पड़ी हुई थी, घने जंगलों से घिरी हुई थी और बहुत वर्षों से इसका उपयोग नहीं किया गया था। वृक्षों सहित अधिग्रहीत भूमि की क्षतिपूर्ति सम्बन्धी प्रश्न सामान्य प्रक्रियानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्णीत होगा ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्थानीय निर्माण कार्यक्रम

***२८. श्री झूलन सिन्हा** : क्या **योजना** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थानीय निर्माण हेतु १९५३-५४ के लिये राज्यों को दिये गये अनुदानों में से कितना उनको प्राप्त हुआ है और कितना उन्होंने उन कार्यों में उपयोग किया है जिनके लिये वह दिये गये थे ; और

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्यों से कोई प्रतिवेदन प्राप्त किया है कि इन कार्यों के निष्पादन हेतु लोगों ने कितनी सहायता दी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख) . २५१ लाख रुपयों के आवंटन में से १५८ लाख रुपयों का अग्रिम भगतान किया गया । प्रगति सम्बन्धित प्रतिवेदन अभी तैयार नहीं है परन्तु कुल व्यय २४३ लाख रुपये हुआ प्रतीत होता है जिसमें १०६ लाख रुपये केन्द्रीय अनुदान से और शेष स्थानीय सहायता द्वारा प्राप्त हुआ है ।

अगरतला में बाढ

***३०. श्री बीरेन दत्त :**
श्री दसरथ देव :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला (त्रिपुरा) में बाढ़ों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये किन्हीं विशेषज्ञों की मंत्रणा ली गई हैं ;

(ख) यदि ऐसा है, तो इस सम्बन्ध में विशषज्ञों की क्या राय है ; और

(ग) क्या सरकार नगर को बाढ़ हानि से बचाने के लिये कोई उपाय करने का विचार रखती है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग) . पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ठ १, अनुबन्ध संख्या ५]**

कोयला

***३४. श्री झूलन सिन्हा** : क्या **उत्पादन मंत्री** बतानें की कृपा करेंगे कि सरकार अधिकृत कोयला खानों में प्रति टन कोयले के उत्पादन की लागत क्या है तथा अन्य कोयला खानों की तुलना में यह कैसी उतरती है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : १९५१-५२, १९५२-५३ और १९५३-५४ के लिये सरकारी कोयला खानों में कोयले के प्रति टन उत्पादन की

लागत दिखाने वाला विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिय परिशिष्ठ १, अनुबन्ध संख्या ६**]। ग़ैर सरकारी कोयला खानों में उत्पादन की लागत से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है।

साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में पैदा होने वाले कोयले के लिये निर्धारित नियंत्रित मूल्यों को प्रदर्शित करने वाला विवरण भी सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिय परिशिष्ठ १, अनुबन्ध संख्या ६**]।

काजू सम्बन्धी कारखाने

१. **श्री वी० पी० नायर**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५४ के पहले छः महीनों में कितने काजू सम्बन्धी कारखाने चालू थे; और

(ख) उक्त समय में इन कारखानों में कितने श्रमिक काम करते थे?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) और (ख). लगभग ११० कारखानों में लगभग २८९१२ श्रमिक काम में लगे थे।

काजू

२. **श्री वी० पी० नायर**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) काजू कारखानों में खपत हेतु अफ्रीका से आयात हुये कच्चे काजुओं का सस्ते मूल्य पर सम्भरण के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार इससे अवगत है कि आयात हुई अफ्रीकी काजू की कुल मात्रा पर बम्बई के थोड़े से सार्थों का एकाधिकार है; और

(ग) कारखानों के मालिकों के हाथ कच्चे काजुओं को बेचने से आयातकारों को कितना प्रतिशत लाभ होता है?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) और (ख). १८-५-१९५४ से पूर्व कच्चे काजुओं का आयात खुली सामान्य अनुज्ञप्ति के अधीन होता था। सरकार को यह अभ्यावेदन किया गया कि सम्पूर्ण व्यापार पर कुछ ही बम्बई के सार्थों का एकाधिकार है और यदि आयातों का अनुज्ञप्तियों द्वारा विनियमन हो जाय तो उससे इस एकाधिकार को तोड़ने में सहायता मिलेगी। अतः यह मद खुली सामान्य अनुज्ञप्ति में से निकाल दिया गया और अब आयात हेतु उपलब्ध मात्रा के आयात की अनुमति अंशतः स्थायी आयातकारों को और अंशतः तैयार करने वालों को है।

(ग) सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं।

कच्चे काजू

३. **श्री वी० पी० नायर**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे:

(क) कि १९५४ में आयात हुये कच्चे काजू का औसत भूमिगत परिव्यय क्या है; और

(ख) इस वस्तु का औसतन विक्रय मूल्य क्या है?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) और (ख). व्यापार द्वारा निर्धारित काजू का औसत विक्रय मूल्य प्रति टन ४४० और ५०० रुपयों के बीच में रहा कहा जाता है। सरकार के पास और कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

कच्चा काजू

४. **श्री वी० पी० नायर**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** उमंत्री बताने की कृपा करेंगे:

(क) मई-जून, १९५१ तथा १९५२, १९५३ तथा १९५४ की तत्सम्बन्धी काला-

वधियों में कच्चे देशीय काजू के औसत मूल्य, तथा

(ख) क्या फैक्टरी मालिकों ने, एकाधिकार प्राप्त आयातकर्ताओं द्वारा आयातित काजू के लिये लगाये जाने वाले ऊंचे मूल्यों के प्रतिकर स्वरूप, कच्चे देशीय काजू का मूल्य कम कर दिया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :

(क)

मई--जून	सूखे काजू की छः हंडरिडवेट की प्रत्येक कंडी के लिये रुपया
१९५१	२४०
१९५२	२६०
१९५३	२३०
१९५४	१३५

(ख) सरकार के पास इस विषय में कोई यथार्थ जानकारी नहीं है । पता चला है कि नवनिर्मित दक्षिण भारत काजू सिंडीकेट न कुछ समय से थोक माल खरीदना आरम्भ कर दिया है जिसके फलस्वरूप वे देशीय तथा आयातित दोनों प्रकार के काजू की अपेक्षित मात्रा कुछ अच्छी शर्तों पर प्राप्त कर सके हैं ।

लाख

५. **डा० सत्यवादी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री वर्ष १९५३-५४ में राज्यवार, भारत में उत्पादित भिन्न प्रकार की लाख की कुल मात्रा बतानें की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७]**

लाल मिर्च (निर्यात)

७. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री के० सुब्रहमण्यम :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में लाल मिर्च का निर्यात किया गया है ;

(ख) यदि किया गया है तो कितना और किन किन देशों को ; तथा

(ग) सरकार को इस वर्ष कितनी लाल मिर्च के निर्यात की आशा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). लाल मिर्च का निर्यात ३ जूलाई, १९५४ तक तो निषिद्ध था, किन्तु उक्त तिथि को ११७५ टन अभ्यंश के बम्बई तथा मद्रास के पत्तनों से निर्यात की अनुमति दी गई । इस अभ्यंश के सम्बन्ध में किये गये वास्तविक निर्यात के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) सरकार अभी इस विषय में किसी प्रकार की सूचना नहीं दे सकती ।

भारतीय हस्तशिल्पों के लिये वाणिज्यस्थान

८. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत के किसी विदेश-स्थित व्यापारिक तथा कूटनीतिक मिशन ने भारतीय हस्तशिल्पों के विक्रय हेतु किसी प्रदर्शनकक्ष अथवा वाणिज्य स्थान की व्यवस्था कर रखी है, और यदि कर रखी है तो कहां कहां ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : एक विवरण जिस में विदेशों में खोले गये विभिन्न प्रदर्शन-कक्षों का उल्लेख है संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८]** ।

हस्तशिल्पों के विक्रय के हेतु कोई वाणिज्य स्थान नहीं है। सामन्यतया प्रदर्शन-कक्षों में किसी विक्रय की अनुमति नहीं होती यदि नमूनों की आवश्यकता हो और सम्बद्ध देश की विध्यानुसार वह दिये जा सकते हों तो रुचि रखने वाले पक्षों को निश्शुल्क अथवा मूल्य पर दे दिय जाते हैं।

अमोनियम सल्फेट कारखाना

९. **श्री एम० एल० द्विवेदी**:
श्री एम० आर० कृष्ण:
डा० सत्यवादी:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रस्थापित अमोनियम सल्फेट कारखाने के लिये स्थान चुन लिया गया है;

(ख) क्या उत्तर भारत वाणिज्य संघ ने यह सुझाव दिया है कि यह कारखाना नंगल में खोला जाय;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस सुझाव से सहमत है; और

(घ) इस कारखाने में कितनी लागत लगेगी और वह किस तरह खर्च की जायगी?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) से (घ). उत्तर भारत व्यापार मंडल का यह सुझाव कि नंगल में अमोनियम सल्फेट की एक फैक्टरी की स्थापना की जाय उन कई प्रस्थापनाओं में से एक है जो सरकार को इस उर्वरक के उत्पादन की वृद्धि के बारे में प्राप्त हुये हैं। यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

औद्योगिक आवास योजना

१०. **श्री के० पी० सिन्हा**: क्या **निर्माण, आवास तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जुलाई, १९५४ तक औद्योगिक कर्मचारियों की सहकारी संस्थाओं को औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत भवनों के निर्माण हेतु कितनी राशि दी गयी;

(ख) इन संस्थाओं द्वारा बनाये गये और बन रहे भवनों की संख्या क्या है; और

(ग) किन किन स्थानों पर यह योजना सबसे अधिक सफल रही है?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) जुलाई, १९५४ के अन्त तक औद्योगिक कर्मचारियों की सहकारी संस्थाओं को ऋण और सहायता के रूप में स्वीकृत राशियों ६,९१,७७६ रुपये और ४,२५,९०३ रुपये में से ११,३०० रुपये ऋण और ४४,४४० रुपये सहायता के रूप में वितरित किये जा चुके हैं।

(ख) १६६ भवनों का निर्माण हो चुका है और ३१२ भवन अभी बन रहे हैं।

(ग) यह योजना अहमदाबाद में सब से अधिक सफल रही है।

नमक साफ करन के कारखाने

११. **श्री आर० एन० सिंह**: क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन किन स्थानों में नमक साफ किया जाता है और प्रत्येक स्थान में कितना नमक साफ किया जाता है;

(ख) नमक साफ करने का प्रति मन खर्च कितना है;

(ग) क्या यह सच है कि इस नमक की मांग बढ़ रही है; और

(घ) क्या सेंधा नमक की कमी को पूरा करने के लिये कुछ कम्पननियों ने लाल रंग का नमक बनाने का प्रयत्न किया है?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री अर० जी० दुबे): (क) नमक साफ करने के स्थानों

और १९५३ तथा १९५४ के प्रथमार्ध में प्रत्यक स्थानों पर साफ किये गये नमक का परिमाण बताने वाला विवरण, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट१, अनुबन्ध संख्या ९]** ।

(ख) दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासती संघ में सांभर नमक के साफ करने के कारखानों में नमक के साफ करने का खर्च, बिना साफ किये गये नमक का मूल्य यातायात तथा विविध खर्चों को जोड़कर, लगभग ४-४-० से ४-१२-० तक प्रति मन है । अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) हां ।

(घ) हां, कुछ लोगों ने साधारण सांभर नमक को पिघला कर उसके सेंधा नमक से मिलते जुलते खण्ड बनाना प्रारम्भ कर दिया है और उस उत्पाद को अत्यधिक मूल्य पर बेच रहे हैं। यह पिघलाया हुआ नमक, सेंधा नमक का स्थानापन्न नहीं है ।

चाय बोर्ड

१२. श्री के० सी० सोधिया: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड की अन्तिम बैठक ने देश के भीतर चाय के उपयोग की वृद्धि के सुझाव पर विचार किया था ;

(ख) वर्तमान समय में चाय के प्रचार के लिये कौन सा संघटन भारत में कार्य कर रहा है और उसने १९५३ में किन विभिन्न गतिविधियों में इस कार्य हेतु कितनी धन राशि व्यय की ;

(ग) चाय बोर्ड ने इस संघटन के लिये किन अतिरिक्त उपायों की सिफारिश की है ; और

(घ) १९५३ में भारत ने चाय के वार्षिक उत्पादन के कितने प्रतिशत का उपभोग किया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) अपनी ७ मई, १९५४ की बैठक में चाय बोर्ड ने भारत में चाय के उपभोग की वृद्धि के लिये एक तीन वर्षीय योजना बनाने का निश्चय किया । आशा की जाती है कि इस योजना के ब्योरों पर अग्रेतर चर्चा २४ अगस्त, १९५४ को कोनूर में होने वाली चाय बोर्ड की आगामी बैठक में होगी ।

(ख) चाय बोर्ड द्वारा भारत के भीतर चाय के उपभोग की वृद्धि के प्रचार का कार्य प्रचार विभाग के ज़िम्मे है । १९५३-५४ के आर्थिक वर्ष में आन्तरिक प्रचार में व्यय की गई धन राशि १९,३४,५७३ रुपये थी ।

(ग) चाय बोर्ड की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(घ) लगभग २८ प्रतिशत ।

खोबरा (नारियल की गरी)

१३. श्री अच्युतन: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध तथा १९५४ के पूर्वार्ध में आयात की गई नारियल की गरी और तेल का परिमाण (अलग अलग) क्या है ;

(ख) क्या इस वर्ष के उत्तरार्ध में सरकार ने इन वस्तुओं के आयात के सम्बन्ध म कुछ सीमा निर्धारित कर दी है और यदि हां, तो कितनी ;

(ग) १९५३ और १९५४ के पूर्वार्धों और उत्तरार्धों में कोचीन के बाज़ार में नारियल की गरी के प्रति खंडी का मूल्य (अलग अलग) क्या था ; और

(घ) क्या सरकार भविष्य में नारियल की गरी के मूल्य में कमी को रोकने के लिये कुछ उपाय करने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ग). दो विवरण संलग्न हैं । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०**]।

(ख) १९५४ के उत्तरार्ध में नारियल की गरी और नारियल के तेल दोनों के आयात की अनुमति पुराने आयात कर्ताओं को उनके सर्वोत्तम वर्ष के आयात के आधे के शत प्रतिशत के आधार पर दी गई है । वास्तविक प्रयोग करने वालों तथा नये लोगों के लिये भी इसकी अनुमति है ।

(घ) सरकार सभी कृषि-उपजों, जिनमें नारियल की गरी और नारियल का तेल भी सम्मिलित है, के भावों के बारे में निरन्तर सतर्क है ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१

१४. श्री के० के० बसु: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के पारित हो जाने के समय से अब तक सरकार ने कितने उद्योगों को अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद कितने उद्योगों को लौटा दिया ; और

(ख) इस प्रकार वापिस लौटाने के क्या कारण थे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)। (क) और (ख). उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के उपबन्धों के अन्तर्गत भारत सरकार ने नवम्बर, १९५३ में चार उद्योगों के प्रबन्ध पर नियन्त्रण कर लिया था । शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी लिमिटेड के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रख कर इन सभी उद्योगों को २१, मई, १९५४ से नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है ।

विकास परिषदें

१५. श्री के० के० बसु: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत कितनी विकास परिषदों का निर्माण किया जा चुका है ; और

(ख) इन उद्योगों के सुधार के लिए इस प्रकार की परिषदों ने कितनी बैठकें की और क्या क्या कार्यवाहियां कीं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) चार ।

(ख) रसायन विकास परिषद (अम्ल और उर्वरक)—४ बैठकें ।

अन्तर्दाह इंजन तथा शक्ति संचालित पम्प विकास परिषद्—५ बैठकें ।

साइकिल विकास परिषद्—दो बैठकें ।

चीनी विकास परिषद्—एक बैठक ।

उद्योगों के सुधार के लिये की गई कार्यवाहियों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान प्रथम तीन विकास परिषदों के वार्षिक प्रतिवेदन की ओर आकर्षित किया जाता है। जिन्हें सदन पटल पर रखा जा रहा है। चीनी विकास परिषद् की प्रथम बैठक ९ अगस्त, १९५४ को हुई थी और उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

तिब्बत के साथ व्यापार

१६. **डा० सत्यवादी**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९४७ से १९५३ तक तिब्बत के साथ भारत के व्यापार सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस व्यापार में कमी होती जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १९५०-५१, १९५१-५२, १९५२-५३, १९५३-५४ में तिब्बत (पश्चिमी तिब्बत को छोड़ कर) के साथ हमारे व्यापार सम्बन्धी आंकड़ों का विवरण साथ में संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११**] उक्त वर्षों के पूर्व तिब्बत के साथ हमारे जो व्यापार सम्बन्ध थे उनके आंकड़े रखे नहीं गये थे।

(ख) और (ग) . १९५०-५१ के वर्ष की तुलना में कुछ कमी आ गई है। उस वर्ष में असाधारण रूप से कच्चे ऊन का बहुत आयात हुआ था। १९५१-५२ से यह व्यापार स्थिर रहा है और वस्तुतः धीरे धीरे बढ़ भी रहा है।

गलीचे

१७. **ठा० लक्ष्मण सिंह चरक**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम जहां गलीचों का निर्माण होता है ; और

(ख) १९४७ से अब तक गलीचों का सम्पूर्ण उत्पादन कितना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) उत्तर प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, हैदराबाद, राजस्थान, पंजाब, बिहार, पश्चिमी बंगाल और मध्य भारत।

(ख) सही सही सूचना संग्रहीत की जा रही है और सदन पटल पर रखी जायगी।

लोक-सभा

वाद-विवाद

सोमवार,
२३ अगस्त, १९५४

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
1-4-92
Fumigated
On 11.11.83
Parliament Library

1st Lok Sabha

खण्ड ६, १९५४

(२३ अगस्त से ११ सितम्बर, १९५४)

सप्तम सत्र

१९५४

विषय-सूची

खण्ड ६—२३ अगस्त, से ११ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
सोमवार २३ अगस्त, १९५४	
श्री सुरेशचन्द्र मजूमदार का देहान्त	१
मेज पर रखे गये पत्र—	
छठे सत्र में पारित विधेयक	२—३
नारियल जटा उद्योग नियम	३
केन्द्रीय रेशम कृमिपालन गवेषणा केन्द्र, बहरमपुर, सम्बन्धी प्रतिवेदन	४
बाईक्रोमेट उद्योग के संरक्षण सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और सरकारी संकल्प	४
केन्द्रीय रेशम बोर्ड सम्बन्धी प्रतिवेदन	५
उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन विकास परिषदों के वार्षिक प्रतिवेदन	५
फोर्ड प्रतिष्ठान के अन्तर्राष्ट्रीय योजना दल द्वारा छोटे उद्योगों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा सरकारी संकल्प	६
छठे सत्र के पश्चात् प्रख्यापित अध्यादेश	७
भारत तथा चीन के प्रधान मंत्रियों का संयुक्त वक्तव्य	८—१०
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	१०
चलचित्र अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	१०-११
अनुदानों की मांगों (रेलवे), १९५४-५५ सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर	११
प्रेस आयोग का प्रतिवेदन, भाग १, १९५४	११
दोनों सदनों की विशेषाधिकार समितियां—संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन का उपस्थापन	१२
सदन का कार्य	१२-१३
अध्यादेशों का प्रख्यापन	१४
स्थगन प्रस्ताव—	
पाकिस्तानी झंडे का फहराया जाना	१४-१५
भारतीय राष्ट्रजनों के पुर्तगाल क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबन्ध	१५
गोआ की विशेष सांस्कृतिक स्थिति बनाये रखने का आश्वासन	१५
पुर्तगाली फौजों द्वारा नृशंस हत्या	१५
बिहार, आसाम, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में बाढ़	१५-१८
भारत के पुर्तगाली राज्य क्षेत्रों में सत्याग्रहियों का निरोध	१८-१९
गोआ में सत्याग्रहियों के प्रवेश पर लगाई गई रोक	१९-२०
मथुरा में दंगे	२०
गोआ मुक्ति के सत्याग्रही	२०
निजामाबाद में पाकिस्तानी झंडे का फहराया जाना	२०
सभापति तालिका	२१

	स्तम्भ
सदस्य द्वारा पदत्याग	२१
खाद्य अपमिश्रण विधेयक—प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—अस्माप्त	२२—९६
मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४	
आसाम, उत्तर बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में बाढ़ के सम्बन्ध में वक्तव्य।	९७—१०४
पटल पर रखे गये पत्र—	
अनुदानों की मांगों, (रेलवे) १९५४-५५ सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर	१०४
हिन्द चीन में काम स्वीकार करने के सम्बन्ध में घोषणा	१०४
भारत में पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में पुर्तगाली सरकार से पत्र व्यवहार	१०४
समवाय विधेयक—संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि	१०४-१०५
खाद्य अपमिश्रण विधेयक—खण्डों पर विचार—असमाप्त	१०५—१८८
बुधवार, २५ अगस्त, १९५४	
पटल पर रखे गये पत्र—	
संसद् के पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५३ के अधीन अधिसूचना	१८९
संसद् के पदाधिकारी (मोटर कारों के लिये पेशगी) नियम, १९५३	१८९-१९०
संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों में संशोधन	१९०
परिसीमन आयोग के अन्तिम आदेश	१९०-१९१
अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) (शास्त्री न्यायाधिकरण) के पंचाट के विरुद्ध अपील पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के बारे में आदेश	१९१
अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) के पंचाट के विरुद्ध अपील पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के कारणों का विवरण	१९१-१९२
भारत में पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में पुर्तगाल सरकार से अग्रेतर पत्र व्यवहार	१९२
सम्पत्ति शुल्क नियमों में संशोधन करने वाली अधिसूचनायें	१९२
प्राप्त याचिकायें—निम्नलिखित विषयों के बारे में :	
विस्थापित व्यक्तियों को रहने के लिये दुबारा मकानों का दिया जाना	१९२
वर्ग पहेली योजनाओं पर निर्बन्धन	१९२
सरायकेला खरसवान का उड़ीसा के साथ विलयन	१९२
"कर अपवंचक ऋण" का जारी किया जाना	१९३-१९४
अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	१९३-२०७
तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में वृद्धि	२०७-२०८
खाद्य अपमिश्रण विधेयक—खण्डों पर विचार—असमाप्त	२०८-२६०

बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव--	
बैंक विवादों सम्बन्धी श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में सरकार द्वारा रूपभेद	२६१-२६२
पटल पर रखे गये पत्र--	
टेलीग्राफ तारों का अवैध कब्जा रोकने के लिये नियम	२६२
टेलीग्राफ तार (क्रय विक्रय की अनुज्ञा) नियम	२६३
भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ के अधीन अधिसूचनायें	२६३-२६४
आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण	२६३-२६४
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--दशम प्रतिवेदन का उपस्थापन	२६३
रबड़ उत्पादन तथा वियणन (संशोधन) विधेयक--प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	२६४
काफ़ी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	२६५
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के समय में वृद्धि	२६५
खाद्य अपमिश्रण विधेयक--संशोधित रूप में पारित	२६५--३२३
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा और प्रवर समिति को सौंपने के तथा परिचालन के संशोधनों पर चर्चा--असमाप्त	३२३--३३८

शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४

राज्य सभा से संदेश	३३९--३४१
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक १९५४--उपस्थापित याचिका	३४१
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--नहर पानी विवाद	३४१--३४५
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पनर्वास) विधेयक--संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित	३४५
पटल पर रखे गये पत्र--	
लालटेन उद्योग को संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का एक संकल्प	३४६-३४७
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--चर्चा असमाप्त	३४७--३६५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के दसवें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव--स्वीकृत	३६५
हथ-करघा उद्योग के लिये सभी साड़ियों और धोतियों के उत्पादन के रक्षण के सम्बन्ध में संकल्प--अस्वीकृत	३६५--४०७
कपड़ा तथा पटसन उद्योगों में आयोजित वैज्ञानिकन की योजनाओं के सम्बन्ध में संकल्प--चर्चा असमाप्त	४०८--४२०

सोमवार, ३० अगस्त, १९५४ स्तम्भ

स्थगन प्रस्ताव—

त्रावनकोर कोचीन में परिवहन सेवाओं के बारे में स्थिति ४२१

पटल पर रखा गया पत्र—

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर रायें ४२१-४२२

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—

कानपुर के काठी तथा साज कारखाने में हड़ताल . . . ४२२—४२

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, १९५३—वापस लिया गया ४२६-४२७

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित . ४२

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ४

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव तथा प्रवर समिति को सौंपने के तथा परिचालन के संशोधनों पर चर्चा—असमाप्त . ४२७—४५१

बैंक विवाद सम्बन्धी श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने वाला सरकारी आदेश . . . . . ४५१—५१

मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

बीमा अधिनियम, १९३८ के अधीन अधिसूचनायें . ५१३-५१४

राज्य-सभा के सन्देश . . . ५१

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपा गया . . . ५१४—५९८

बुधवार, १ सितम्बर, १९५४

स्थगन- स्ताव ५९९-६००

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—बीमा समवायों में औद्योगिक विवादों पर न्याय निर्णय करने के लिये न्यायाधिकरण . ६००-६०१

मध्य भारत आय पर कर (मान्यीकरण) विधेयक—पुरःस्थापित . . ६०१-६०२

कराधान विधियां (जम्मू और काश्मीर में विस्तार) विधेयक—पुरःस्थापित . ६०२

विशेष विवाह विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ६०२-६८६

बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४

तारांकित प्रश्न संख्या ४०६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ६८७

पटल पर रखा गया पत्र —

परिसीमन आयोग का अन्तिम आदेश संख्या १५ . . ६८७-६८८

राज्य-सभा से संदेश ६८८

राज्य-सभा द्वारा पारित विधेयक--पटल पर रखे गये पत्र-- स्तम्भ

औषधि (संशोधन) विधेयक, १९५४ . . . ६८८
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक, १९५४ . . . . ६८८
दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, १९५४ . . ६८९
विशेष विवाह विधेयक--
खंडवार विचार--असमाप्त . .६८९--७५८
सदस्य द्वारा पदत्याग . ७५८

शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र--
भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ के अन्तर्गत अधिसूचनायें . ७५९
खान (सारांश प्रदर्शन) नियम, १९५४. . . . . ७६०
भारतीय श्रम सम्मेलन के तेरहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षिप्त वृतान्त . ७६०
आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण . . ७६१

निष्क्रान्त सम्पत्ति (केन्द्रीय) प्रशासन नियम, १९५० में संशोधन . . ७६२
विशेष विवाह विधेयक-याचिका का उपस्थापन . ७६२
देश में बाढ़ सम्बन्धी वक्तव्य .७६२--७६९
हिन्दी में नाम पट्ट ७६९-७७०
भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित . . ७७०
दंड-प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन . . ७७०

विशेष विवाह विधेयक-खंडवार विचार--असमाप्त . . .७७१--७८९
भाग ग राज्य शासन (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . ७८९
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक--पुरःस्थापित . ७९०
अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक--पुरःस्थापित . . ७९०
विद्युत संभरण (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . . ७९१
भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी मुकद्दमेबाजी विधेयक--पुरःस्थापित ७९१
अन्त्येष्ठि क्रिया सुधार विधेयक--पुरःस्थापित . ७९२
सेवा निवृत्ति वेतन (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . . . ७९२
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा ५७क का रखा जाना)--पुरःस्थापित . ७९३
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा ६१क का रखा जाना)--पुरःस्थापित . ७९३
विधुर पुनर्विवाह विधेयक--पुरःस्थापित ७९४
संविधान (षष्ठ अनुसूची का संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित . . ७९४
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक--वाद-विवाद स्थगित . . .७९५--८५०
सभा का कार्य ८५०-८५१

अत्यावश्यक वस्तुयें (अस्थायी शक्तियां संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . ८५१—८८।

सोमवार, ६ सितम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—
ब्राजील और स्पेन से गोआ में स्वयं सेवकों का आना
श्रीलंका निवासी भारतीयों का परिपीडन
पटल पर रखे गये पत्र—
चलचित्र (विवाचन) नियम, १९५१ में संशोधन . . .
भारत का रक्षित बैंक अधिनियम की धारा २१ के उपनियम (४) के अधीन निष्पादित करार . . . . . .
१९-४-५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८७४ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . . . . . .
संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . .
चावल, धान, और चावल के आटे पर निर्यात शुल्क बढ़ाने के बारे में संकल्प—स्वीकृत . ८५९—
मूंगफली के तेल पर निर्यात शुल्क के बारे में संकल्प—स्वीकृत . . . ८९१
विशेष विवाह, विधेयक—
खंडवार विचार—असमाप्त ९२१-९३

मंगलवार, ७ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र —
परिसीमन आयोग, भारत का अन्तिम आदेश संख्या १५, दिनांक २४ अगस्त, १९५४ . ९
विशेष विवाह विधेयक—खंडवार विचार—असमाप्त . . ९३९-१०

बुधवार, ८ सितम्बर, १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन . १००१
समिति के लिये निर्वाचन—
नारियल जटा बोर्ड . . . १००१-१००२
सभा का कार्य—बैठकों के समय में परिवर्तन . . . १००२—१००५
विशेष विवाह विधेयक—खंडवार विचार—असमाप्त . . . १००६—१०६८

शुक्रवार, १० सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—
विनियोग लेखे (असैनिक) १९५०—५१ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९५२ (भाग २) १०६९-१०७०
विनियोग लेखे (असैनिक) १९५०-५१ का वाणिज्यिक परिशिष्ट और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५२ . . . . १०६९-१०७०

स्तम्भ

तीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, १९५४ . . . १०७०
ीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, १९५४ . . . १०७०
ीय प्रशासन सेवा (प्रोबेशन) नियम, १९५४ . . . १०७०
िय पुलिस सेवा (प्रोबेशन) नियम, १९५४ . . . १०७०
ीय प्रशासन सेवा (पदालि) नियम, १९५४ . . . १०७०
ीय पुलिस सेवा (पदालि) नियम, १९५४ . . . १०७१
ीय प्रशासन सेवा (ज्येष्ठता-विनियमन) नियम, १९५४ . . . १०७१
ीय पुलिस सेवा (ज्येष्ठता-विनियमन) नियम, १९५४ . . . १०७१
भारतीय सेवायें (आचरण) नियम, १९५४ . . . १०७१
के राजस्व न्यायालयों में सामान्य कार्य संचालन तथा प्रक्रिया के नियम १०७१
नयतन सम्बन्धी प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . १०७१—१०७८
न (तृतीय संशोधन) विधेयक से युक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा—
असमाप्त . . . . १०७९—१११८
ारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत १११८
तथा पटसन उद्योगों का वैज्ञानिकन करने की योजनाओं सम्बन्धी संकल्प—
संशोधित रूप में स्वीकृत . . . . . १११८—११६६
कर बाढ़ के कारण हुई क्षति को सुधारने के लिये आसाम को वित्तीय सहायता
सम्बन्धी संकल्प—असमाप्त . . . . ११६६—११६८

वार ११ सितम्बर, १९५४

न पर रखे गये पत्र—
ंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५२ के अधीन अधिसूचनायें . ११६९
ना सदस्य की दोष-सिद्धि . . . . . . ११६९—११७०
धान (तृतीय संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा—असमाप्त . ११७०—१२०२
रतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक के बारे में वक्तव्य . १२०२—१२०५
तीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . १२०६
त में बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—चर्चा असमाप्त १२०६—१२१२

PD—HS—363 LSD—2-2-55—000

लोक सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकरपुरी सरदार तेजासिंह (गुरदासपुर)

अग्रवाल, श्री मुकन्द लाल (जिला पीलीभीत व जिला बरेली—पूर्व)

अग्रवाल, श्री श्रीमन्नारायण (वर्धा)

अग्रवाल, श्री होती लाल (जिला जालौन व जिला इटावा—पश्चिम व जिला झांसी—उत्तर)

अचलसिंह, सेठ (जिला आगरा—पश्चिम)

अचलू, श्री संकम (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अचित राम, लाला (हिसार)

अच्युतन, श्री के० टी० (क्रैंगनूर)

अजित सिंह, श्री (कपूरथला—भटिंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अजित सिंह जी, जनरल (सिरोही-पाली)

अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)

अब्दुल्ला भाई मुल्ला ताहिर अली मुल्ला (चांदा)

अब्दुस्सत्तार, श्री (कलना-कटवा)

अमजद अली, श्री (ग्वालपाडा-गारो पहाड़ियां)

अमीन, डा० इन्दुभाई बी० (बड़ौदा—पश्चिम)

अमृत कौर, राजकुमारी (मंडी-महासु)

अय्यंगार, श्री एम० अनन्तशयनम् (तिरुपति)

अय्युण्णि, श्री सी० आर० (त्रिचूर)

अलगेशन, श्री ओ० वी० (चिंगलपट)

अस्थाना, श्री सीताराम (जिला आजमगढ़—पश्चिम)

अहमद मुहीउद्दीन, श्री (हैदराबाद नगर)

आ

आजाद, मौलाना अबुल कलाम (जिला रामपुर व जिला बरेली—पश्चिम)

आजाद, श्री भागवत झा (पूर्निया व संथाल परगना)

आनन्द चन्द, श्री (बिलासपुर)

आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

इ

इब्राहीम, श्री ए० (रांची—उत्तर-पूर्व)

इलयपेरुमाल, श्री एल० (कडलूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ई

ईयाचरण श्री ईय्यानी (पोन्नानी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

उ

उइके, श्री एम० जी० (मंडला-जबलपुर—दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (जिला प्रतापगढ़—पूर्व)

उपाध्याय, श्री शिव दत्त (सतना)

उपाध्याय श्री शिव दयाल (जिला बांदा व जिला फतहपुर)

ए

एंथनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)

एबनजिर, डा० एस० ए० (विकाराबाद)

क

कंदस्वामी, श्री एस० के० बेबी (तिरुचेंगोड)

कक्कन श्री पी० (मदुरै—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कजरोलकर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई नगर—उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कथम, श्री वीरेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
कमल सिंह, श्री (शाहाबाद—उत्तर-पश्चिम)
करमरकर, श्री डी० पी० (धारवाड—उत्तर)
कर्णीसिंह जी, हिज हाईनेस महाराजा श्री बहादुर आफ बीकानेर (बीकानेर-चूरु)
कासलीवाल, श्री नेमिचन्द्र (कोटा-झालावाड)
काचिरायर, श्री एन० डी० गोविन्द स्वामी (कडलूर)
काजमी, श्री सैयद मोहम्मद अहमद (जिला सुल्तानपुर—उत्तर व जिला फैजाबाद—दक्षिण-पश्चिम)
काटजू, डा० कैलास नाथ (मन्दसौर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)
कामले डा० देवराव नामदेवराव (नान्देड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
काल, श्रीमती अनुसूयाबाई (नागपुर)
किदवई, श्री रफी अहमद (जिला बहराइच—पूर्व)
किरोलिकर, श्री बासुदेव श्रीधर (दुर्ग)
कुरील, श्री बैजना (जिला प्रतापगढ—पश्चिम व जिला रायबरेली—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृपालानी, आचार्य जे० बी० (भागलपुर व पूर्निया)
कृपालानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)
कृष्ण, श्री एम० आर० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृष्णचन्द्र, श्री (जिला मथुरा—पश्चिम)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (कोलार)
कृष्णमाचारी, श्री टी० टी० (मद्रास)
कृष्णस्वामी, डा० ए० (कांचीपुरम्)
केलप्पन, श्री के० (पोन्नानी)
केशवैयंगार, श्री एन० (बंगलौर—उत्तर)
केसकर, डा० बी० वी० (जिला सुल्तानपुर—दक्षिण)
कोले, श्री जगन्नाथ (बांकुरा)
कोसा, श्री मुचाकी (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
कौट्टुकप्पल्ली, श्री जार्ज थामस (मीनाचिल)

ख

खरे, डा० एन० बी० (ग्वालियर)
खर्डेकर, श्री बी० एच० (कोल्हापुर व सतारा)
खान, श्री शाहनवाज (जिला मेरठ—उत्तर-पूर्व)
खान, श्री सादत अली (इब्राहीमपटनम्)
खीमजी, श्री भवन जी ए० (कच्छ—पश्चिम)
खेडकर, श्री गोपालराव बाजीराव (बुलडाना-अकोला)
खोंगमेन, श्रीमती बी० (स्वायत्त जिले—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)
गणपतिराम, श्री (जिला जौनपुर—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गांधी, श्री फीरोज (जिला प्रतापगढ—पश्चिम व जिला रायबरेली—पूर्व)
गांधी, श्री माणिकलाल मगनलाल (पंचमहाल व बडौदा—पूर्व)
गांधी, श्री वी० बी० (बम्बई नगर—उत्तर)
गाडगील, श्री नरहर विष्णु (पूना—मध्य)
गाडिलिंगन गौड, श्री (करनूल)
गिडवानी, श्री चोइथ राम प्रताबराय (थाना)
गिरि, श्री वी० वी० (श्रम मंत्री)
गिरिराज शरण सिंह (भरतपुर-सवाई माधोपुर)
गुप्त, श्री बादशाह (जिला मैनपुरी—पूर्व)
गप्त, श्री साधन चन्द्र (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व)
गुरुपादस्वामी, श्री एम० एस० (मैसूर)
गुलाम कादिर, खान (जम्मू तथा काश्मीर)
गुहा, श्री अरुण चन्द्र (शान्तिपुर)
गोपालन, श्री ए० के० (कन्नूर)

गोपीराम श्री (मंडी-महासु—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गोविंद दास, सेठ (मंडला-जबलपुर—दक्षिण)
गोहैन श्री चौखामून (नामनिर्देशित आसाम आदिमजाति क्षेत्र)
गौंडा, श्री टी० मादिया (बंगलौर—दक्षिण)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)
गौंडर, श्री के० शक्ति—वाडिवेल (पैरियकुलम)
गौंडर, श्री के० पेरियास्वामी (ईरोड)

घ

घोष, श्री अतुल्य (बर्दवान)
घोष, श्री सुरेन्द्र मोहन (मालदा)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)
चटर्जी, श्री एन० सी० (हुगली)
चटर्जी, श्री तुषार, (श्रीरामपुर)
चटर्जी, डा० सुशील रंजन (पश्चिम दिनाजपुर)
चट्टोपाध्याय, श्री हरीन्द्र नाथ (विजयवाडा)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (जिला एटा—मध्य)
चन्दा, श्री अनिल कुमार (वीरभूम)
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (तिरुवल्लूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चरक, श्री लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)
चांडक, श्री बी० एल० (बेतूल)
चालिहा श्री विमला प्रसाद (शिवसागर—उत्तर लखीमपुर)
चावदा, श्री अकबर (बनस्कंठा)
चिनारिया, श्री हीरासिंह (महेन्द्रगढ़)
चेट्टियार, श्री टी० एस० अविनाशिलिंगम् (तिरुप्पुर)
चेट्टियार श्री बी० बी० आर० एन० ए० आर० नागप्पा (रामनाथपुरम्)
चौधरी, श्री गणेशीलाल (जिला शाहजहांपुर—उत्तर व खेरी—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

च

चौधरी, श्री निकुंज बिहारी (घाटल)
चौधरी, श्री मुहम्मद शफी, (जम्मू तथा काश्मीर)
चौधरी, श्री रोहिणी कुमार (गौहाटी)
चौधरी, श्री सी० आर० (नरसरावपेट)
चौधरी, श्री त्रिदिव कुमार (बहरमपुर)

ज

जगजीवन राम, श्री (शाहाबाद—दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जजवाडे, श्री राम राज (संथाल परगना व हज़ारीबाग)
जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
जयरामन, श्री ए० (तिंडीवनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जयश्री, श्रीमती राय जी (बम्बई—उपनगर)
जयसूर्य, डा० एन० एम० (मेदक)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जाटववीर, डा० मानिक चन्द (भरतपुर-सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जेठन, श्री खेरवार (पालामऊ व हज़ारीबाग़ व रांची—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
जेना, श्री कान्हू चरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री निरंजन (ढेंकानाल—पश्चिम कटक—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री लक्ष्मीधर (जाजपुर-क्योंझर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जैदी, कर्नल बी० एच० (ज़िला हरदोई—उत्तर-पश्चिम व ज़िला फ़र्रुखाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर—दक्षिण)

जैन, श्री अजित प्रसाद (ज़िला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुज़फ्फरनगर—उत्तर)

जैन, श्री नेमीशरण (ज़िला बिजनौर—दक्षिण)

जोगेन्द्रसिंह, सरदार (ज़िला बहराइच—पश्चिम)

जोशी, श्री कृष्णाचार्य (यादगीर)

जौशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)

जोशी, श्री नन्दलाल (इन्दौर)

जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नागिरि—दक्षिण)

जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर-राजगढ़)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)

ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर—उत्तर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर—मध्य)

ट

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (ज़िला इलाहाबाद—पश्चिम)

टंडन, श्री शिव नारायण (कानपुर ज़िला—मध्य)

टेकचन्द, श्री (अम्बाला—शिमला)

ड

डाभी, श्री फूलसिंहजी बी० (कैरा—उत्तर)

डामर, श्री अमरसिंह साब जी (झाबुआ—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तालिब, श्री प्यारेलाल कुरील (ज़िला बांदा व ज़िला फतहपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

तिवारी, पंडित द्वारिका नाथ (सारन—दक्षिण)

तिवारी, पंडित बी० एल० (नीमाड)

तिवारी, सरदार राज भानु सिंह (रीवा)

तिवारी, श्री राम सहाय (छतरपुर-दतिया-टीकमगढ़)

तिवारी, श्री वेंकटेशनारायण (ज़िला कानपुर—उत्तर व ज़िला फर्रुखाबाद—दक्षिण)

तीर्थ, स्वामी रामानन्द (गुलबर्गा)

तुलसीदास, श्री किलाचन्द (मेहसाना—पश्चिम)

तेलकीकर, श्री शंकर राव (नान्देड़)

त्यागी, श्री महावीर (ज़िला देहरादून व ज़िला बिजनौर—उत्तर-पश्चिम व ज़िला सहारनपुर—पश्चिम)

त्रिपाठी, श्री कामाख्य प्रसाद (दरांग)

त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (ज़िला उन्नाव व ज़िला रायबरेली—पश्चिम व ज़िला हरदोई—दक्षिण-पूर्व)

त्रिपाठी, श्री हीरा वल्लभ (ज़िला मुज़फ्फरनगर—दक्षिण)

त्रिभुवन नारायण सिंह, श्री (ज़िला बनारस—पूर्व)

त्रिवेदी, श्री उमाशंकर मूलजीभाई (चित्तौड़)

थ

थामस, श्री ए० एम० (एरणाकुलम)

थामस, श्री ए० वी० (श्रीवैकुण्ठम)

थिरानी, श्री जी० डी० (बारगढ़)

थिरुकुरलार, श्री वी० मुनिस्वामी अवर्गल (तिंडीवनम्)

द

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम)

दत्त, श्री वीरेन. (त्रिपुरा—पश्चिम)
दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)
दामोदरन, श्री जी० आर० (पोल्लाची)
दामोदरन, श्री नेंत्तूर, पी० (टेल्लिचेरी)
दातार, श्री बलवन्त नगेश (बेलगांव—उत्तर)
दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री नयन तारा दास (मंगेर सदर व जमुई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री बसन्त कुमार (कंटाई)
दास, श्री बी० (जाजपुर—क्योंझर)
दास, श्री बेली राम (बारपेटा)
दास, डा० मन मोहन (वर्द्धमान—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री रामधनी (गया—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री रामानन्द (बैरकपुर)
दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम—दक्षिण)
दास, श्री सारंगधर (ढेंकानाल—पश्चिम कटक)
दास, श्री श्री नारायण (दरभंगा—मध्य)
दिगम्बर सिंह, श्री (जिला एटा—पश्चिम व जिला मैनपुरी—पश्चिम व जिला मथुरा—पूर्व)
दिग्विजय नारायण सिंह जी, श्री (मुजफ्फरपुर—उत्तर-पूर्व)
दुबे, श्री उदयशंकर (जिला बस्ती—उत्तर)
दुबे, श्री मूलचन्द (जिला फर्रुखाबाद—उत्तर)
दुबे, श्री राजाराम गिरधरलाल (बीजापुर—उत्तर)
देव, श्री चण्डिकेश्वर शरणसिंह जू (सरगुजा-रायगढ़)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा—पूर्व)
देव, श्री सुरेशचन्द्र (कचार-लुशाई पहाड़ियां)
देव, एच० एच० महाराजा राजेन्द्र नारायण सिंह (कालाहांडी—बोलनगिर)
देवगम, श्री कान्हूराम (चैंबस्सा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक—मध्य)
देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती—पश्चिम)
देशमुख, श्री चिन्तामण द्वारकानाथ (कोलाबा)
देशमुख, डा० पंजाबराव एस० (अमरावती—पूर्व)
देसाई, श्री कन्हैयालाल नानाभाई (सूरत)
देसाई, श्री खंडूभाई कासन जी (हालर)
द्विवेदी, श्री एम० एल० (जिला हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री दशरथ प्रसाद (जिला गोरखपुर—मध्य)

ध

धुलेकर, श्री आर० बी० (जिला झांसी—दक्षिण)
धूसिया, श्री सोहन लाल (जिला बस्ती—मध्य-पूर्व व जिला गोरखपुर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
धोलकिया, श्री गुलाब शंकर अमृतलाल (कच्छ—पूर्व)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (सबरकण्ठा)
नटवाडकर, श्री जयन्तराव गणपत (पश्चिम खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
नटेशन, श्री पी० (तिरुवल्लूर)
नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (सोरठ)
नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)
नम्बियार, श्री के० आनन्द (मयूरम)
नरसिंहन्, श्री सी० आर० (कृष्णगिरि)

नरसिंहम्, श्री एस० वी० एल० (गुंटूर)

नानादास, श्री मंगल गिरि (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नायडू, श्री नाला रेड्डी (राजामंद्री)

नायर, श्री एन० श्री कान्तन् (क्विलोन व मावेलिक्करा)

नायर, श्री वी० पी० (चिरयिन्कील)

नायर, श्री सी० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)

नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

निजलिंगप्पा, श्री एस० (चितलद्रुग)

नेवटिया, श्री आर० पी० (ज़िला शाहजहांपुर—उत्तर व खेरी—पूर्व)

नेसवी, श्री टी० आर० (धारवाड़—दक्षिण)

नेसामनी, श्री ए० (नागरकोइल)

नेहरू, श्रीमती उमा (ज़िला सीतापुर व ज़िला खेरी—पश्चिम)

नेहरू, श्री जवाहरलाल (ज़िला इलाहाबाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर—पश्चिम)

प

पंडित, श्रीमती विजय लक्ष्मी (ज़िला लखनऊ—मध्य)

पटनायक, श्री उमाचरण (घुमसूर)

पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर—उत्तर)

पटेल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई (सूरत—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

पटेल, श्रीमती मणिबेन वल्लभभाई (कैरा—दक्षिण)

पटेल, श्री राजेश्वर (मुजफ्फरपुर-दरभंगा)

पन्त, श्री देवी दत्त (ज़िला अलमोड़ा—उत्तर-पूर्व)

पन्नालाल, श्री (ज़िला फैज़ाबाद—उत्तर-पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री रूपाजी भावजी (पंचमहल व बड़ौदा—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

परांजपे, श्री आर० जी० (भीर)

परागीलाल, चौधरी (ज़िला सीतापुर व ज़िला खेरी—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

पवार, श्री वेंकटराव पिराजीराव (दक्षिण सतारा)

पांडे, डा० नटवर (सम्बलपुर)

पांडे, श्री सी० डी० (ज़िला नैनीताल व ज़िला अलमोड़ा—दक्षिण-पश्चिम व ज़िला बरेली—उत्तर)

पाटस्कर, श्री हरि विनायक (जलगांव)

पाटिल, श्री एस० के० (बम्बई नगर)

पाटिल, श्री पी० आर० कानावडे (अहमदनगर—उत्तर)

पाटिल, श्री शंकरगौड बीरंगौड (बेलगांव—दक्षिण)

पारिख, डा० जयन्तीलाल नरभेराम (जालावाड)

पारिख, श्री शान्तिलाल गिरधारीलाल (मेहसाना—पूर्व)

पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)

पिल्ले, श्री पी० टी० थानू (तिरुनेलवेली)

पुन्नूस, श्री पी० टी० (आल्लप्पि)

पोकर साहब, जनाब वी० (मलप्पुरम्)

प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

फ

फोतेदार, डित शिवनारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

ब

बंसल, श्री घमंडी लाल (झज्जर-रेवाड़ी)

बदनसिंह, चौधरी (जिला बदायूं—पश्चिम)

बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बरुआ, श्री देवकान्त (नौगांव)

बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)

बसु, श्री ए० के० (उत्तर बंगाल)

बसु, श्री कमल कुमार (डायमंड हार्बर)

बहादुरसिंह, श्री (फिरोजपुर लुधियाना—रक्षित—अनसूचित जातियां)

बागडी, श्री मगनलाल (महासमुन्द)

बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा-रायगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर-झुंझुनू—रक्षित—अनसूचित जातियां)

बालकृष्णन्, श्री एस० सी० (ईरोड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बाल सुब्रह्मण्यम, श्री एस० (मदुरै)

बाल्मीकि, श्री कन्हैयालाल (जिला बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बासप्पा, श्री सी० आर० (तमकुर)

बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर—दक्षिण)

बीरबलसिंह, श्री (जिला जौनपुर—पूर्व)

बुचिकोटैय्या, श्री सनक (मसुलीपट्टनम्)

बूबराघस्वामी, श्री वी० (पैरम्बलूर)

बैनर्जी, श्री दुर्गाचरण (मदनापुर-झाड़ग्राम)

बोगावत, श्री यू० आर० (अहमदनगर—दक्षिण)

बोरकर, श्री नाम अर्जुन (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बोस, श्री पी० सी० (मानभूम—उत्तर)

बैरो, श्री ए० ई० टी० (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया—पूर्व)

ब्रह्म, चौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा-गारो पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

भ

भंडारी, श्री दौलत मल (जयपुर)

भक्त दर्शन, श्री (जिला गढ़वाल—पूर्व व जिला मुरादाबाद—उत्तर-पूर्व)

भगत, श्री बी० आर० (पटना व शाहाबाद)

भटकर, श्री लक्ष्मण श्रावण (बुलडाना-अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

भट्ट, श्री चन्द्र शंकर (भडौच)

भवानी सिंह, श्री (बाडमेड-जालौर)

भार्गव, पंडित ठाकुर दास (गुड़गांव)

भार्गव, पंडित मुकुट बिहारीलाल (अजमेर—दक्षिण)

भारती, श्री गोस्वामी राजा सहदेव (यक्तमाल)

भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)

भीखा भाई, श्री (बांसवाड़ा-डूंगरपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

भोई, श्री गिरधारी (कालाहांडी-बोलनगिर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

भोंसले, श्री जगन्नाथ राव कृष्णराव (रत्नागिरि—उत्तर)

म

मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)

मथुरम्, डा० एडवर्ड पाल (तिरुचिरापल्ली)

मल्लय्या, श्रीनिवास यू० (दक्षिण कनारा—उत्तर)

मल्लूदोरा, श्री गाम (विशाखपटनम्—रक्षित—अनसूचित आदिम जातियां)

मसुरिया दीन, श्री (ज़िला इलाहाबाद पूर्व व ज़िला जौनपुर—पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)

महता, श्री बलवन्त सिंह (उदयपुर)

महताब, श्री हरेकृष्ण (कटक)

महाना, श्री भजहरि (मानभुम—दक्षिण व धालभूम)

महापात्र, श्री शिवनारायण सिंह (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

माझी, श्री चैतन (मानभूम—दक्षिण व धालभूम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनसूचित आदिम जातियां)

मात्तन, श्री सी० पी० (तिरुवल्ला)

मायदेव, श्रीमती इन्दिरा ए० (पूना—दक्षिण)

मालवीय, श्री केशव देव (ज़िला गोंडा—पूर्व व ज़िला बस्ती—पश्चिम)

मालवीय, पंडित चतुर नारायण (रायसेन)

मालवीय, श्री भगुनन्दु (शाजापुर-राजगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री मोतीलाल (छतरपुर-दतिया-टीकमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मावलंकर, श्री जी० वी० (अहमदाबाद)

मिनीमाता, श्रीमती (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मिश्र, श्री रघुवर दयाल (ज़िला बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (मुंगेर—उत्तर-पश्चिम)

मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)

मिश्र, श्री श्यामनन्दन (दरभंगा—उत्तर)

मिश्र, श्री सरय प्रसाद (ज़िला देवरिया—दक्षिण)

मिश्र, पंडित सुरेशचन्द्र (मुंगेर—उत्तर-पूर्व)

मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर)

मिश्र पंडित लिंगराज (खुर्दा)

मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)

मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)

मिश्र, श्री विज्ञेश्वर (गया—उत्तर)

मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व)

मुकणे, श्री वाई० एम० (थाना—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)।

मुत्तकृष्णन्, श्री एम० (वेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मुदलियार, श्री सी० रामस्वामी (कम्बकोणम)

मनिस्वामी, श्री एन० आर० (वान्दिवाश)

मुरली मनोहर, श्री (ज़िला बलिया—पूर्व)

मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (गंगानगर-झुंझनूं)

मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पूर्निया—रक्षित—अनसूचित जातियां)

मुसाफिर, श्री गरुमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद इसलामुद्दीन (पूर्निया—उत्तर-पूर्व)

मुहम्मद खुदाबख्श, श्री (मुर्शिदाबाद)

मुहम्मद सईद मसूदी, मौलाना (जम्मू तथा काश्मीर)

मूर्ति, श्री बी० एस० (एलुरु)

मेनन, श्री के० ए० दामोदर (कोजिकोड)

मेहता, श्री अशोक (भंडारा)

मेहता, श्री बलवन्त राय गोपाल जी (गोहिलवाड)

मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)

मैथ्यू, प्रो० सी० पी० (कोट्टयम्)

मैस्करीन, कुमारी एनी (त्रिवेन्द्रम)
मोरे, श्री के० एल० (कोल्हापुर व सतारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मोरे, श्री शंकर शान्ताराम (शोलापुर)

र

रघुरामैया, श्री कोत्ता (तेनालि)
रघनाथ सिंह, श्री (ज़िला बनारस—मध्य)
रघुवीर सहाय, श्री (ज़िला एटा—उत्तर-पूर्व व ज़िला बदायूं—पूर्व)
रघुबीर सिंह, चौधरी (ज़िला आगरा—पूर्व)
रज़मी, श्री सैयदुल्ला खां (सिहोर)
रणजीतसिंह, श्री (संगरूर)
रणदमन सिंह, श्री (शहडोल-सिद्धि—रक्षित—अनसूचित आदिम जातियां)
रणवीरसिंह, चौधरी (रोहतक)
राउत, श्री भोला (सारन व चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राघवाचारी, श्री के० एस० (पेनकोंडा)
राघवैया, श्री पशुपति वेंकट (ओंगोल)
राचइय्या, श्री एन० (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राज बहादुर, श्री (जयपुर-सवाई माधोपुर)
राजभोज, श्री पी० एन० (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राधारमण, श्री (दिल्ली नगर)
राने, श्री शिवराम रांगो, (भूसावल)
रामचन्द्र, डा० डी० (वल्लोर)
रामदास, श्री (होशियारपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामनारायण सिंह बाबू (हज़ारीबाग़—पश्चिम)
राम शरण, श्री (ज़िला मूरादाबाद—पश्चिम)
रामशेषइया, श्री एन० (पार्वतीपुरम्)
राम सुभग सिंह, डा० (शाहाबाद—दक्षिण)
राम स्वामी, श्री एम० डी० (अरुपुक्कोट्टै)
रामस्वामी, श्री एस० वी० (सैलम)
रामस्वामी, श्री पी० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामानन्द शास्त्री, स्वामी (ज़िला उन्नाव व ज़िला रायबरेली—पश्चिम व ज़िला हरदोई—दक्षिण-पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, श्री विश्वनाथ (ज़िला देवरिया—पश्चिम)
राय, श्री पतिराम (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, डा० सत्यवान (उलबेरिया)
राय, श्री कोन्दू सुब्बा (एलुरु—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, श्री काडियाला गोपाल (गडिवाडा)
राव, दीवान राघवेन्द्र श्रीनिवास (उस्मानाबाद)
राव, श्री पेंडयाल राघव (वारंगल)
राव, श्री पी० सुब्बा (नौरंगपुर)
राव, श्री वी० शिवा (दक्षिण कनाड़ा—दक्षिण)
राव, श्री कनेटी मोहन (राजामंद्री—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम्)
राव, डा० वी० रामा (काकिनाडा)
राव, श्री टी० बी० विट्ठल (खम्मम)
राव, श्री रायासम शेषगिरि (नन्दयाल)
रिचर्डसन, राइट रेवेरेंड जान (नाम निर्देशित—अण्डमान तथा निकोबर द्वीप)
रिशांग किशिंग, श्री (बाह्य मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
रूप नारायण, श्री (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रेड्डी,श्री रवि नारायण (नलगोंडा)

रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़पा)

रेड्डी श्री के० जनार्दन (महबूबनगर)

रेड्डी, श्री बद्दम येल्ला (करीमनगर)

रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)

रेड्डी, श्री वी० रामचन्द्र (नेल्लोर)

रेड्डी, श्री टी० एन० विश्वनाथ (चित्तूर)

ल

लंका सुन्दरम् श्री (विशाखपटनम्)

लल्लनजी, श्री (ज़िला फैज़ाबाद—उत्तर-पश्चिम)

लक्ष्मय्या, श्री पैंडी (अनन्तपुर)

लाल, श्री राम शंकर (ज़िला बस्ती—मध्य-पूर्व व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम)

लालसिंह, सरदार (फिरोज़पुर-लुधियाना)

लाश्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार-लुशाई पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

लिंगम, श्री एन० एम० (कोयम्बटूर)

लेसराम, जोगेश्वर सिंह, श्री (आन्तरिक मनीपुर)

लोटन राम, श्री (ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—पश्चिम व ज़िला झांसी—उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

व

वर्मा, श्री बी० बी० (चम्पारन—उत्तर)

वर्मा, श्री बुलाकीराम (ज़िला हरदोई—उत्तर-पश्चिम व ज़िला फर्रुखाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर—दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

वर्मा, श्री माणिक्य लाल (टोंक)

वर्मा, श्री राम जी (ज़िला देवरिया—पूर्व)

वल्लाथरास, श्री के० एम० (पुदुकोटै)

बाघमारे, श्री नारायण राव (पश्चिम)

विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (जालंधर)

विल्सन, श्री जे० एन० (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (ज़िला आज़मगढ़—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

वीरस्वामी, श्री वी० (मयूरम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

वेंकटरामन, श्री आर० (तंजोर)

वेलायुधन, श्री आर० (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

वैष्णव, श्री हनुमन्तराव गणेशराव (अम्बड)

वोडयार, श्री के० जी० (शिमोगा)

व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकरपांडियन, श्री एम० (शंकरनायिनार-कोबिल)

शकुन्तला, श्रीमती (ज़िला गोंडा-पश्चिम)

शर्मा, श्री राधाचरण (मुरैना-भिण्ड)

शर्मा, श्री नन्दलाल (सीकर)

शर्मा, श्री खुशीराम (ज़िला मेरठ-पश्चिम)

शर्मा, पंडित कृष्णचन्द (ज़िला मेरठ—दक्षिण)

शर्मा, श्री दीवान चन्द (होशियारपुर)

शर्मा, पंडित बालकृष्ण (ज़िला कानपुर—दक्षिण व ज़िला इटावा—पूर्व)

शास्त्री, पंडित अलगूराय (ज़िला आज़मगढ़—पूर्व व ज़िला बलिया—पश्चिम)

शास्त्री, श्री भगवानदत्त (शाहडोल-सिद्धि)

शाह, हर हाईनेस राजमाता कमलेन्दुमती (जिला गढ़वाल—पश्चिम व ज़िला टिहरी व ज़िला बिजनौर—उत्तर)
शाह, श्री चिमनलाल चाकूभाई (गोहिलवाड-सोरठ)
शाह, श्री रायचन्द भाई एन० (छिदवाडा)
शिव, डा० एम० वी० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शिवनंजप्पा, श्री एम० के० (मंडया)
शुक्ल, पंडित भगवतीचरण (दुर्ग-बस्तर)
शोभाराम, श्री (अलवर)

स

संगण्णा, श्री टी० (रायागढ़-फुलवनी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
सक्सेना, श्री मोहनलाल (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी)
सत्यनाथन, श्री एन० (धर्मपुरी)
सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सतीशचन्द्र, श्री (ज़िला बरेली—दक्षिण)
सर्मा, श्री देवेश्वर (गोलाघाट-जोरहाट)
सहगल, सरदार अमरसिंह (बिलासपुर)
सहाय, श्री श्यामनन्दन (मुजफ्फरपुर—मध्य)
सामन्त, श्री सतीशचन्द्र (तामलुक)
साहा, श्री मेघनाद (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम)
साहू, श्री भागवत (बालासोर)
साहू, श्री रामेश्वर (मुजफ्फरपुर व दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिंघल, श्री श्रीचन्द (ज़िला अलीगढ़)
सिंह, श्री अनिरुद्ध (दरभंगा—पूर्व)
सिंह, श्री आर० एन० (ज़िला गाज़ीपुर)
सिंह, डा० सत्यनारायण (सारन—पूर्व)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (गया—पश्चिम)
सिंह, सरदार इक़बाल (फाज़िल्का-सिरसा)
सिंह, श्री ठाकुर युगल किशोर (मुजफ्फरपुर—उत्तर-पश्चिम)
सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मंगेर सदर व जमुई)
सिंहासन सिंह, श्री (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण)
सिद्धनंजप्पा, श्री एच० (हासन-चिकमगलूर)
सिन्हा, श्री अवधेश्वर प्रसाद (मुजफ्फरपुर—पूर्व)
सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हज़ारी बाग़—पूर्व)
सिन्हा, श्री एस० (पाटलिपुत्र)
सिन्हा, श्री कैलाशपति (पटना—मध्य)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हज़ारी-बाग़ व रांची)
सिन्हा, श्री झुलन (सारन—उत्तर)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना—पूर्व)
सिन्हा, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर—पूर्व)
सुन्दर लाल, श्री (ज़िला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुजफ्फरनगर—उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सुब्रहमण्यम्, श्री नन्दा (विजयनगरम्)
सुब्रहमण्यम्, श्री टेकूर (वेल्लारी)
सुरेशचन्द्र डा० (औरंगाबाद)
सूफी, मुहम्मद अकबर (जम्मू तथा काश्मीर)
सूर्य प्रसाद, श्री (मुरैना-भिंड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्निया—मध्य)
सेन, श्री राज चन्द्र (कोटा बून्दी)
सेन, श्रीमती सुषमा (भागलपुर—दक्षिण)
सेवल, श्री ए० आर० (चम्बा-सिरमूर)
सैय्यद अहमद, श्री (होशंगाबाद)
सैयद महमूद, डा० (चम्पारन—पूर्व)

सोधिया, श्री खूबचन्द (सागर)
सोमना, श्री एन० (कुर्ग)
सोमानी, श्री जी० डी० (नागौर—पाली)
स्नातक, श्री नरदेव (जिला अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कुष्टगी)
स्वामीनाथन, श्रीमती अम्मू (डिंडीगल)

ह

हजारिका, श्री जोमेन्द्रनाथ (डिब्रूगढ़)
हरप्रसाद सिंह, श्री (जिला गाजीपुर—पश्चिम)
हरिमोहन, डा० (मानभूमउत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
हरिशंकर प्रसाद, श्री (जिला गोरखपुर—उत्तर)
हिफजुर रहमान, श्री एम० (जिला मुरादाबाद—मध्य)
हुक्म सिंह, सरदार (कपूरथला—भटिंडा)
हेंडा, श्री एच० सी० (निजामाबाद)
हेमब्रोम, श्री लाल (सन्थाल परगना व हाजारीबाग—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)
हैदरहुसैन, चौधरी (जिला गौंडा—उत्तर)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री जी० वी० मावलंकर

उपाध्यक्ष

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री हरि विनायक पाटस्कर

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्रीमती बी० खोंगमेन

सरदार हुक्म सिंह

श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन

सचिव

श्री एम० एन० कौल, बैरिस्टर-एट-ला

प्राक्कलन समिति

श्री एच० वी० ताटस्कर (**सभापति**)

श्री कमल कुमार बसु

श्रीमती बी० खोंगमेन

श्री राधे लाल व्यास

श्री कोत्ता रघुरामैया

श्री बलवन्त राय गोपाल जी मेहता

श्री टी० मादिया गौडा

श्री दीवान चन्द शर्मा

श्री मोहन लाल सक्सेना

पंडित बालकृष्ण शर्मा

डा० सैयद महमूद

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

श्री नित्यानन्द कानूनगो

श्री नाला रेड्डी नायडू

कुमारी एनी मैस्करीन

डा० राम सुभग सिंह

श्री सी० पी० मैथ्यू

डा० लंका सुन्दरम्

श्री एम० डी० रामस्वामी
श्री वी० बी० गांधी
श्री एम० आर० कृष्ण
श्री अहमद मुहीउद्दीन
श्री नटवर पांडे
श्री पी० एन० राजभोज
श्री के० केलप्पन

लोक लेखा समिति

श्री बी० दास (**सभापति**)
श्री त्रिभुवन नारायण सिंह
श्री रामानन्द दास
श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल
श्री श्रीनारायण दास
श्री बलवन्त सिंह मेहता
श्रीमती अम्म स्वामीनाथन
श्री खंडूभाई कासन जी देसाई
श्री अमरनाथ विद्यालंकार
श्री एस० वी० रामस्वामी
श्री उमाचरण पटनायक
श्री चोइथराम प्रताबराय गिडवानी
श्री वी० पी० नायर
श्री इन्दुभाई बी० अमीन
श्री यू० एम० त्रिवेदी
श्रीमती वायलेट आल्वा
दीवान चमनलाल
श्री के० एस० हैगडे
श्री पी० एस० राज गोपाल नायडू
श्री राम प्रसाद ताम्ता
श्री महम्मद वलीउल्ला
श्री जे० बी० के० वल्लभराव

सदन-कार्य मंत्रणा समिति

श्री जी० वी० मावलंकर (**सभापति**)
श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार
श्री सत्य नारायण सिन्हा
श्री ए० एम० थामस

श्री नरहर विष्णु गाडगील
श्री देवकान्त बरुआ
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री मूलचन्द दुबे
श्रीमती उमा नेहरू
श्री हरि विनायक पाटस्कर
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी
श्री पी० टी० पुन्नूस
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी
डा० लका सुन्दरम्

याचिका समिति

श्री कोत्ता रघुरामैया (**सभापति**)
श्री असीम कृष्ण दत्त
श्री सी० पी० मथ्यू
श्री सोहनलाल धूसिया
श्री बेलीराम दास
श्री लीलाधर जोशी
श्री यू० आर० बोगावत
श्री जेठालाल हरिकृष्ण जोशी
श्री भोला राउत
श्री रेशमलाल जांगड़े
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री रामजी वर्मा
श्री पी० सुब्बाराव
श्री आनंद चन्द
श्री पी० एन० राजभोज

विशेषाधिकार समिति

डा० केलास नाथ काटजू (**सभापति**)
श्री सत्यनारायण सिन्हा
श्री ए० के० गोपालन
श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री सारंगधर दास
श्री बी० शिवाराव
श्री आर० वेंकटरामन्

श्री राधे लाल व्यास
डा० सैय्यद महमूद

नियम समिति

श्री जी० वी० मावलंकर (**सभापति**)
श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री टेक चन्द
श्री सत्य नारायण सिन्हा
श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी
श्री एन० केशवैयंगार
पंडित अलगू राय शास्त्री
श्री ए० के० बसु
श्री शिवराम रांगो राने
डा० एन० एम० जयसूर्य
श्री एन० सी० चटर्जी
श्री भवानी सिंह
श्री के० के० बसु
श्री के० एस० राघवाचार्य

गृह-व्यवस्था समिति

श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या (**सभापति**)
श्री बीरबल सिंह
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री के० जनार्दन रेड्डी
श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन
श्री राधा चरण शर्मा
श्री हीरा सिंह चिनारिया
श्री एन० डी० गोविन्दस्वामी कांचिरायर
श्री के० आनन्द नम्बियार
श्री राजेन्द्र सेन
श्री वाई० गाडिलिंगन गौड

पुस्तकालय समिति

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार (**सभापति**)
श्री एम० एल० द्विवेदी
श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री उमा चरण पटनायक

श्री एम० डी० जोशी
श्री हीरेन्द्रनाथ मुकर्जी
श्री वी० एन० तिवारी
श्री हृदयनाथ कुंजरू
डा० श्रीमती सीता परमानन्द
प्रो० आर० डी० सिंह दिनकर

अधीनस्थ विधान समिति

श्री हरि विनायक पाटस्कर (सभापति)
श्री एस० वी० रामस्वामी
श्री एन० एम० लिंगम्
श्री दीवानचन्द शर्मा
श्री ए० इब्राहीम
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी
श्री एन० सी० चटर्जी
श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी
श्री तुलसीदास किलाचन्द
श्री हनुमन्तराव गणेशराव वैष्णव
श्री टेकचन्द
श्री गणपति राम
श्री नन्दलाल जोशी
श्री एस० सिन्हा
डा० ए० कृष्णस्वामी

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक सम्बन्धी समिति

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार (सभापति)
श्री नेमिचन्द्र कासलीवाल
श्री पी० नटेशन
श्री रघुनाथ सिंह
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन
श्री चोइथराम प्रताबराय गिडवानी
डा० नटवर पांडे
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी
श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर
श्री गोस्वामी राजा सहदेव भारती
श्री नरेन्द्र पी० नथवानी
श्री सी० आर० बासप्पा

श्री बी० एच० खर्डेकर
श्री टी० बी० विट्ठल राव

आश्वासन समिति

श्रीमती सुचेता कृपालानी (**सभापति**)
श्री अनिरुद्ध सिंह
श्री देवकान्त बरुआ
श्री टेकूर सुब्रह्मण्यम्
श्री जसवन्त राज मेहता
डा० लंका सुन्दरम्
श्री राधाचरण शर्मा
श्री पूर्णेन्दुशेखर नास्कर
श्री उदयशकर दुबे
श्री रामानन्द दास
श्री भूपेन्द्र नाथ मिश्र
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा
श्री नित्यानन्द कानूनगो
श्री वी० मुनिस्वामी अवल० थिरुकुरलार
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी

सामान्य वित्त से रेलवे वित्त पृथक्करण समिति

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार (**सभापति**)
श्री सी० डी० देशमुख
श्री लाल बहादुर शास्त्री
श्री आर० वेंकटरामन्
श्री बसंत कुमार दास
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
श्री नरेन्द्र पी० नथवानी
श्री रामशरण
श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी
सरदार लाल सिंह
श्री तुलसीदास किलाचन्द
श्री के० आनन्द नम्बियार
श्री आर० एम० देशमुख
श्री बी० सी० घोष
बाबू गोपीनाथ सिंह
श्री टी० वी० कमलस्वामी
श्री बी० एम० उबैदुल्ला साहब

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य तथा रक्षा मन्त्री एवं अणुशक्ति विभाग के भार साधक—श्री जवाहरलाल नेहरू।

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन एवं वैज्ञानिक गवेषणा मन्त्री—मौलाना अबुल कलाम आज़ाद

संचार मन्त्री—श्री जगजीवन राम।

स्वास्थ्य मंत्री—राजकुमारी अमृत कौर।

वित्त मंत्री—श्री चिन्तामण द्वारकानाथ देशमुख।

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री—श्री गुलज़ारी लाल नन्दा।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री—डा० कैलाश नाथ काटजू।

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री रफी अहमद किदवई।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री टी० टी० कृष्णमाचारी।

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री—श्री सी० सी० बिस्वास।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री।

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह।

श्रम मन्त्री—श्री वी० वी० गिरि।

उत्पादन मन्त्री—श्री के० सी० रेड्डी।

पुनर्वास मन्त्री—श्री अजित प्रसाद जैन।

मंत्रिमण्डल की कोटि के मंत्री (परन्तु मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं)

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिन्हा।

रक्षा संगठन मंत्री—श्री महावीर त्यागी।

सूचना तथा प्रसारण मंत्री—डा० वी० वी० केसकर।

वाणिज्य मंत्री—श्री डी० पी० करमरकर।

कृषि मंत्री—डा० पंजाबराव एस० देशमुख।

उपमंत्री

संचार उपमंत्री—श्री राजबहादुर ।

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री—श्री के० डी० मालवीय ।

रक्षा उपमंत्री—सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया ।

गृह-कार्य उपमंत्री—श्री बलवन्त नगेश दातार ।

श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली ।

वित्त उपमंत्री—श्री मणिलाल चतुरभाई शाह ।

पुनर्वास उपमंत्री—श्री जगन्नाथराव कृष्णराव भोंसले ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री—श्री ओ० वी० अलगेशन ।

स्वास्थ्य उपमंत्री—श्रीमती एम० चन्द्रशेखर ।

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री—श्री अनिल कुमार चन्दा ।

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री—श्री एम० वी० कृष्णप्पा ।

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री—श्री जयसुख लाल हाथी ।

रक्षा उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र ।

वित्त उपमंत्री—श्री अरुण चन्द्र गुहा ।

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

भारत की प्रथम संसद् के सप्तम सत्र का प्रथम दिवस

लोक-सभा

सोमवार, २३ अगस्त, १९५४

लोक-सभा सवा आठ बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

९ म० पू०

श्री सुरेश चन्द्र मजूमदार का देहान्त

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को श्री सुरेश चन्द्र मजूमदार के ६६ वर्ष की अवस्था में निधन की सूचना देते हुये खेद है। वह अन्तर्कालीन संसद के सदस्य थे। कई बार स्वतंत्र संघर्ष के सम्बन्ध में उन्होंने जेल की यातनायें सहीं। वह एक प्रसिद्ध पत्रकार थे और 'आनन्द बाजार पत्रिका,' एक बंगाली दैनिक, 'हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड' तथा एक अंग्रेजी दैनिक के संस्थापक थे। उनकी मृत्यु से बड़ी हानि हुई है। हमें इसके लिये शोक है। सभा शोक प्रदर्शित करने के लिये एक मिनिट तक मौनवत खड़ी हो जाये।

पटल पर रखे गये पत्र

छठे सत्र में पारित विधेयक

सचिव : श्रीमान्, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखता हूं जो संसद के दोनों सदनों द्वारा छठे सत्र, १९५४ में पारित किये गये और जिन पर राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी है।

विवरण

१. अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) संशोधन विधेयक, १९५४।
२. विनियोग विधेयक, १९५४।
३. विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५४।
४. भाग 'ग' राज्य शासन (संशोधन) विधेयक, १९५३।
५. विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५४।
६. नौवहन नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९५४।
७. विमान निगम (संशोधन) विधेयक, १९५४।
८. विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९५४।
९. विस्थापित व्यक्ति (दावे) अनुपूरक विधेयक, १९५३।
१०. प्रेस (आपत्तिजनक विषय) संशोधन विधेयक, १९५३।
११. बार्सी लाइट रेलवे (हस्तांतरित दायित्व) विधेयक, १९५४।
१२. निष्क्रांत नक्षपों का हस्तांतरण विधेयक, १९५४।

१३. विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५४ ।

१४. वित्त विधेयक, १९५४ ।

१५. लुशाई पहाड़ी जिला (नाम परिवर्तन) विधेयक, १९५४ ।

१६. अनर्हता निवारण (संसद तथा भाग 'ग' राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक, १९५४ ।

१७. विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक, १९५३ ।

१८. औषधि तथा जादुई चिकित्सा (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक, १९५३ ।

१९. भारतीय रेलवे (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५३ ।

२०. संघीय प्रयोजनों के लिये भूमि का राज्य द्वारा अर्जन (मान्यीकरण) विधेयक, १९५४ ।

२१. स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण विमुक्ति) संशोधन विधेयक, १९५३ ।

२२. कारखाना (संशोधन) विधेयक, १९५३ ।

२३. न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक, १९५३ ।

२४. पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक, १९५३ ।

२५. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक, १९५२ ।

२६. मुस्लिम वक्फ विधेयक, १९५२ ।

२७. संसद के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते विधेयक, १९५४ ।

२८. शिलांग (राइफल रेंज तथा उमलांग) छावनियां विधि आत्मसात्करण विधेयक, १९५४ ।

२९. हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर (नया राज्य) विधेयक, १९५४ ।

नारियल जटा उद्योग नियम

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं नारियल जटा उद्योग, १९५३ की धारा २६ की उप धारा (३) के अधीन, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २२२६, दिनांक ६ जुलाई, १९५४ में प्रकाशित नारियल जटा उद्योग नियम, १९५४ की एक प्रति पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई,** देखिये सं० एस- २१६/५४]

केन्द्रीय रेशम कृषिपालन गवेषणा केन्द्र, बहरामपुर सम्बन्धी प्रतिवेदन

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं केन्द्रीय रेशम कृषिपालन गवेषणा केन्द्र, बहरामपुर के संचालन की १९४९-५० और १९५०-५१ के प्रतिवेदनों की एक एक प्रति सदन पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई,** देखिये सं० एस० २१७/५४ और एस-२१८/५४ क्रमशः]

बाईक्रोमेट उद्योग के संरक्षण सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और सरकारी संकल्प

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अधीन निम्न पत्रों की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(१) बाईक्रोमेट उद्योग के संरक्षण को जारी रखने पर प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, [**पुस्तकालय में रखा गया,** देखिये सं० एस-२१९/५४] और

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प सं० ९ (१) टी बी०/५४ दिनांक ३१ जुलाई, १९५४ । [**पुस्तकालय में रखा गया,** देखिये संख्या एस-२२०/५४]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड सम्बन्धी प्रतिवेदन

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले आधे वर्ष के लिये, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के संचालन के प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस–२२१/५४**]

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन विकास परिषदों के वार्षिक प्रतिवेदन

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ की धारा ७ (४) के अधीन निम्न पत्रों की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(१) भारी रसायन (अम्ल और उर्वरक) के सम्बन्ध में विकास परिषद का ३१ मार्च, १९५४, को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये वार्षिक प्रतिवेदन। [**पुस्तकालय में रखा गया**, देखिये सं० एस–२०८/५४]

(२) इंटर्नल कम्बस्टन इंजिनों और बिजली द्वारा चलने वाले पम्पों के सम्बन्ध में विकास परिषद का १९५३–५४ के लिये वार्षिक प्रतिवेदन। [**पुस्तकालय में रखा गया**, देखिये सं० एस–२०९/५४]

(३) साइकिलों सम्बन्धी विकास परिषद का १९५३-५४ के लिये वार्षिक प्रतिवेदन। [**पुस्तकालय में रक्खा गया**, देखिये सं० एस–२१०/५४]

फोर्ड प्रतिष्ठान के अन्तर्राष्ट्रीय योजना दल द्वारा छोटे उद्योगों सम्बन्धी प्रतिवेदन और सरकारी संकल्प

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं निम्न पत्रों में से प्रत्येक की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(१) फोर्ड प्रतिष्ठान के अन्तर्राष्ट्रीय योजना दल द्वारा भारत के छोटे छोटे उद्योगों सम्बन्धी प्रतिवेदन। [**पुस्तकालय में रखा गया**। देखिये सं० एस–२११/५४] और

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संकल्प सं० ५३–कौट० इंड (ए) (१२)/५४, दिनांक ७ जून, १९५४। [**पुस्तकालय में रखा गया**, देखिये संख्या एस–२१२/५४]

छटे सत्र के पश्चात् प्रख्यापित अध्यादेश

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल क० चन्दा) : मैं संविधान के अनुच्छेद १३२ (२) (क) के उपबन्ध के अधीन, संसद के दोनों सदनों के छठे सत्र की समाप्ति के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित निम्न अध्यादेशों में से हर एक की प्रति पटल पर रखता हूं :

(१) औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय का प्रारम्भ अध्यादेश, १९५४ (१९५४ का सं० ७) [**पुस्तकालय में रखा गया**, देखिये सं० एस–२३०/५४]

(२) भारतीय आयकर (संशोधन) अध्यादेश, १९५४ (१९५४ का संख्या ८) [**पुस्तकालय में रखा गया**, देखिये सं० एस–२३१/५४]

(३) केन्द्रीय उत्पादकर और नमक (संशोधन) अध्यादेश, १९५४ (१९५४ का संख्या ९)। [**पुस्तकालय में रखा गया**, देखिये सं० एस–२३२/५४]

भारत और चीन के प्रधान मंत्रियों का संयुक्त वक्तव्य

श्री अनिल के० चन्दा : मैं भारत और चीन के प्रधान मंत्रियों के २८ जून, १९५४ को जारी किये गये संयुक्त वक्तव्य की प्रति पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य

चीन की जनवादी सरकार के प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री तत्र भवान - श्रेष्ठ चाउ-एन-लाई भारत गणराज्य के प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री तत्र-भवान परमश्रेष्ठ जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर भारत आये । वह यहां तीन दिन ठहरे । इस अवधि में दोनों प्रधान मंत्रियों ने भारत और चीन से समान रूप से सम्बन्धित अनेक विषयों पर चर्चा की । विशेष रूप से उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में शांति की आशा और हिन्द चीन सम्बन्धी जनेवा सम्मेलन से उत्पन्न स्थितियों पर विचार किया । हिन्द-चीन की स्थिति एशिया और विश्व की शान्ति के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है और दोनों प्रधान मंत्री जनेवा में किये जाने वाले प्रयत्नों की सफलता के लिये उत्सुक थे । दोनों प्रधान मंत्रियों ने युद्धविराम सम्बन्धी जेनेवा वार्ता की प्रगति पर सन्तोष व्यक्त किये । उन्हों ने आशा प्रकट की कि निकट भविष्य में ही इन प्रयत्नों को सफलता मिलेगी और परि-णामस्वरूप उक्त क्षेत्र की समस्याओं का राजनीतिक निबटारा हो जायेगा ।

२. प्रधान मंत्रियों की वार्ता का उद्देश्य जेनेवा तथा अन्यत्र चल रहे शांति-पूण समझौते के प्रयत्नों में यथासम्भव सहा-यता करना था । उनका मुख्य ध्ये एक दूसरे के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप में समझना था ताकि परस्पर और अन्य देशों के सहयोग से शांति के बनाये रखने में सहायता दी जा सके ।

३. हाल में ही भारत और चीन ने एक करार किया है जिसमें उन्होंने कतिपय सिद्धांत निर्धारित किये हैं जो दोनों देशों के सम्बन्धों का मार्ग निर्देशन करेंगे । वे सिद्धांत इस प्रकार हैं :

(१) एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुता के प्रति परस्पर सम्मान ;

(२) अनाक्रमण ;

(३) एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में निर्हस्ताक्षेप ;

(४) समानता तथा परस्पर लाभ; और

(५) शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व ।

४. इन सिद्धांतों में एक बार और अपना विश्वास प्रकट करते हुये दोनों प्रधान मंत्रियों ने अनुभव किया कि एशिया के दूसरे देशों के साथ साथ विश्व के अन्य भागों के प्रति अपने सम्बन्धों में इन्हें प्रयुक्त करना चाहिये । यदि इन सिद्धातों को विभिन्न देशों में ही नहीं प्रत्युत अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में भी सामान्य रूप से प्रयुक्त किया गया तो वे शांति और सुरक्षा की दृढ़ आधार-शिला निर्माण करेंगे और आज जो भय और आशंकायें विद्यमान हैं उनके स्थान पर विश्वास की भावना का उदय होगा । प्रधान मंत्रियों ने स्वीकार किया कि एशिया और विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न सामाजिक और राजनीतिक प्रणालियां विद्यमान हैं । यदि उपर्वर्णित सिद्धांतों को स्वीकार कर उनके अनुसार कार्य किया गया और किसी एक देश द्वारा दूसरे देश में हस्ताक्षेप नहीं किया गया तो इन

मतभेदों से शांति के मार्ग में कोई बाधा अथवा विरोध उत्पन्न नहीं होगा । एक दूसरे देश की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुता और अनाक्रमण के आश्वासन से शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और सम्बन्धित देशों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेंगे । इससे विश्व में आज जो तनाव विद्यमान है वह दूर होकर शांतिमय वातावरण की सृष्टि होगी ।

५. विशेष रूप से प्रधान मंत्रियों ने आशा प्रकट की कि इन सिद्धांतों का हिन्द-चीन की समस्याओं को हल करने में प्रयोग किया जायेगा जहां राजनीतिक निबटारे का उद्देश्य स्वतंत्र, प्रजातांत्रिक और एकीकृत तथा स्वाधीन राज्यों की रचना करना होना चाहिये जो आक्रमणात्मक प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त नहीं किये जायेंगे और न विदेशी हस्तक्षेप रहेगा । इससे इन देशों में आत्म विश्वास की भावना पैदा होने के साथ साथ उनमें और उनके पड़ोसियों में मित्रतापूर्ण सम्बन्धों की वृद्धि होगी । उपरोक्त सिद्धातों को ग्रहण करने से शांति के क्षेत्र की तैयारी में सहायता मिलेगी । परिस्थितियों के अनुसार इस क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है । ऐसा करने से युद्ध की सम्भावनाओं में कमी की जाकर सम्पूर्ण विश्व में शांति के उद्देश्य को दृढ़ किया जा सकता है ।

६. प्रधान मंत्रियों ने भारत और चीन की मित्रता में विश्वास व्यक्त किया । इस से विश्व शांति को सम्बल प्राप्त होकर दोनों देशों और एशिया के दूसरे देशों के शांतिपूर्ण विकास में सहायता मिलेगी ।

७. इस वार्ता का उद्देश्य एशिया की समस्याओं को अधिक अच्छे प्रकार समझने में और विश्व के दूसरे देशों के सहयोग से इन्हें तथा इसी प्रकार की दूसरी समस्याओं को हल करने के शांतिपूर्ण और सहकारिता युक्त प्रयत्न में बढ़ावा देना था ।

८. प्रधान मंत्रियों ने स्वीकार किया कि दोनों देशों को परस्पर निकट सम्पर्क बनाये रखना चाहिये ताकि उनमें पूर्ण सौहार्द बना रहे । उन्होंने दोनों की एक साथ भेंट और विचारों के पूर्ण आदान प्रदान के वर्तमान अवसर के पूर्ण महत्व को समझा जिससे परस्पर सौहार्द की वृद्धि होकर शांति के कार्य में सहयोग मिला है ।

समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम क अधीन अधिसूचनायें

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : समुद्र सीमाशुल्क (संशोधन) अधिनियम १९५३ द्वारा की गई समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम १८७८ में प्रविष्ट की गई धारा ४३ ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत सीमाशुल्क अधिसूचनाओं संख्या ४९ और ५०, दिनांक २९ मई, १९५४ की एक एक प्रति मैं पटल पर रखता हूं **[पुस्तकालय में रखी गई** । देखिये क्रमशः संख्या एस० २२८।५४ तथा २२९/५४]

सीमाशुल्क और मैं उक्त उप-धारा के अधीन, अधिसूचनाओं संख्या ५१ और ५२ , दिनांक २८ मई, १९५४ की भी एक एक प्रति पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई** । देखिये क्रमशः संख्या एस–२१४।५४ तथा एस–२१५।५४] ।

चलचित्र अधिनियय के अधीन अधिसूचनायें

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : मैं पटल पर चलचित्र अधिनियम, १९५२ की धारा ८ (३) के अधीन चलचित्र (विवाचन) नियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति रखता हूं :—

(१) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १८३४ दिनांक २६ सितम्बर, १९५३ । **[पुस्तकालय में रखी गई** । देखिये संख्या **एस–२२२।५४]**

(२) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १९२४, दिनांक ८ अक्टूबर, १९५३ ; [**पुस्तकालय में रखी गई** । देखिये सं० एस–२२३/५४]

(३) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १३०, दिनांक ६ जनवरी, १९५४ ; [**पुस्तकालय में रखी गई** । देखिये संख्या एस–२२४/५४]

(४) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३९७, दिनांक ३० जनवरी, १९५४ ; [**पुस्तकालय में रखी गई** । देखिये संख्या एस–२२५/५४]

(५) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ६२५, दिनांक १६ फरवरी, १९५४; [**पुस्तकालय में रखी गई** । देखिये संख्या एस–२२६/५४]

अनुदानों की मांगों (रेलवे), १९५४-५५ सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैं पटल पर अनुदानों की मांगों (रेलवे), १९५४-५५ के सम्बन्ध में सदस्यों से प्राप्त ज्ञापनों के उत्तरों वाले कुछ और विवरणों की एक एक प्रति रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई** । देखिये सं० एस–२२७/५४]

प्रेस आयोग का प्रतिवेदन, भाग १, १९५४

डा० केसकर : मैं पटल पर प्रेस आयोग के प्रतिवेदन, भाग १, १९५४ की एक प्रति रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई** । देखिये संख्या एस–२३३/५४]

दोनों सदनों की विशेषाधिकार समितियां

संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन का उपस्थापन

गृह तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं लोक-सभा तथा राज्य सभा की विशेषाधिकार समितियों की संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन को उपस्थित करता हूं । उन से उस प्रक्रिया की जांच करने को कहा गया था जो दूसरे सदन के सदस्य द्वारा विशेषाधिकार भंग करने अथवा सदन का अवमान करने का आरोप लगाये जाने की दशा में अपनाई जाये ।

सदन का कार्य

श्री ए० के० गोपालन : (कन्नानूर) प्रक्रिया के प्रश्न पर मैं कुछ विषयों में प्रधान मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

अन्तर्काल में, वैदेशक नीति के क्षेत्र में सारे विश्व के लिये महत्वपूर्ण कार्य हुये हैं । प्रधान मंत्री को एक दिन उन पर वाद-विवाद के लिये शीघ्र ही निश्चित करना चाहिये । भारत की पुर्तगाली तथा फ्रांसीसी बस्तियों में जो कुछ हो रहा है उससे जनता में बड़ी सनसनी है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब पिछला सत्र समाप्त हुआ तो हम विशेष विवाह विधेयक पर वादविवाद कर रहे थे । मुझे आश्चर्य है कि उसे सदन के कार्यक्रम में क्यों नहीं रखा गया है ? सरकार सामाजिक विधानों में जानबूझकर विलम्ब कर रही है ।

तीसरी बात यह है कि बिहार, पश्चिमी बंगाल, आसाम तथा उत्तर प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों के बारे में सदन पूर्ण विवरण जानना

चाहता है और ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर वादविवाद के लिये एक दिन पृथक नियुक्त किया जाय, ऐसी मेरी इच्छा है ।

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं विरोधी सदस्य से पिछले दो तीन महीने में हुये अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों तथा इस विषय में सभा का पूर्ण ध्यान आकर्षित करने के सम्बन्ध में सहमत हूं । मैं ने सूचना दे दी है कि मैं सभा में वैदेशिक कार्यों के सम्बन्ध में परसों वक्तव्य दूंगा किन्तु मेरा सुझाव यह है कि उस पर तथा अन्य सम्बधित वैदेशिक विषयों पर वाद-विवाद बाद में हो ताकि हम उन पर पूर्णतया विचार कर सकें ।

ये निसन्देह बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं और मैं परसों काफी बड़ा वक्तव्य देना चाहता हूं ।

विशेष विवाह विधेयक के लिये मैंने पूछताछ की है और वह अगले सप्ताह में सब से पहले रखा जायेगा । काम को सुविधानुसार जमाना सदन का कार्य है और जहां तक सरकार का सम्बन्ध है वह बड़ी उत्सुक और कटिबद्ध है कि वह जल्दी ही पारित हो ।

बाढ़ की स्थिति के लिये, मेरी यह समझ में नहीं आया कि हम यहां एक दिन बहस करके उस स्थिति में क्या लाभ पहुंचायेंगे ।

यह ठीक है कि सभा को इस विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है और उस में किसी प्रश्न पर बहस की जा सकती है । मेरे साथी समय समय पर स्थिति का विवरण देते रहेंगे । मेरे साथी गृह मंत्री कल इसका विवरण देगें और मेरे साथी सिंचाई तथा विद्युत मंत्री जो वास्तव में उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, वहां से लौटने पर आंखों देखी जानकारी देंगे ।

अध्यादेशों का प्रख्यापन

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापत्तनम्) : पिछले सत्र के बाद जो तीन अध्यादेश लागू किये गये वे पटल पर रखे गये हैं । श्रीमान्, १६ फरवरी को आप ने कहा था कि असाधारण स्थिति के अतिरिक्त सरकार को ऐसे अध्यादेश जारी नहीं करने चाहियें और ये तीन वित्त सम्बन्धी हैं और दिन प्रति दिन के कार्य सम्बन्धी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर काफी विवाद हो चुका है और माननीय सदस्य को तीन बार पुनः अवसर मिलेगा जब ये अध्यादेश विधेयक बनकर प्रस्तुत होंगे

डा० लंका सुन्दरम् : मैं तो केवल एक प्रक्रिया को सुझा रहा हूं जो इस प्रकार होनी चाहिये.....

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । अभी मैं इसे उचित नहीं समझता । बाद में आप को अवसर मिलेगा ।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : गोआ के तथा भारत में पाकिस्तानी झंडा फहराने के मेरे स्थगन प्रस्तावों का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें लेने वाला हूं । प्रधान मंत्री के कथन के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वे समाप्त हो गये ।

स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : यहां अनेक स्थगन प्रस्ताव हैं जिनका मैं निर्देश कर देता हूं और प्रस्तुत कर्ताओं के नाम बतला देता हूं ।

पाकिस्तानी झंड का फहराया जाना

डा० एन बी० खरे का स्थगन प्रस्ताव भारतीय सीमा में पाकिस्तानी झंडा फह

राया गया, इस बारे में है । यह सारे देश से सम्बन्ध रखने वाला नहीं है । यह विषय ग्राह्य नहीं है । इसे मेरे विचार से हैदराबाद विधान सभा में रखा गया था ।

भारतीय राष्ट्रजनों के पुर्तगाली क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबन्ध

दूसरा भारतीयों के पुर्तगाली सीमा में प्रवेश पर सरकारी तौर से लगाई गई रोक के सम्बन्ध में है । इस विषय में प्रधान मंत्री ने विवरण देने को कहा है अतः इस की आवश्यकता नहीं है ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : श्रीमान्, प्रस्ताव रखते समय हमे क्या पता था कि प्रधान मंत्री का इस विषय में भाषण होगा ।

अध्यक्ष महोदय : हां, तो मैं आपकी बुद्धि की आलोचना नहीं कर रहा हूं ।

गोआ में विशेष सांस्कृतिक स्थिति बनाये रखने का आश्वासन

अध्यक्ष महोदय : तीसरा प्रस्ताव प्रधान मंत्री द्वारा गोआ में विशेष सांस्कृतिक स्थिति बनाये रखने के आश्वासन के सम्बन्ध में है । यह भी गोआ के विषय में है। अतः इसकी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है ।

पुर्तगाली सेना द्वारा नृशंस हत्याएं

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव पुर्तगाली सेना द्वारा निःशस्त्र स्वयं-सेवकों की नृशंस हत्याओं के बारे में है । इसका भी वही उत्तर है ।

बिहार, आसाम, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में बाढ़

अध्यक्ष महोदय : श्री कृपलानी का यह प्रस्ताव बिहार, आसाम, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश की बाढ़ तथा उस से हुई हानि के बारे में है ।

अभी उसका पूरा विवरण ज्ञात हो जाना आवश्यक है अतः मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

आचार्य कृपलानी (भागलपुर-पूर्णिया) : विवरण कब रखा जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : कल ।

आचार्य कृपलानी : क्या हम बहस कर सकेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : सब हाल ज्ञात होने दीजिये । माननीय गृह मंत्री कल विववरण रखेंगे । प्रधान मंत्री ने कहा कि उस पर बहस के लिये कुछ समय अलग दिया जायगा ।

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैंने कहा था कि यदि आप और सभा चाहती है तो बहस हो सकती है किन्तु मुझे पता नहीं कि हम बहस किस बात पर करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक दूसरा विषय है । खैर, अभी इस प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

आचार्य कृपलानी : यदि वादविवाद की आज्ञा दी गई तो इससे स्थानीय तथा केन्द्रीय सरकार शीघ्र ही पीड़ितों की सहायता कर सकेगी क्यों कि नदियों में पानी चढ़ रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : पहले सब बातें मालूम हो जाने दीजिये ।

पंडित एस० सी० मिश्र (मुंगेर उत्तर पूर्व) : अनेक सदस्य बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के हैं और वादविवाद में बहुत सी बातें ज्ञात हो सकती हैं ।

अध्यक्ष महोदय परन्तु सरकार को ज्ञात तथ्य का तो हमें पता लग जाना चाहिये

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस सम्बन्ध में हमारा माननीय सदस्यों से मतभेद नहीं है। हमें अपनी योग्यता के अनुसार स्थिति को सुधारना है। हमें इस समय तो एक साथ मिलकर सुझाव रखने चाहियें तथा हम भी प्राप्य जानकारी उनके सामने रखेंगे।

यह समस्या दो प्रकार से हल हो सकती है। एक तो सहायता देकर तथा दूसरे भविष्य के लिये रोक थाम की जाये। रोक थाम बड़ी कठिन है। इस वर्ष की ये बाढ़ें भारत वर्ष में ही अपूर्व-वर्ती नहीं थी प्रत्युत कई अन्य देशों में भी पहले कभी नहीं आई थी। चीन में इतनी रोक थाम के पश्चात् भी कितनी बाढ़ें आई। तिब्बत में जहां पहले कभी बाढ़ नहीं आई वहां पूरे शहर साफ हो गये। बड़े बड़े उपाय आवश्यक हैं बड़ा स्थान बाढ़ के लिये छोड़ दिया जाये यह भी हो सकता है और उसका नियमन नहीं किया जाये अतः बहुत से प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है तथा निर्णय लोक-सभा में रख दिया जायेगा।

दूसरा महत्व पूर्ण प्रश्न सहायता का है। परन्तु समय की कमी के कारण हम इस पर पूर्णतया विचार भी नहीं कर सकते। अतः मैं चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य इस पर विचार प्रकट करना चाहते हों वे औपचारिक वाद-विवाद को छोड़ कर, हम से मिल सकते हैं तथा सुझाव दे सकते ह।

आचार्य कृपलानी : प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है वह तो वाद-विवाद करने के पक्ष में एक तर्क है। समस्या गंम्भीर होने के कारण, वाद-विवाद से सहायता मिल सकती है।

अध्यक्ष महोदय : इस समय तो स्थगन-प्रस्ताव की ग्राह्यता का प्रश्न है तथा यदि यह प्रस्ताव की अनुमति दे भी दी गई तो भी केवल दो घंटे का समय दिया जा सकता है जो कि बहुत कम है। हमें इस विषय का अभी पूर्ण ज्ञान भी नहीं है। हमें अभी रुकना पड़ेगा। अतः इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं है।

भारत के पुर्तगाली राज्य क्षेत्रों में सत्याग्रहियों का निरोध

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव है :

"१५ अगस्त तथा उसके बाद राष्ट्रीय झंडे के अनादर, जीवन आहुति तथा सत्याग्रहियों के कष्ट तथा निरोध के परिणाम स्वरूप, भारत के पुर्तगाली राज्य क्षेत्रों में, गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है"।

इस पर भी वक्तव्य दिया जायेगा।

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : गोआ की समस्या गंभीर हो गई है तथा प्रधान मंत्री ने यह नहीं बताया कि इस पर विचार कब होगा।

सारे देश का ध्यान गोआ की ओर है अतः हमें वैदेशिक नीति के साथ गोआ की समस्या को नहीं मिलाना चाहिये अतः इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : गोआ के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री का वक्तव्य २५ तारीख को है।

श्री अशोक मेहता : उन्होंने तो केवल वैदेशिक नीति पर वक्तव्य देने को कहा है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने वैदेशिक नीति पर, जिसमें गोआ भी सम्मिलित है, वक्तव्य देने को कहा है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने लम्बा वक्तव्य देने का वचन दिया है।

श्री अशोक मेहता : तब वैदेशिक नीति में ही गोआ पर विचार होगा, अलग नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : वैदेशिक नीति के साथ साथ , गोआ से सम्बन्धित विचार होगा ।

श्री अशोक मेहता : मेरे विचार से लोक-सभा गोआ पर अलग विचार करना चाहती है ।

अध्यक्ष महोदय : हमें वक्तब्य तक रुकना है । वहां भी स्थिति बदल रही है ।

श्री अशोक मेहता : संसार से सम्बन्धित गोआ से संबंधित नहीं ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : जब आप गोआ से संबंधित सभी प्रस्तावों को नियम बाह्य कर रहे हैं तब मैं प्रधान मंत्री से पूछता हूं कि वैदेशिक नीति पर चर्चा कब होगी क्योंकि हम सब इसको शीघ्र चाहते हैं जबकि प्रधान मंत्री ने बताया कि बाद में होगी ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : हिन्दू विवाह विशेष विधेयक के स्वीकार होने के पश्चात् । (अन्तर्बाधा)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायेंगे । अब इस विषय पर अधिक समय की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अशोक मेहता : हम शीघ्र अवसर चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : लोक-सभा में कार्य की सुविधानुसार, शीघ्र ही अवसर दिया जायगा ।

गोआ में सत्याग्रहियों के प्रवेश पर लगाई गई रोक

अध्यक्ष महोदय श्री पी० एन० राज भोज का प्रस्ताव है :

"भारत सरकार द्वारा भारतीय सत्याग्रहियों को गोआ में घुसने से रोक देने से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है जिस के कारण शीघ्रातिशीघ्र भारतीय राजक्षेत्र से उपनिवेशों को हटाने में कठिनाईयां उत्पन्न हो गई हैं ।"

यह भी पहले के समान रोक दिया गया ।

मथुरा में दंगे

अध्यक्ष महोदय : अब श्री वी० जी० देशपांडे का स्थगन प्रस्ताव है :

"मथुरा में हिन्दू-मुसलमानों के उपद्रव के कारण, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के एक मन्दिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति तोड़ दी गई ।"

गोआ मुक्ति के सत्यग्रही

अध्यक्ष महोदय : श्री वी० जी० देशपांडे का दूसरा स्थगन प्रस्ताव है :

"१५ अगस्त १९५४ को पुर्तगाली भारत के सीमा क्षेत्र पर गोआ मुक्ति के सत्यग्रहियों का बन्दीकरण ।"

निज़ामाबाद में पाकिस्तानी झंडे का फहराया जाना

अध्यक्ष महोदय : उन्हीं माननीय सदस्य का तीसरा प्रस्ताव इस प्रकार है :

"हैदराबाद राज्य में निज़ामाबाद में १५, अगस्त, १९५४ को, पाकिस्तानी झंडे का फहराया जाना ।"

मैं कारण पहले ही बता चुका हूं, अतः इन प्रस्तावों को प्रस्तावित करने की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री वी० जी० देशपांडे : मुझे मथुरा कांड के संबंध में कुछ कहने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस समय इसकी आवश्यकता नहीं समझता ।

सभापति तालिका

अध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम ९ के उपनियम (१) के अन्तर्गत में पहले सदस्यों के स्थान में इन सदस्यों को नाम निर्देशित करता हूं, अर्थात, पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्री एच० वी० पाटस्कर, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्रीमती वी० खोंगमेन, सरदार हुक्म सिंह तथा श्री उपेन्द्र नाम बर्मन ।

सदस्य द्वारा पदत्याग

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को सूचना देता हूं कि श्री के० कामराज ने ९ अगस्त, १९५४ से सभा में अपने स्थान का त्याग कर दिया है ।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर): औचित्य प्रश्न है कि सदन में "हिन्दू विशेष विवाह विधेयक" नामक कोई विधेयक पेश नहीं है । अतः इस शब्द को कह कर हिन्दू महासभा के नेताओं पर अथवा सारी हिन्दू जाति पर व्यंग कसा गया है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को शब्दों पर नहीं जाना चाहिये । उनको यह तो ज्ञात है ही कि इस प्रकार का विधेयक सभा में है ।

श्री नन्द लाल शर्मा : हिन्दू विशेष विवाह नाम का कोई विधेयक नहीं है ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं माननीय सदस्य के सुझाव पर, अपने को ठीक करने के लिए तत्पर हूं ।

खाद्य अपमिश्रण विधेयक

अध्यक्ष महोदय : सदन में अब प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित खाद्य अपमिश्रण के निवारण का उपबंध करने वाले विधेयक पर चर्चा होगी ।

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि* :

> "खाद्य अपमिश्रण के निवारण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाय ।"

[**पंडित ठाकुरदास भार्गव** पीठासीन हुए ।]

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस विधेयक के पारण क्षण बहुत समीप हैं । यह नवम्बर १९५२ में प्रस्तावित हुआ । १४ फरवरी १९५३ को प्रवर समिति का प्रतिवेदन आया तथा एक वर्ष चार मास तक यह सभा में नहीं लाया जा सका । इसका मुझे बहुत खेद है क्योंकि इसको तो शीघ्रातिशीघ्र पारित हो जाना चाहिये था । राज्यों की विधियों पर्याप्त कठोर न होन के कारण वे भी बहुत उत्सुक हैं ।

अतः आशा करती हूं कि सभा सब संशोधनों पर शीघ्रातिशीघ्र विचार करेगी । मुझे खेद है कि माननीय सदस्यों के संशोधन मुझे शनिवार को ही मिले जिससे मैं उन पर विचार करके अपने संशोधन प्रस्तुत न कर सकी । इन संशोधनों का विधेयक पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रवर समिति ने इसकी पूरी जांच की है ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तावित हुआ ।

श्री कासलीवाल (कोटा झालावाड) : यह जो बिल आज हाउस के सामने मंत्री महोदय ने रक्खा है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है । जैसा कि अभी उन्होंने फरमाया और उसके साथ साथ थोड़ा अफसोस भी जाहिर किया कि यह बिल १९५२ के अन्दर इस हाउस में प्रस्तुत हुआ था, मगर सन् १९५३ की फरवरी में भी जब कि सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट हुई उसके बाद भी इस हाउस में डेढ़ साल तक यह बिल नहीं आया । इससे मैं यह समझता हूं कि शायद मंत्री महोदय यह समझती होंगी कि यह बिल इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मगर अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है । मैं उन चीजों को आज फिर दुहराना नहीं चाहता जो चीजें हाउस में उस वक्त कही थीं जिस वक्त कि यह बिल कंसिडरेशन स्टेज में था मगर यह मिलावट का रोग जिस तरह से सारे देश भर में फैला हुआ है उसके लिहाज से यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

अध्यक्ष महोदय, यह बिल सेलेक्ट कमेटी से होकर इस हाउस में आया है। मैं यह कह सकता हूं कि यह बिल अब कहीं ज्यादा अच्छा बन गया है । पहले इसके अन्दर कई खामियां थीं, अब बहुत सी खामियों को दूर कर दिया गया है । मेरे लायक दोस्त मिस्टर मुकर्जी और मिस्टर रामा राव ने मिनट आफ डिस्सेंट भी पेश किया है जिसमें उन्होंने एक बात जाहिर की है कि जो बिल के पैनेल क्लाजेज हैं, उन को थोड़ा कम कर दिया जाय । उन्होंने इस से मुखालफत जाहिर की है अगर पहली दफ़ा जुम हो तो एक साल की सजा हो और दूसरी दफ़ा जुर्म करे तो दो साल की सजा हो और तीसरी दफा जुर्म करे तो चार साल की सजा हो । इन पैलेन क्लाजेज के मुताल्लिक अपनी मुख्तलिफ राय जाहिर की है, मैं उनसे तिफ़ाक नहीं करता हूं, मैं समझता हूं कि जिस क़िस्म से सेलेक्ट कमेटी ने अपनी राय जाहिर की है, उसके लिहाज से यह बिल बहुत ठीक है । मेरे लायक़ दोस्त श्री रामास्वामी या एक दो मेम्बर साहबान ने कुछ अमेंडमेंट्स भी पेश किये हैं और उन अमेंडमेंट्स में उन्होंने यह बताया है कि जो सजा इस मिलावट को रोकने के लिये इस बिल में प्रोवाइड की गई है वह सजा बहुत है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज जब कि इस मिलावट का रोग तमाम जगह फैल चुका है, उसको ध्यान में रखते हुए सेलेक्ट कमेटी ने जो इस बिल के बारे में अपनी रिपोर्ट दी है उस लिहाज से यह पैनेल क्लाजेज बहुत ठीक हैं और मैं समझता हूं कि न उनमें कमी करने की जरूरत है और न ही सजा के अन्दर कोई वेशी चीज करने की जरूरत है । यह जो बिल आया है यह जैसा है ठीक है ; मगर मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह मिलावट का रोग ऐसा है जो खाली इस किस्म के क़ानून से बंद हो सकता है ? मैं यह अर्ज करूंगा कि यह नहीं हो सकता । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस क़िस्म का कोई क़दम उठाया कि जिसकी वजह से समाज में इस रोग को खत्म करने के लिये जागृति पैदा हो, मैं पूछना चाहता हूं कि समाज में उन्होंने इस किस्म की भावना पैदा करने की कोशिश की कि जो मिलावट खाने पीने की चीजों में हो रही है उसको किस तरह से कम किया जाय या लोग इस बात को समझें कि यह मिलावट नहीं होनी चाहिये ? मैं यह कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि मंत्राणी महोदय ने इस क़िस्म का कोई क़दम नहीं उठाया , सिर्फ़ इस क़िस्म का क़ानून ले आये,मैं मानता हूं कि इसकी रोकथाम के लिये इस क़िस्म का कानून होना जरूरी था मगर उनको इस क़िस्म का क़दम उठाना चाहिये जिससे समाज के अन्दर यह भावना फले क्योंकि यह एक सोश्यल इविल है और

जब तक शोश्यल कांशसनेस जनता में पैदा नहीं होती तब तक यह बिल एक फिज़ूल बिल रहता है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्राणी महोदया जब रूल्स बनायें तब यह बात याद रखें कि जब फूड स्टैन्डर्ड्स की कमेटी क़ायम हो तो उस कमेटी का फ़र्ज़ होगा कि पबलिक में उसके लिये प्रोपेगेंडा करे, पोस्टर्स लगायें, स्पीचेज़ दें और रेडियो से इस बात का प्रचार करें कि इस क़िस्म की मिलावट खाने पीने की चीजों में न की जाय। मैं चाहता हूं कि मंत्राणी महोदया इस ओर ध्यान दें। एक छोटा सा अमेंडमेंट भी इसके सिलसिले में मैंने पेश किया है और वह अमेंडमेंट क्लाज़ तीन के अन्दर है, उसकी मंशा सिर्फ यही है कि जब फूड स्टैन्डर्ड्स की कमेटी क़ायम हो तो उसका भी यह फ़र्ज़ हो कि वह इस क़िस्म का जगह जगह प्रोपेगेंडा करे। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके मुताल्लिक और कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्राणी महोदया मेरा जो यह संशोधन है उसको मंजूर करेंगी।

एक चीज और है जो मैं कहना चाहता हूं और जिसके ऊपर मैं इस हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कई दफ़ा इस हाउस के अन्दर वनस्पित घी के सम्बन्ध में डिबेट हुई है और बार बार यह कहा गया है कि अच्छा घी आज मिल नहीं पाता है और बारबार वनस्पित असली घी में मिलाया जा रहा है। गवर्नमेंट ने भी इस बात को कहा कि हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वनस्पति में एक क़िस्म का रंग मिला दें जो नुक़सान रहित हो ताकि उसको उसली घी में मिलाया न जा सके मगर आज तक गवर्नमेंट ने वनस्पित को रंगने की दिशा में कोई सक्रिय क़दम नहीं उठाया। मैं यह चाहता हूं कि मंत्राणी महोदया इस हाउस को इस बात का आश्वासन दें कि वह बहुत जल्दी इस ओर क़दम उठायेंगी और देखेंगी कि वनस्पित घी के अन्दर जो रंग मिलाया जाता है, उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाय। मैं यह समझ नहीं सकता कि आज हमारे देश के वैज्ञानिक इस योग्य नहीं हैं कि वह एक क़िस्म का ऐसा रंग पेश न कर सकते हों जो वनस्पित में मिलाया जा सके जिससे यह ज़ाहिर हो सके कि यह वनस्पित घी है और यह असली घी है। मैं यह कह कर अध्यक्ष महोदय, इसको सपोर्ट करता हूं।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : मैं इसका स्वागत करते हुये बता देना चाहता हूं कि सरकार इसके सम्बन्ध में अधिक उत्सुक नहीं थी। जैसा कि माननीय मंत्री ने स्वयं बताया है, यह विधेयक इतने दिन पश्चात् सभा में पेश हो रहा है। मैं प्रवर समिति का सदस्य था तथा इसका महत्व समझते हुये समिति ने अपना प्रतिवेदन शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत कर दिया परन्तु सरकार के पास इस विधेयक के लिये कोई समय नहीं था।

१९३७ में अंग्रेजों के काल में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंडली ने एक समिति इस पर विचार करने के लिये नियुक्त की थी परन्तु १९३९ तक उसकी कोई बैठक नहीं हुई। अब इस सरकार ने भी अधिक ध्यान इस पर नहीं दिया है। मैं मंत्री जी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं क्यों कि अब महत्वपूर्ण विषयों के कारण इस पर इतने लम्बे समय तक ध्यान नहीं दिया गया जब कि यह बहुत आवश्यक विषय था।

मैं मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछूंगा। खंड १ में 'खाद्य' शब्द की परिभाषा दी गई है जो अत्यंत व्यापक है। मनुष्य के खाने की सभी चीजें, इसमें आजायेंगी। अतः क्या यह विधेयक तत्काल सभी खाद्य पदार्थों पर लागू हो जायेगा अथवा उन खाद्य पदार्थों पर जिनकी सरकार घोषणा करे ?

[श्री एस० एस० मोरे]

अन्यथा इस विधेयक के द्वारा सभी खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण करने के कारण दंड मिलेगा जिसके कि अवांछनीय परिणाम हो सकते हैं ।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या हम इसको अस्थायी तौर पर लागू कर सकते हैं ? इस खंड में लिखा है कि सरकार अधिसूचना निकालेगी परन्तु यह नहीं कि यह अस्थायी रूप में भी लागू हो सकेगा या नहीं । जैसे साधारणतया किसी क्षेत्र में यह आवश्यक नहीं है परन्तु उस क्षेत्र में मेला आदि होने के कारण यदि उसकी आवश्यकता समझी जायगी तो यह अस्थायी तौर पर लागू होगा अथवा नहीं ?

खंड १ में कोई विशेष उपबन्ध नहीं है । बहुत से राज्य अधिनियम हैं । उदाहरणार्थ, बिहार अधिनियम में कहा गया है कि कोई विशिष्ठ अधिसूचना कुछ समय के लिये लागू की जा सकती है । कोचीन, कुर्ग, मद्रास अधिनियमों में भी ऐसा ही उपबन्ध है । मेरा विचार है कि इसमें भी कुछ समय के लिये लागू करने का ऐसा ही उपबन्ध होना चाहिये ।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि इस विशिष्ठ विधि को लागू करने में स्थानीय संस्थाओं का बड़ा हाथ होगा । मैं तो यह कहूंगा कि जब केन्द्रीय या राज्य सरकार इस विधि को लागू करने की अधिसूचना निकाले, उससे पहले उसे प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की स्थानीय संस्थाओं का मत अवश्य जान लेना चाहिये । इस अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है । हो सकता है कि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अपने ही उत्तरदायित्व पर इस विधि को किसी विशिष्ठ क्षेत्र पर लागू करने की अधिसूचना निकाले । सम्भावना इस बात की भी है कि स्थानीय संस्थाओं की वित्त-स्थिति अच्छी न हो अथवा उनकी प्रशासकीय व्यवस्था इतनी बड़ी न हो जो उत्तरदायित्व का पालन कर सके । यदि यह उत्तरदायित्व उन पर उनकी इच्छा के विरुद्ध थोप दिया जाता है तो हम यह भली प्रकार समझ सकते हैं कि वे इस विधि को किस प्रकार लागू करेंगे ।

इस खंड-विशेष में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार को, अधिसूचना को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है । अधिसूचना निकालने वाले प्राधिकार को यह अधिकार न होने का यह अर्थ लगाया जा सकता है कि एक बार अधिसूचना निकलने के पश्चात् मामला उनके हाथ से निकल जाता है और वे इसे न तो वापस ले सकते हैं और न ही इसमें संशोधन कर सकते हैं । यह एक संभावना है जिसके लिये हमें स्पष्ट उपबन्ध अवश्य करना चाहिये ।

अब मैं परिभाषा-खंड पर आता हूं । मैं मानता हूं कि इस खंड में दी गई 'अप मिश्रण' की परिभाषा बड़ी व्यापक है । परन्तु, सभापति महोदय, आप जानते हैं कि कृषक खाद्यान्न पैदा करते हैं । उनमें से बहुत से अनपढ़ तथा अनजान होने के कारण यह नहीं जानते कि स्वास्थ्यजनक कैसी होती है जिसमें उन्हें अपना अन्न अथवा कृषि-उपज रखनी है । अतः वे उन्हें ऐसी स्थितियों में रखते हैं जो अस्वास्थ्यकर मानी जा सकती हैं । वे स्वयं ही इस खंड के अन्तर्गत आ जायेंगे । इस प्रकार यह विवेकशून्य खाद्यान्न निरीक्षकों के लिये शरारत करने का एक साधन बन जायेगा । मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस बात पर ध्यान दें कि खंड विशेष का अनजान कृषकों के विरुद्ध प्रयोग न किया जाये ।

अपमिश्रण की विस्तृत परिभाषा करने के उपरान्त हमने कुछ वस्तुओं की परिभाषा नहीं की है। कुछ राज्यों के अधिनियमों में मैंने देखा है कि बहुत सी वस्तुओं की परिभाषा की गई है। दूध, मलाई उतारा हुआ दूध, मक्खन, दही, मट्ठा घी, कृयिम, घी, बेकार घी, गोला-तेल, तिल-तेल, मूंगफली-तेल, अलसी-तेल, सरसों-तेल, आदि की परिभाषायें विभिन्न राज्यों के अधिनियमों में दी गई हैं। इनके अतिरिक्त बनस्पति, चरबी तथा जमाये हुये तेल की भी परिभाषायें राज्यों में की गई हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें इस विधि में ही इन सबं की परिभाषायें देनी चाहियें। इस विधि से प्रभावित होने वाले व्यापारियों के हित की दृष्टि से हमें इन की परिभाषा करनी चाहिये। विगत नवम्बर की चर्चा में आपने ईमानदार व्यापारियों के पक्ष में आवाज उठाई थी। यद्यपि इस विधि का उद्देश्य अपमिश्रण करने वाले व्यापारियों, वितरण करने वाले तथा निर्माण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करना है, परन्तु हो सकता है कि इससे ईमानदार व्यापारियों को हानि हो। इसका कारण यह है कि अपमिश्रण करने वाले व्यक्ति भ्रष्टाचार करने से भी न चूकेंगे और निरीक्षक विभाग के पंजों से बचने का प्रयास करेंगे। इस लिये, ईमानदार व्यापारियों की भलाई के लिये विधि में ही यथासम्भव विस्तृत व ठीक परिभाषायें दी जानी चाहियें ताकि उन्हें यह विदित हो जाये कि उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है और उनका ध्यान न रखने पर वे इस विधि के दण्ड सम्बन्धी उपबन्ध के अन्तर्गत आ जायेंगे।

१० म० पू०

इस अधिनियम को लागू करने से संबन्धित बहुत सी बातें राज्य सरकारों पर छोड़ दी गई हैं। राज्य सरकारों ने यह अधिनियम पारित कर दिया है और इसे अपने सारे क्षेत्रों में लागू कर दिया है। उन्होंने इस अधिनियम को ऊपरी मन से शहरी क्षेत्रों में लागू किया है और इसका प्रभाव यह हुआ है कि अपमिश्रित खाद्य-पदार्थों के व्यापारी गांव में व्यापार करते हैं। वे ऐसा इस कारण करते हैं कि यदि वे नगरों में अपमिश्रण करें तो कदाचित पकड़ लिये जायेंगे। उदाहरण के लिये पूना को लीजिये। बम्बई अधिनियम वहां लागू कर दिया गया है परन्तु वहां सरकारी व्यवस्था आवश्यकतानुसार नहीं है। वहां अपमिश्रण होता है। उच्च न्यायालय ने इस मामले की ओर बड़ा ही वास्तविक रुख स्वीकार किया जिसके परिणामस्वरूप दूध बेचने वाले कहते हैं "इसमें २५ प्रतिशत पानी है, इसमें ३० प्रतिशत पानी है।" इस स्थिति में जब मामला उच्च न्यायालय में गया तो उसने कहा "दूध बेचने वाले ने पहले ही बता दिया था कि इसमें इतना मिश्रण है। अतः उसने कोई अपराध नहीं किया है।" मैं समझता हूं कि हमें किसी ऐसी बात की गुंजायश नहीं रखनी चाहिये। अतः मैं मंत्रिणी महोदया से सविनय निवेदन करता हूं कि वे इस विधि को हर प्रकार सफल बनाने का ध्यान रखेंगी।

हमने स्थानीय प्राधिकार की परिभाषा की है, परन्तु हमारी इस परिभाषा में स्थानीय संस्थाओं का ध्यान नहीं रखा गया है, विशेष कर उन संस्थाओं का जो गांव में काम कर रही हैं।

राजकुमारी अमृतकौर : क्या मैं यहां हस्तक्षेप कर सकती हूं और माननीय सदस्य को उस सरकारी संशोधन का निर्देश कर सकती हूं जिसमें पंचायतें भी सम्मिलित हैं?

श्री एस० एस० मोरे : नगरों को छोड़ कर सारा क्षेत्र जिला बोर्ड के अधीन होता है । इन जिला तथा स्थानीय बोर्डों को सम्मिलित करना चाहिये और उन से परामर्श लेना चाहिये । यह उनका क्षेत्र है और उनके बिना इस विधि को लागू करना बड़ा कठिन है । पंचायतें जिला बोर्डों की चालक मानी जाती हैं । यह ठीक नहीं है कि माता पिता को भुला कर बालकों की पूछ की जाये ।

खाद्य निरीक्षकों के बारे में मैं नहीं जानता कि हम कैसे व्यक्ति रखेंगे । विधेयक के खण्ड ९ के परन्तुक में कहा गया है "ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्त किया जायेगा जिसे किसी खाद्य पदार्थ के निर्माण, आयात या विक्रय में वित्तीय रुचि होगी"। श्रीमान्, मैं आपको बताता हूं कि यहां शब्द "आयात" रखने से वे लोग इस परन्तुक के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं जो निर्यात करते हैं । अतः अपमिश्रित खाद्य पदार्थों का निर्यात करने वाले लोग खाद्य निरीक्षक नियुक्त होने के लिये सर्वथा अर्ह होंगे । यह उचित नहीं है । सार्वजनिक विश्लेषक सम्बन्धी खण्ड ८ में भी यही कठिनाई होगी क्योंकि वहां भी परन्तुक में केवल "आयात" शब्द का उल्लेख है । मुझे आशा है कि इस से कम मंत्रिणी महोदया सभा की इस ओर से दिये जाने वाले सुझाओं का भी स्वागत करेंगी ।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : सभापति महोदय मंत्रिणी महोदया ने खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट के सम्बन्ध में जो विधेयक १९५२ में पेश किया था और जो कि १९५३ में सेलेक्ट कमेटी से आया था, मैं नहीं कह सकता कि वह आज तक हाउस के सामने क्यों नहीं आया था । जो कुछ भी हो, यदि किन्ही कारणों से वह अब तक नहीं आ सकता था तो अब हाउस के सामने आया है । उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वह बनस्पति के बारे में है । उसी पर मैं अपने ख्यालात रखूंगा ।

जो भी बनस्पति की चीजें हैं खास कर जो बनस्पति घी बाजारों में बेचा जा रहा है उसमें किसी न किसी प्रकार का रंग मिलाना बहुत जरूरी था । लेकिन क्या कारण है, व्यापारियों की वजह से या किसी दूसरी वजह से, कि सरकार ने रंग मिलाकर के उसको बाजारों में नही डाला, यह मैं नहीं समझ पाता। मेरी राय में जो बनस्पति है उसमें जल्दी से जल्दी रंग मिलाया जाये । हमारे यहां के जो ऊंचे ऊंचे कार्य करने वाले हैं वह अवश्य इसके लिये रंग बता सकते हैं और उसका मिलान अत्यावश्यक है ।

इसी प्रकार से हाइड्रोजेनेटेड आयल अर्थात् खाने वाला जो तेल है उसको भी वनस्पति की तरह पर अलग ही रखना चाहिये । यदि हम इसको अलग रखते हैं और जो कि मिलावट की चीजें हैं उनसे लोगों को बचाते हैं तो हमारे यहां के लोगों की जो सेहत है उसे हम ज्यादा अच्छा बना सकते हैं ।

इस के साथ साथ इस बिल में जो सजा रखी गई है उस के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वह बहुत कम है । मेरा ऐसा ख्याल है कि हमारी अदालतों को चाहिये कि वे कम से कम खाने पीने की चीजों में मिलावट करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दें जिससे कि हमारे यहां के जो रहने वाले लोग हैं उन की सेहत पर खराब असर न पड़ सके ।

इस के साथ ही साथ जो हमारे यहां की म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं या जन पद सभायें हैं और जो स्टेट सरकारें हैं उन्होंने इस चीज के लिये कानून बनाये हैं, लेकिन दरअसल जब तक हमें सेन्ट्रल

गवर्नमेंन्ट से इस के लिये कोशिश नहीं करते तब तक काम नहीं चल सकता है क्योंकि वे इन कानूनों को ठीक तरह से अमल में नहीं लाती हैं। यदि आप बड़े बड़े शहरों में देखेंगे तो आप को मालूम होगा कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट हैं उन्होंने मिलावट के सम्बन्ध में जो कानून बनाये हैं यदि वह उन को ठीक तरह से अमल में लायें तो यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि बन्द नहीं हो सकती। यदि हम अपने यहां के लोगों की तनदुरुस्ती को ठीक करना चाहते हैं और ऊंचे स्तर पर लाना चाहते हैं तो इस के लिये हमारा प्रयत्न करना आवश्यक है। ऐसे कानून अमल में तभी लाये जा सकते हैं जब कि वहां की जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्डस हैं और दूसरी बाडीज़ हैं वह अपनी अपनी जगहों को चुने और चुनने के बाद वहां पर इन कानूनों को कड़ाई से अमल में लायें। इससे वहां के लोगों को मालूम हो जायेगा कि इस कानून का बड़े जोर के साथ पालन हो रहा है और वह लोग दिल में डरेंगे और मिलावट करने की वृत्ति को रोकेंगे। इस तरह से जो लोगों की सेहत है उस पर ज्यादा अच्छा असर पड़ सकता है।

मेरा यह अनुभव है कि यह जो बिल है यह बहुत ठीक और उत्तम बिल है मगर इसको हम जितनी जल्दी लागू कर सकते हैं उतनी जल्दी लागू करना चाहिये। यदि इस बिल को लागू करने में देर हुई जैसे कि यह बिल सन् १९५३ में सेलेक्ट कमेटी से आ कर पड़ा रहा, तो मैं नहीं समझता कि इस बिल के पास करने से कोई फायदा होगा। इन बातों के सम्बन्ध में जो अधिकार हमने स्टेट् गवर्नमेंटस को दे रखे हैं उन के ऊपर भी हम को जोर देना चाहिय ताकि वे अपने यहां पर इन कानूनों में रद्दोबदल कर के अधिक जोर के साथ कानून लागू कर सकें।

इन शब्दों के साथ मंत्रिणी महोदया ने जो बिल रखा है, मैं उस का समर्थन करता हूं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मंसूर): खाद्य में अपमिश्रण की प्रथा अत्यधिक प्राचीन काल से चली आ रही है। भारत में, खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण की प्रथा 'मनु-काल' से चली आ रही है। कौटिल्य के अर्थ शास्त्र में तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में अनेकों अपमिश्रण प्रथाओं का उल्लेख मिलता है। इनके साथ ही उन दण्डों का भी उल्लेख है जो उस काल में ऐसे अपराधियों को दिये जाते थे। पिछले दिनों में महायुद्ध से पहले हम देखते हैं कि भारत में विभिन्न राज्यों में विभिन्न अधिनियम जारी थे। प्रस्तुत विधान का उद्देश्य यह है कि देश के समक्ष इस मामले के लिये एक नमूने का व्यापक विधान हो। आपको यह समझना है कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न अधिनियमों के लागू रहते हुये भी समस्या सफलतापूर्ण नहीं सुलझाई जा सकती है। दूसरी ओर, हमने देखा है कि अपमिश्रण करने की प्रथाओं में बहुत वृद्धि हो गई है और इसे रोकने के लिये राज्य सरकारों ने अथवा नगर पालिकाओं ने कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया है। यह प्रतीत होता है कि यह विधेयक, विभिन्न अधिनियमों के लागू होने से प्राप्त हुये अनुभव के फलस्वरूप बनाया गया है और यह खाद्य अपमिश्रण की समस्या को सुलझाने में अधिक गम्भीर है। केवल यही अन्तर है।

फिर भी यहां मैं यह बता दूं कि हो सकता है कि इस विधेयक से अधिक लाभ न हो। मुझे इस में इस कारण सन्देह नहीं है कि विधेयक का उद्देश्य उचित नहीं है। अपने उद्देश्य पर हम सब सहमत हैं, और यह बहुत ही सराहनीय है। इस का उद्देश्य देश में प्रचलित अपमिश्रण करने की सारी

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

प्रथाओं को समाप्त करना और देश में खाद्य पदार्थों की उपलब्धि पर एक प्रकार का सुगठित नियंत्रण रखना है। हम सब जानते हैं कि पिछले प्रांतीय अधिनियमों का भी यही उद्देश्य था परन्तु उद्देश्य की प्राप्ती न हो सकी क्योंकि इस समस्या को सुलझाने वाली व्यवस्था अप्रभावी सिद्ध हुई। केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड ने, जो १९५३ में नियुक्त किया गया था, मत प्रकट किया था कि अधिनियमों का लागू होना केवल कागजी कार्यवाही रही है क्योंकि सरकार ने यह महसूस नहीं किया है कि खाद्य में अपमिश्रण करना जनता के प्रति बड़ा भारी अपराध करना है। कुछ मामलों में दण्ड दिये गये परन्तु अन्य मामलों में जिन में बड़े बड़े व्यक्ति फंसे हुये थे, कोई अभियोग नहीं चलाया गया। अतः इस विधेयक को पारित करने से ही हम इस की सफलता की आशा नहीं कर सकते। जब तक सरकार परिस्थिति की गम्भीरता को नहीं समझती तब तक समस्या हल नहीं हो सकती। समस्या की गम्भीरता यह है कि हमारे पास समस्या के सुलझाने वाले बहुत से तथा सक्षम व्यक्ति नहीं हैं।

हम देखते हैं १९४० से पहले खाद्य के विभिन्न पदार्थों में अपमिश्रण का प्रतिशत १८ से ८९ तक था। मेरा ख्याल है कि आज की स्थिति अधिक बिगड़ी हुई है। अपमिश्रण का प्रतिशत बहुत अधिक हो गया है १०० प्रतिशत से भी अधिक। इसलिये, जब तक हम इस समस्या को लगन के साथ हाथ में नहीं लेते हैं और उचित व्यवस्था नहीं बनाते हैं, और जब तक वह व्यवस्था जिस को आप स्थापित करेंगे, ईमानदार तथा वफादार न हों, और जब तक वे उत्साह से काम न करें, तब तक इसमें बहुत संदेह है कि यह अधिनियम तनिक भी सफल न होगा। इससे आप को मानसिक सन्तोष मिल सकता है कि आपने एक नमूने का विधेयक पारित कर दिया है। परन्तु जनता का सच्चा सन्तोष प्राप्त न होगा, क्यों कि आप उद्देश्यों को वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं कर सकते।

विधेयक में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिये खाद्य-स्तरों पर विचार करने वाली समिति की स्थापना का उल्लेख है। इस में एक राष्ट्रीय प्रयोगशाल की स्थापना का भी उल्लेख है। इस में खाद्य विश्लेषकों तथा खाद्य निरीक्षकों का भी उल्लेख है। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस समस्या को सुलझाने के लिये यह व्यवस्था पर्याप्त है ?

इस सदन के कुछ सदस्य, इस विधेयक के प्रस्तुत कर्ता की इसे वैकल्पिक बनाने और आरम्भ से ही अनिवार्य तथा सब पर लागू होने वाला न बनाने के लिये आलोचना अवश्य करेंगे। मेरे विचार में विधेयक का यह उपबन्ध हितकारी है। गत कई वर्षों में इसी प्रश्न पर वर्तमान सरकार के कर्मचारी तथा स्थानीय प्राधिकारी निर्धन व्यक्तियों को बहुत तंग करने आ रहे हैं। कुछ लोगों पर अभियोग चलाया जाता है और शेष को छोड़ दिया जाता है। अतः यह उचित होगा कि इस विधेयक को केवल प्रयोग के हेतु ही कुछ स्थानों पर लागू किया जाये, सर्वत्र नहीं। यदि यह कुछ स्थानों पर सफल हो जाये तब इसे अन्य क्षेत्रों पर लागू करने का विचार किया जाना चाहिये क्यों कि यह भी हो सकता है कि लागू किये जाने के पश्चात् यह विधेयक उत्पीड़न का साधन सिद्ध हो। इस सम्बन्ध में मैं इसी प्रकार का एक उदाहरण देता हूं। कुछ राज्यों में मद्यनिषेध विधियां पारित की गई हैं

परन्तु उनका परिणाम क्या हुआ है ? हमने इनमें बड़ा कटु अनुभव प्राप्त किया है । यह ठीक है कि इन विधेयकों का लक्ष्य प्रशंसनीय है और मद्यपान एक सामाजिक बुराई है, परन्तु इन उपायों के किये जाने के पश्चात् अधिक मद्यपान होने लगा है और उसके साथ साथ, घूस खोरी तथा लोगों को व्यर्थ तंग किये जाने की बुराइयां भी आ गई हैं । मुझे डर है कि कहीं इसका भी ऐसा ही परिणाम न हो । अपमिश्रण भी बन्द न हों और उसके साथ साथ बुराइयों में भी वृद्धि हो जाये । इस लिये, मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को पहले परीक्षा के रूप में एक आध जगह जैसा कि नगर पालिका क्षेत्र आदि में लागू करके देख लिया जा । वहां पर सफलता मिल जाने पर इसे समस्त क्षेत्र में लागू किया जा सकता है ।

इस सम्बन्ध में मैं एक दो सुझाव और भी देना चाहता हूं । हमें इस विधेयक पर आर्थिक दृष्टिकोण से भी विचार करना आवश्यक है । लोग अपमिश्रण वस्तुओं को क्यों खरीदते हैं । इस लिये नहीं कि उन्हें इस बारे में पता नहीं होता, परन्तु इस लिये कि उनकी क्रय शक्ति बहुत कम है और उन्हें यह अपमिश्रत वस्तुयें बाजार में सस्ते दामों पर भी मिल जाती हैं । लोग शुद्ध भोजन वस्तुओं को इतने महंगे दामों पर खरीदने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : (शाहाबाद-दक्षिण) : दिल्ली में कहीं भी शुद्ध घी नहीं मिलता है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी । शुद्ध घी इस लिये नहीं मिलता है क्यों कि अशुद्ध तथा अपमिश्रित घी को खरीदने वाले ग्राहक अधिक हैं और लोग अशुद्ध घी क्यों खरीदते हैं, इस लिये क्यों कि वह सस्ता होता है, और महंगे दाम वह दे नहीं सकते हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : अपमिश्रण वस्तुयें भी उसी मूल्य पर बेची जाती हैं, जो मूल्य शुद्ध वस्तुओं के लिये नियत है । कठिनाई तो यही है ।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) । चाहे मूल्य अधिक भी दिया जाये फिर भी शुद्ध वस्तु प्राप्य नहीं है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : लोग शुद्ध वस्तुओं के लिये अधिक मूल्य दे भी नहीं सकते हैं । (अन्तर्बाधायें)

सभापति महोदय : शांति, शांति ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : लोग यह वस्तुयें इस लिये खरीदते हैं क्यों कि वह सस्ती होती हैं । इसी लिये उन वस्तुओं की बिक्री होती है । यही कारण है कि विक्रेता अपमिश्रित वस्तुयें बेचते हैं ।

अब हम को यह सोचना है कि इस कठिनाई को कैसे सुलझाया जाये । इस समय उत्पादन मूल्य तथा विक्रय मूल्य में बहुत अन्तर है । इस अन्तर का कारण यह है कि उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के मध्य बहुत से मध्यजन हैं । मूल्य कम करने का केवल एक ही उपाय है और वह है सहकारी संस्थाओं का जारी किया जाना । सहकारी संस्थाओं के स्थापित कर दिये जाने से हमें बहुत लाभ पहुंचेगा ।

दूसरा मामला, जिस की ओर मैं निर्देश करना चाहता हूं खोमचे वालों के सम्बन्ध में है । यह लोग भी खाद्य वस्तुओं के अपमिश्रण में आज कल बहुत बड़ा भाग ले रहे हैं । हम को इनका नियंत्रण करना है और प्रश्न यह है कि यह कैसे किया जाये । कुछ लोग तो यह सुझाव देते हैं कि हमें खोमचे लगाये जाने के व्यवसाय को ही समाप्त कर देना चाहिये, परन्तु वह उचित नहीं होगा, क्यों कि सहस्त्रों व्यक्ति इसी व्यवसाय से अपना जीवन निर्वाह करते हैं । मेरे विचार से इस सम्बन्ध में हमें एक नियंत्रित अ शक्ति-

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

प्रणाली को अपनाना चाहिये । देश में खाद्य वस्तुयें बेचने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनुज्ञप्ति लेने का आदेश दिया जाये । अतः सरकार को दो बातें अवश्य ही करनी चाहिये, प्रथमतः सहकारी संस्थाओं की स्थापना और दूसरे खोमचे व्यवसाय का नवीकरण। आज कल यह होता है कि पुलिस वाले खोमचे वालों को तंग करते हैं और इससे उन्हें और अनेक व्यवसाय को हानि पहुंचती है । इस लिये प्रत्येक खोमचे वाले को अनुज्ञप्ति दी जानी चाहिये ।

यह एक सामाजिक बुराई ही नहीं, अपितु आर्थिक बुराई भी है । कोई भी सभा समाज इस प्रकार के अपमिश्रण को सहन नहीं कर सकती है । परन्तु सरकार ने इस बुराई को दूर करने का जो उपाय सोचा है, वह सन्तोषजनक नहीं है । जब तक वह मेरे सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक इस अपमिश्रण की रोकथाम में सफलता मिलना कठिन है ।

डा० रामा राव (काकिनाडा) : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस विधेयक का समर्थन प्रत्येक सदस्य द्वारा किया जा रहा है । मैं सदन का अधिक समय न लेकर केवल दो चार शब्द ही कहूंगा ।

इस उपाय की सफलता राज्य सरकारों की दक्षता तथा कार्यकुशलता पर निर्भर करती है । जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, उसे तो एक केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला स्थापित करनी है। ऐसी केन्द्रीय प्रयोगशाला से कार्यपटुता में वृद्धि होगी और अपमिश्रित पदार्थों के सम्बन्ध में शीघ्र ही पता चल जायेगा ।

श्री मोरे ने कहा है कि केन्द्रीय प्रमाप समिति प्रमाप तो निर्धारित कर सकती है परन्तु उसकी व्याख्या करने का कार्य वह न करे । मैं इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता हूं ।

"व्याख्याओं" के सम्बन्ध में खंड २ के उपखंड (ई) में लिखा है :

> "यदि कोई वस्तु गन्दी जगह में तैयार की गई हो, बांधी गई हो अ वा रखी गई हो जिससे कि वह सड़ जाने के कारण स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो गई हो ।"

मेरे विचार में इस उपखंड से किसानों को हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उन्हें अपनी वस्तुओं को रखना तथा संभालना आता है । यह खंड तो प्रभावित करेगा खोमचे वालों को जो ऐसे खाद्य पदार्थों का विक्रय करते हैं, जिन पर लाखों मक्खियां बैठी रहती हैं । श्री गुरुपादस्वामी ने अनुज्ञप्ति जारी करने का सुझाव दिया है । चाहे कुछ भी किया जाये, परन्तु इस प्रकार हानिकारक वस्तुओं के विक्रय को सहन नहीं किया जा सकता है ।

साधारण रूप से अधिकतर दूध में मिलावट की जाती है । अब तो परिस्थिति यह हो गई है कि जब तक आप गाय अथवा भैंस न रखें, आप शुद्ध दूध प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं । हमारे प्रधान मंत्री ने भी यहां के दूध के बारे में कहा था और उन्होंने विदेशों में मिलने वाले शुद्ध दूध की प्रशंसा की थी । वास्तव में भारतीय कृषि अनुसंधान शाला दिल्ली से मिलने वाला दूध भी शत प्रतिशत शुद्ध नहीं होता है । मैंने इसका विश्लेषण तो नहीं कराया है, परन्तु अपने अनुभव से मेरा यह दृढ़ विचार है ।

केवल बम्बई सरकार बम्बई नगर में शुद्ध दूध का सम्भरण कर रही है और उसका यह प्रयास प्रशंसनीय है ।

कल ही के "स्टेटसमैन" में मैंने दूध के अपमिश्रण के सम्बन्ध में प्रकाशित किये

गया एक पत्र को पढ़ा है। हम यह विश्वास भी नहीं कर सकते हैं कि वास्तव में दूध में साफ पानी भी मिलाया जाता है अथवा नहीं। मद्रास के एक परिवार में मुझे जाने का अवसर मिला, तो मैंने देखा कि वह लोग दुग्ध-चूर्ण का प्रयोग कर रहे थे। पूछने पर पता चला कि बाजार में भी दुग्ध-चूर्ण का बनाया दूध मिलता है, तो फिर क्यों उसके लिये अधिक मूल्य दिया जाये। इसलिये इस विषय में राज्य सरकारों को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है।

त्रावनकोर-कोचीन में एक झाड़ी के पत्तों को चाय में मिला कर दिया जाता है, और इसी प्रकार कहवे में भी मिलावट चलती है।

मैं खंड १६ के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि एक सामान्य सिद्धांत का प्रश्न इसमें अन्तर्ग्रस्त है। हम सब कठोर दंड दिये जाने के पक्ष में हैं परन्तु इस उपबन्ध के कारण मजिस्ट्रेट कम से कम दंड देने पर बाध्य हो जाता है। इस विषय पर मैं विस्तार से उस समय बोलूंगा जब कि मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करूंगा। हमें तो अधिकतम दंड निर्धारित करना चाहिये तथा किसी अपराधी विशेष को कितना दंड मिलना चाहिये, यह बात मजिस्ट्रेट के स्वविवेक पर छोड़ देनी चाहिये।

निस्सन्देह अपमिश्रण एक घृणित अपराध है, हमें इसे रोकने के लिये शक्तिशाली प्रयत्न करने चाहियें। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

श्री झुनझुनवाला : वाचस्पति जी, यह बिल जो आज लोक सभा के सामने आया है यह लोगों को देखने में मामूली बिल मालूम होता होगा और वह सोचते होंगे कि इस पर ऐसी क्या बहस होनी चाहिये और क्या इस पर गवर्नमेंट को करना चाहिये। लोगों की एक मांग थी इसलिये यह बिल लाया गया है ऐसा सोचा जा सकता है। पर यदि इसके ऊपर अच्छी तरह से विचार करके देखा जायेगा तो मालूम होगा कि यह बहुत ही महत्व का बिल है। और इस समय भारतवर्ष में इसके ऊपर लोगों का जीवन निर्भर करता है। आज जितनी भी बीमारियां हैं उन सब का विशेष कारण आज अडल्टरेटेड फूड (मिश्रित खाद्य पदार्थ) हैं। जितने मिलावटी खाद्य पदार्थ हैं वे सब इसके मुख्य कारण हैं। अभी गत वार मैं कलकत्ते में था। वहां आंख, कान, नाक और गले के इलाज के सबसे मुख्य डाक्टर राय हैं। वे इन रोगों के विशेषज्ञ हैं। मुझे उनके पास एक मरीज को लेकर जाने का मौका हुआ। उस मरीज की नाक में बीमारी थी। छोटे डाक्टर ने कहा कि यह जो बीमारी है यह इस की नाक की हड्डी बढ़ जाने से हो गई है और अगर इस हड्डी को बिजली से या कोई और तरह से घिस दिया जाये तो यह बीमारी ठीक हो जायेगी और उन्होंने उस मरीज से कहा कि तुम बड़े विशेषज्ञ डाक्टर राय हैं उनके पास चले जाओ। उन की क्या फीस होती है यह तो आप लोग जानते ही हैं। मैं भी उसके साथ गया और उन्होंने हम को बतलाया कि इस बीमारी का जो इलाज डाक्टर साहब ने बतलाया है वह १५ वर्ष पहले लागू होता था। आज कल इस इलाज में हम लोग विश्वास नहीं करते। इस प्रकार की जितनी बीमारियां होती हैं ये बहुत कुछ पेट के रोग से होती हैं। उन्होंने बतलाया कि यह इलरजिक कंडीशन का रोग है और मैं इस प्रकार के रोगों का खास इलाज करता हूं। उन्होंने कहा कि दस पंद्रह वर्ष पहले मैं देखता था कि कभी कोई एक आध मरीज इस प्रकार का आता था परन्तु आज हमारे

[श्री झुनझुनवाला]

बंगल, के वेटिंग रूम में देखिये इस प्रकार के बीस पेशेन्ट बैठे हुये हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या कारण है आप कृपा करके हमको बतलाइये।। तो उन्होंने अन्य सब एडल्टेरेटेड फूडस के बारे में कहते हुए बतलाया कि यह जो डालडा वैजिटेबिल आदि चलने लगे हैं इन्हीं के कारण लोगों में मुख्य रूप से एलरजिक कंडीशन की बीमारियां फैल गई हैं। तब मैंने उनसे कहा कि आप तो पार्लियामेंट के सदस्य हैं आप इस विषय में क्यों नहीं कुछ कहते। उनका नाम डाक्टर राय है। आज अभी शायद वे यहां नहीं हैं। मैंने कभी यहां उनको इस सम्बन्ध में कुछ कहते हुये नहीं सुना। ऐसा मैंने उनसे कहा तब उन्होंने कहा कि हमारे बोलने का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि वहां पर तो लोग अपनी एक राय बनाये बैठे हुये हैं। वे हेल्थ मिनिस्टर हों या कोई भी हों सभी अपनी एक राय बनाये हुये बैठे हैं कि इससे किसी प्रकार का रोग नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि मैं इस चीज को बहुत दिनों से खा रहा हूं और कोई रोग नहीं हुआ। उनका कहना है कि पंडित ठाकुर दास भार्गव जो बार बार चिल्लाते हैं यह बेकार है। वह क्यों ऐसी बातें यहां कहते हैं? आज वह डाक्टर साहब यहां होते तो मैं उनको कहता कि वे भी कुछ कहें। उन्होंने बतलाया कि यह एक मुख्य चीज है जिसकी वजह से लोगों में एलरजिक कंडीशन बढ़ गई है। अब मैं स्वास्थ्य मंत्रिणी जी से पूछूंगा कि क्या उन्होंने भी कोई तलाश की है और अगर की है तो उन का क्या विचार है कि किस तरह से इस को दूर किया जाये। जब कहा जाता है कि आप इसका कोई इलाज कीजिये तो कह देते हैं कि क्या उपाय करें कोई तो उपाय सूझता नहीं। तो मैं मंत्रिणी जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो बिल यहां पेश हुआ है यह कामयाब होगा या नहीं। जब कांस्टीट्यूशन में यह दिया गया कि यह विषय सेन्ट्रल विषय समझा जायेगा तो मैं ने एडल्टरेटेड फूड आदि के बारे में एक बिल दिया था। उस समय स्वास्थ्य मंत्रिणी जी ने मुझ को एक पत्र लिखा था कि हम को इस बिल से बड़ी भारी हमदर्दी है और मैं चाहती हूं कि यह चीज जल्दी से जल्दी दूर हो जाये। परन्तु केवल बिलों से क्या होता है? इस प्रकार के बिल हर एक स्टेट में हैं परन्तु वे तो कुछ काम करते नहीं। केवल बिलों से कुछ नहीं होगा। इस का कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिये। मैंने उसके जवाब में उनको लिखा था कि मैं आपके इस कहने से पूर्ण रूप से सहमत हूं, परन्तु आप तो यहां की स्वास्थ्य मंत्रिणी हैं, आप दिल्ली स्टेट में, जो कि उस समय अलग राज्य नहीं बना था, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिये क्या कर रही हैं? उसका जवाब मेरे पास कुछ नहीं आया। फिर जब वह बिल एजेंडा पर आया तो फिर उन्होंने हमको एक ऐसा ही पत्र लिखा था कि मैं इस बिल को वापस ले लूं। मैंने कहा कि मेरे इस बिल को वापस लेने से या पर्लियामेंट में इसको रखने से यह रोग दूर होने वाला नहीं है। परन्तु लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिये मैंने यह चीज रखी है। मेरी इस चीज को आप यहां रहने दीजिये ताकि लोगों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हो। वह बिल गत सेशन में आया भी था और मैं ने उस सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक बतलाया था कि किस किस तरह से हर एक चीज में आटे में, हल्दी, में, मिर्चों में, घी में, दूध आदि में मिलावट होती है। ये सब बातें मैंने उस समय अच्छी तरह से बतलाई थीं। मैं फिर उन बातों को कह कर संसद का समय नहीं लेना चाहता परन्तु मैं मंत्रिणी जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब उनकी यह राय है कि इस प्रकार के बिल से कुछ होना जाना नहीं है परन्तु इसका इम्प्लीमेन्टेशन

अच्छी तरह से होना चाहिये, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये उन्होंने इस बिल में क्या रखा है। दुर्भाग्यवश मैं इस सिलेक्ट कमेटी में नहीं था। मुझ को इसमें बहुत इंटरेस्ट था। अगर मैं कमेटी में होता तो कुछ बतलाता मगर इस समय इतनी डिटेल में कहने में बहुत समय लगेगा और उससे कुछ वास्तविक लाभ भी नहीं होगा। इसलिये मैं मंत्रिणी जी से यह पूछूंगा कि उन्होंने इसके लिये क्या उपाय सोचा है।

जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया यह एलरजिक कंडीशन पैदा होने का मुख्य कारण है। यह पता है कि यह चीज आसानी से मिलाई जा सकती है और इसका कोई पता नहीं लगेगा। जैसे कि विजिटेबिल घी, घी में मिलाया जा सकता है। उसका कोई पता नहीं लग सकता। जब तक सरकार इस चीज को रोकने का प्रबन्ध नहीं करती तब तक मैं कैसे समझूं कि सरकार की यह इच्छा है कि मिलावटी खाद्य पदार्थ न बिकें जिनसे कि लोगों के स्वास्थ्य को इतना भारी नुकसान होता है। मैं कैसे समझूं कि उनका मंशा ठीक है और इस प्रकार की चीज वह चाहते हैं। मैं यह बात उनसे जानना चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट समझ गई है कि सचमुच इस चीज से हानि होती है जैसा कि विशेषज्ञ ने बताया है तो क्यों नहीं वह जल्दी से जल्दी इसका कोई उपाय करतीं और कोई कानून लाकर इस स्थिति को दूर क्यों नहीं करतीं।

११ म० पू०

इतना अभी कहा गया है इंस्पेक्टर्स आदि के लिये। यह तो ठीक है, इंस्पेक्टर आदि एपायन्ट किये जायें और वे जा जा कर के जांचें और देखें कि कानून पर अमल हो रहा है कि नहीं। इन का काम हमको देखने का अनुभव हुआ है। यह जब कहीं भी संसद् में कहीं भी पूछा जाता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, इंस्पेक्टरों ने क्या किया, तब वह कह देते हैं कि इतने प्रासीक्यूशन हुये और इतने आदमियों को इतनी इतनी सजा हुई और यह प्रासीक्यूशन हुये परन्तु कहीं एडल्टरेंटेड चीज बिकने में कमी हुई है या नहीं इस सम्बन्ध में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। मिस्टर मुकर्जी ने अपना नोट आफ डिस्सेंट देते समय पनिशमेंट के सम्बन्ध में जो कहा है उससे मैं सहमत नहीं हूं परन्तु जो उन्होंने कारण बतलाये हैं उनसे मैं एकदम सहमत हूं कि ये इंस्पेक्टर लोग जो हैं वे बेचारे गरीब और मामूली आदमियों को पकड़ पकड़ कर के उन को कुछ सजा दिलवा देते हैं और सजा दिलवा करके अपना एक रिकार्ड तैयार कर लेते हैं कि हमने इतना काम किया। वास्तव में खाद्य पदार्थ में मिलावट की चीजें बिकती हैं या नहीं उस में कमी हुई है या नहीं इसके ऊपर इंस्पेक्टर लोग जरा भी ध्यान नहीं देते और न ही हमारी सरकार उस के ऊपर कोई ध्यान देती है। मैं तो कहूंगा कि जिस प्रकार कहीं पर रायट्स आदि शुरू होने पर सरकार उन की रोकथाम के लिये खास मेजर्स अख्तियार करती है, खास काम करती है और हर एक शहर और मुहल्ले मुहल्ले होम गार्ड एपायन्ट करती है जो गड़बड़ को रोकते हैं और शान्ति स्थापित करते हैं और अपने मुहल्ले और एरिया में शान्ति बनाये रखने की उन पर जिम्मेदारी होती है और उन से जतला दिया जाता है कि अगर तुम्हारे वहां कोई गड़बड़ी होगी, तो उस के लिये तुम जिम्मेदार होगे। यह चीज बड़े भारी महत्व की है परन्तु इसका महत्व कोई अपने मन में नहीं समझता न उसके ऊपर इतना ध्यान देता है। मैं चाहता हूं कि जैसे रायट्स के समय होम गार्डस वगैरह होते हैं उसी तरह इस एडल्टरेशन को रोकने के लिये हर एक मुहल्ले में इंस्पेक्टर्स के साथ साथ होम गार्डस नियुक्त होने चाहियें जिनके

[श्री झुनझुनवाला]

इंस्पेक्टरों के समान पावर्स हों। लोकल बाडीज के जो म्यूनिसिपल कमिश्नर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो मेम्बर्स हैं उनको भी यह पावर होनी चाहिये कि वह इस बारे में देख भाल कर सकें। गवर्नमेंट को सिर्फ इतने से ही सन्तोष नहीं मान लेना चाहिये कि हमने इतनों को इस जुर्म में सजा दी। गवर्नमेंट का न यह उद्देश्य है और न होना चाहिये कि ऐसा बिल लाकर हम किसी को सजा दें। उद्देश्य यह होना चाहिये कि खाद्य पदार्थों में यह जो मिलावट करने का रोग है, यह रोग किसी तरह से हमारे बीच में से दूर हो।

लेबोरेटरीज की बात ही ले लीजिये, वहां चीजें जांच के वास्ते भेजी जाती हैं। वहां के बारे में मेरा स्वयं का अनुभव है कि ठीक चीज जांच के वास्ते वहां पर भेजी गयी लेकिन उसकी रिपोर्ट आई कि उस में मिलावट है और मिलावट वाली चीज वहां पर जांच के लिये गई तो उसके बारे में वे रिपोर्ट देते हैं कि यह चीज शुद्ध है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस के बारे में क्या करती है। ऐगमार्क घी को लिजिये, गवर्नमेंट से शर्टिफाई होकर वह घी आता है लेकिन आप बाजार में चलिये मैं आपको उसको लेकर दिखला सकता हूं कि उसमें मिलावट है परन्तु सरकार से यदि हम इस बारे में कहेंगे तो वे कहेंगे कि आप यह बात कैसे कहते हैं, यह तो गवर्नमेंट लेबोरेटरी में टेस्ट हो चुका है लेकिन असलियत यह है कि उस घी में हर बार आधा डालडा घी मिला हुआ रहता है। हमारे भाई पंडित ठाकुर दास भार्गव डालडा घी के बड़े प्रेमी हैं और उसका जिक्र बार बार किया करते हैं। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं कि सरकार क्या कर रही है।

अब रही दूध की बात। अभी हमारे पूज्य टंडन जी कहते थे और उनको आश्चर्य होता था कि यह जो दूध आता है यह गाय का दूध नहीं है क्या या जो घी आता है यह गाय का घी नहीं है। क्या सरकार के यहां जब भैंस का दूध बच जाता है तो उसमें थोड़ा सा ऊपर से पानी मिला दिया जाता है और वह ठीक गाय जैसा पतला दूध बन जाता है और वह गाय का दूध बन जाता है परन्तु क्या जिस रोगी को गाय का दूध पीना चाहिये उस दूध के पीने से उसका रोग जाने वाला है? उस रोगी को वैद्य मना करता है कि तुम भैंस का दूध मत पीना, तुम्हें नुकसान करेगा, भला बतलाइये जब गवर्नमेंट स्वयं इस किस्म की कार्यवाही और गड़बड़ी करती है तो इस प्रकार का मेजर लाने से क्या लाभ है, जरूरत तो इस बात की है कि बिल पर अमल होना चाहिये क्या हमारी मंत्रिणी जी कभी भी दिल्ली शहर में गयी हैं और स्वयं भी देखा है या किसी दूकानदार के यहां जाकर कोई चीज खरीदी है और मैं समझता हूं कि अगर हमारी मंत्रिणी जी बजाय बाहर दूर करने के पब्लिक में मिक्स करें और खुद दूकानदारों के पास जा कर चीजें खरीदें और देखभाल करें तो इस का बहुत कुछ प्रभाव पड़ेगा। मेरा यह कहने का तात्पर्य नहीं कि बाहर के कंट्रीज का टूर बेकार है, हम को बाहर के देशों से दवाइयां मिलती हैं जो हम रोगियों को बांटते हैं परन्तु यदि हमारी मंत्रिणी महोदया दो, तीन बार दिल्ली शहर में चली जायें तो यहां के दूकानदारों और विक्रेताओं पर काफी प्रभाव पड़ेगा और स्थिति में सुधार होगा। यही हमारे महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि हम सेवा भाव से और लोगों के पास जायें और उनको समझावें परन्तु हमारा काम तो आज केवल पार्लियामेंट में बैठ कर के एक्ट पास कर देना भर हो गया है और यह कह देना हो गया है कि सरकार ने अपना काम कर दिया। जिसके सम्बन्ध में उनको स्वयं सन्देह है कि

इससे कुछ होने वाला नहीं है यदि उन को स्वयं संदेह है तो वे बतलायें कि कौन से वे दूसरे उपाय हैं जिन के द्वारा यह चीज दूर हो सकती है ।

एक बात हमारे सोशलिस्ट पार्टी के भाई ने बताई कि यह जो एडल्ट्रेशन की चीज है यह एक इकोनोमिक प्राबलम है । लोग मिलावटी चीज चाहते हैं क्योंकि उसके दाम कम होते हैं परन्तु मैं यह कहना हूं कि यह बात एकदम गलत है । जो लोग पैसा भी देना चाहते हैं उन को भी एकदम अच्छी चीज नहीं मिलती । यदि हमारे उन भाई का ऐसा ख्याल हो कि लोग सस्ती होने के कारण उस मिलावटी चीज को लेते हैं तो मैं चाहूंगा कि कम से कम इस कानून में इस प्रकार की बात लिख दी जाये कि जो लोग बेचने वाले हैं वे अपनी चीज के ऊपर लिख दें कि यह चीज मिलावटी है और यह चीज असली है जिसको असली लेना हो वह यह चीज ले और जो नकली लेना चाहे वह यह चीज खरीदे और गलत चीज लिखने वाले को सजा दी जाये । अब इस में कितनी ही कानूनी बारीकियां हैं जिन में मैं इस समय जाना नहीं चाहता । मैं कानूनी बारीकियों में जा कर संसद का समय नहीं लेना चाहता क्योंकि कानूनी बारीकियों को टैकिल करने के लिये ठाकुरदास भार्गव सरीखे वकील हैं जो बड़े से बड़े कलप्रिट को छुड़ा लाते हैं । आज जरूरत समाज की मनोवृत्ति को बदलने की है और वह तभी बदल सकती है जब सरकार की मनोवृत्ति हो कि हम उस को हटायें । इतना कह कर मैं बैठ जाता हूं ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (जिला प्रतापगढ़--पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, यह खाने की चीजों में मिलावट का प्रश्न बहुत दिनों से हमारे देश के सामने है और केन्द्रीय सरकार भी बहुत दिनों से कानून बनाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है । एक बात तो मैं जरूर कह सकता हूं कि यह यूनिफार्मिटी का जो प्रश्न है कि तमाम राज्यों में एक ही तरह का कानून इस सम्बन्ध में हो, मैं इस से सहमत हूं और यह बात तो इस कानून से सिद्ध हो सकती है परन्तु यह बात कि खाद्य पदार्थों में मिलावट न हो, इस का काफी प्रबन्ध हमारे इस कानून से हो जाये ऐसा मैं नहीं समझता ।

यह कानून तो करीब करीब हर राज्य में है और यह कहना कि हमारी सरकार चाहती नहीं है कि हम मिलावट को दूर करें यह ठीक नहीं है । मैं नहीं समझता कि अपने देश की कोई सरकार ऐसी हो सकती है जो इस को न चाहे, विशेष रूप से हमारी सरकार जो कि इस के पीछे बहुत दिनों से पड़ी है और राज्य की सरकारें भी जब से यह प्रश्न उन के सामने आया तभी से उस पर गम्भीरता से विचार कर रही हैं । परन्तु यह विषय इतना गम्भीर है, इसमें इतनी दिक्कतें हैं, इतनी मुश्किलात हैं, जिनकी वजह से काम नहीं हो सका । तो यह जो विधेयक हमारे सामने है उस में हम कुछ ऐसा प्रबन्ध जरूर करें जिस से मिलावट को हम जाहिर कर सकें, मिलावट को मालूम कर सकें । जैसे लेबोरेटरी स्थापित करने की बात हुई लेकिन यह कोई इतनी बारीक बात नहीं है । मिलावट का प्रश्न हमारे देश के सामने बहुत दिनों से है । आम तौर से जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उन में से शायद कुछ मुस्तसना हों, नहीं तो प्रायः सभी चीजों में मिलावट होती है और यह बहुत जाहिर सी बात है, कोई बड़ी पेचीदगी इस में नहीं है । यह कोई ऐसी बारीक बात नहीं है कि जिस के जानने में कोई बड़ी दिक्कत हो । तो जब इतनी जाहिर चीज है, इतनी स्पष्ट है तो ऐसी दशा में हम को इस पर ज्यादा विचार करना कि बहुत बारीकी के साथ हम इस मिलावट को अलग कर सकें, जाहिर कर सकें, यह कोई इतने महत्व का प्रश्न हमारे सामने नहीं है । दरअस्ल महत्व का प्रश्न यह है कि हम

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

कैसे इस को दूर करें जब कि यह बात इतनी जाहिर है तो हम इस को दूर करने का क्या प्रबन्ध करें। इस प्रबन्ध के करने के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न रायें हो सकती हैं जैसे कि हमारे कुछ मित्रों ने यह कहा कि हम को ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि अदालतों में इस के लिये सजायें काफी हों और काफी सख्त हों। हमारे मित्र झुन्झुनवाला ने कहा कि इस को करने से कोई बहुत काम नहीं बनता है, हम को इसके रुकावट की कोशिश करनी चाहिये, प्रिवेन्शन का प्रबन्ध करना चाहिये। उन्होंने ऐसा फर्माया और दूसरे साथियों ने भी फर्माया कि हम को प्रोपेगन्डा करना चाहिये, लोगों में इस का प्रचार करना चाहिये ताकि लोग भी इसमें सुचेत हो जायें। इस प्रकार से तरह तरह के सुझाव आये। जितनी बातें इस प्रकार की रखी गई हैं कि प्रिवेन्शन वाले मेजर्स लें, हम रुकावट की कोशिश करें, उस के लिये प्रचार करें, तो यह सब बातें तो केवल सरकार ही नहीं बल्कि हम सबों का, जितने लोग देश में रहते हैं और समझदार हैं, उन सबका कर्तव्य है। बहुत से हमारे संगठन हैं, संस्थायें हैं, उन को भी करना चाहिये और इन संस्थाओं को भी ध्यान देना चाहिये। लेकिन जब हम इस विधेयक पर विचार कर रहे हैं तो हम को विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि सरकार क्या कर सकती है। मेरा निवेदन इस सम्बन्ध में यह है कि अगर आप यह सोचें कि प्रचार करके, लोगों को समझा करके आप इस को दूर कर सकें, तो यह जल्दी नहीं हो सकता। यह काफी समय लेगा और समय पर ही पूरा हो सकेगा यदि हो सका तो। ऐसी अवस्था में तो मैं यह समझता हूं कि जहा कहीं पर ऐसे मामले पकड़े जायें जिन में कि खाद्य पदार्थों में मिलावट हो, वहां पर लोगों का समरी ट्रायल होना चाहिये और सख्त सजा होनी चाहिये।

[पंडित ठाकुरदास भार्गव पीठासीन हुए]

इसमें जरा भी संकोच नहीं होना चाहिये और समरी ट्रायल करके जल्दी ही सजा हो जानी चाहिये। यह न हो कि एक मुकदमा चला दिया गया और वह वर्षों तक चलता रहे। अगर ऐसा होगा तो सजा देने का जो काम है वह कोई खास असर नहीं रखेगा। इस वास्ते हमारे इस विधेयक में इस प्रकार का कोई प्रबन्ध होना चाहिये मैं देखता हूं कि इसमें ऐसा प्रबन्ध नहीं है कि समरी ट्रायल हो और जल्दी से सजा मिल सके। इस में मुझे कोई ऐसा प्रबन्ध भी नहीं दिखाई पड़ता है कि सजा जल्द और सख्त मिले। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर आप की यह मंशा है, और मैं समझता हूं कि यह मंशा हमारी सरकार की है कि खाद्य पदार्थों में जो मिलावट होती है वह जहां तक हो सके पूरी तौर पर जल्दी से जल्दी दूर की जाये, तो यह आवश्यक है कि हम कोई ऐसा प्रबन्ध इस कानून में करें कि जिस से लोग महसूस करें और इस तरह की भावना सारे देश में पैदा हो जाये कि जो शख्स भी मिलावट का जिम्मेदार समझा जायेगा उसको सख्त सजा होगी और वह किसी तरह से उस से बच नहीं सकेगा।

मैं यह देखता हूं जैसे कि मेरे कुछ और मित्रों ने भी फर्माया कि बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी मिलावटों के जिम्मेदार होते हैं और जो इस मिलावट से लाखों रुपये पैदा करते हैं, उन को कोई नहीं पकड़ पाता है। मैं नहीं कहता कि कभी नहीं पकड़ पाता, लेकिन प्रायः नहीं पकड़ पाता। पर वह भी किसी न किसी बिना पर निकल जाता है। छोटा मोटा आदमी दूध में पानी मिलाये हुये चला जा रहा है उसका चालान करके इंस्पेक्टर लोग अपनी एक लम्बी फेहरिस्त बना लेते हैं कि हम ने इतना काम कर लिया।

इस तरह का तरीका जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारे अफसरान जो इस के चार्ज में हैं इस पर अपना दिल नहीं लगायेंगे कि हम को मिलावट दूर करना है तब तक जैसा कि आज कल सरकार का काम चलता है वैसा ही होता रहेगा। उन का काम साधारण तरीके से चलता है। मुकदमा पकड़ा जाता है, एनालिस्ट के पास भेजा जाता है, उस के बाद अदालत में भेजा जाता है। जैसे और मुकदमे चला करते हैं उसी तरह से इस में भी देर लगेगी। अगर इस तरह के मुकदमों को भी देर से चलाना है तो जैसे बहुत से कानून बने और वकीलों की आलमारियों में रक्खे हुये हैं वैसे ही इस कानून की किताबें रक्खी रह जायेंगी और कोई भी असर नहीं होगा जो चीजें मिलावट से मिलती हैं वह मिलती रहेंगी क्यों कि आप ने देखा है कि इस तरह के मामलों में विशेष प्रबन्ध ही कारगर होते हैं। अगर प्रबन्ध में कमी करेंगे, सिर्फ इन्स्पेक्टर बना देंगे, एक एडवाइजरी कमेटी बना देंगे तो एडवाइजरी कमेटी क्या एडवाइज करेगी? वहां थोड़े से और आदमी सहायक हो जायेंगे तो भी अगर आप चाहें कि स्थिति में सुधार हो जाये, तो यह बात आसानी से होने वाली नहीं है। इस कार्य में इतना गोल माल है कि इस की कोई दवा हो ही नहीं सकती। जैसा हमारे मित्र झुनझुन वाला साहब ने फरमाया कि हमारे सभापति जी न जाने कितने रोज से बनस्पति और डालडा को लेकर शोर मचाते रहे लेकिन कुछ हो नहीं पाया है। तरह तरह की बातें आती हैं तरह तरह के कानून बनाने के प्रस्ताव आते हैं, लेकिन आप एक कदम भी आगे नहीं जा सके हैं। इसी तरह से यह कानून भी ठंडा हो जायेगा बावजूद इसके कि हम चाहते हैं और हमारी सरकार भी चाहती है कि कुछ काम हो। लेकिन महज चाहने से कुछ नहीं होगा। सख्ती से काम लेने से ही सफलता हो सकेगी। सारे हमारे लोग यह महसूस करेंगे कि जो जरा भी मिलावट करेगा या जो उस का साथ देगा, या जो उस की सहायता करेगा वह सजा पायेगा। तभी कुछ हो सकता है। जब आप कानून बनाने चले हैं तो यह सोचना कि सजा नहीं देंगे, प्रोपैगन्डा से इस का प्रिवेन्शन करेंगे, इस से काम नहीं चलेगा। इसमें समरी ट्रायल होगा तभी हम कुछ कर सकेंगे।

मैं एक बात और निवेदन करूंगा। जो हमारे इन्स्पेक्टरों का मुहकमा है, जहां जहां हमारे मुहकमें कायम हैं उन के इंस्पेक्टरों की बाबत में आप से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। बड़ी बड़ी स्टेटों को तो आप जाने दीजिये. वहां तो सैकड़ों हजारों की तादाद में इन्स्पेक्टर होते हैं। लेकिन आप एक जिले में बैठ जाइये। किसी भी जिले में ऐसा मुहकमा नहीं है जहां ४, ८, १० या २० इंस्पेक्टर न घूम रहे हों या जरा भी इफेक्टिव रहे हों। मैं नहीं जानता कि कहीं पर भी बहुत अच्छा काम हुआ हो, अगर आप महज इन्स्पेक्टर कायम करके सोचते हों कि हम कारगर हो जायेंगे तो यह बहुत कठिन है। इंस्पेक्टर जो आप के हैं वह ऐसे मामलों में आप पर एक और बला ला सकते हैं। मान लीजिये कि उन्होंने किसी का माल पकड़ लिया और उस को एनालिसिस के लिये रोक रखा, मगर बाद में निकला कि इस में कोई खराबी नहीं है तो शायद आप को सैकड़ों रुपये मुआविजे के देने पड़ जायें। तो बहुत ज्यादा इन्स्पेक्टरों के हाथ में यह सब छोड़ देना और समझना कि हम बहुत कारगर हो जायेंगे, यह मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूं कि काफी जिम्मेदार अफसरान के हाथ में यह काम छोड़ा जाना चाहिये जो कुछ ट्रेंड हों, जो कुछ एक्सपर्ट आफिसर्स हों, जो जानते हों और देख सकते हों कि वाकई मिलावट है या नहीं। अगर इंस्पेक्टर चेक करते हैं तो उन के ऊपर

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

कोई अफसर होना चाहिये और बिना उस की मंजूरी के सारे माल को रोकने का अधिकार न हो। अगर ऐसा न होगा तो जो जल्दी सड़ने बिगड़ने वाला माल होता है उस के लिये बहुत मुआविजा सरकार को देना होगा। और इस तरह का मुआविजा उतने ही गुना देना पड़ेगा जितने कि हम इंस्पेक्टर कायम करेंगे। इस लिये मैं आप से यह निवेदन करूंगा इस सम्बन्ध में कि यह जो इंस्पेक्टरों का गिरोह बनाया जा रहा है यह बिल्कुल एफेक्टिव नहीं होगा। और मुहकमों के इन्स्पेक्टरों के बारे में भी हमारा तजुर्बा है कि वह एफेक्टिव नहीं हो रहे हैं।

और इस मुहकमे में तो विशेष रूप से ज्यादा जिम्मेदार आफिसरान आप को रखने चाहिये। सम्भव है कि इंस्पेक्टर का स्टैन्डर्ड आप ऐसा रखें जैसा कि हेल्थ आफिसर का होता है। अगर ऐसा हो तो सम्भव है कि यह कानून कुछ कारगर हो सके लेकिन अगर आप मामूली इंस्पेक्टरों के स्टैन्डर्ड के आदमी रखना चाहते हैं तो यह कुछ भी कारगर नहीं होगा और यह बेकार हो जायेगा। यह कानून सिर्फ आलमारी में चला जायेगा। और इसका देश पर कोई असर नहीं होगा और हम को वही चीजें मिलती रहेंगी जो कि आजकल मिल रही हैं और दिन बदिन बदतर होती जायेंगी।

हमारे मित्र गुरुपादस्वामी ने कहा लेबारेटरीज के बारे में कि लेबारेटरी बनी यह बहुत इफेक्टिव चीज होगी। लेबारेटरी तो बारीक बात बतलायेगी लेकिन वह आप के प्रबन्ध को तो नहीं सम्भाल देगी। इस के अलावा हम को ज्यादा बारीकी में जाने की क्या जरूरत है। हम लोग इस को जानते हैं। कदम कदम पर मिलावट हो रही है। आप एक चीज भी शुद्ध पा जायें तो बतलाइये।

एक सहाब ने बात कही डालडा की पूड़ी की और घी की पूड़ी की। डाक्टर राम सुभग सिंह ने कहा कि लोग सस्ती चीज चाहते हैं इस लिये उन को यह चीज मिलती है। अगर ऐसा है तो जो सस्ती चीज है वह अलग होनी चाहिये। जहां मिलावट हो वह साफ जाहिर होनी चाहिये। जिन के पास पैसा नहीं है और इस लिये जो मिलावट की चीज लेना चाहें उन को वह मिले। लेकिन जो खालिस चीज लेना चाहता है उस को तो खालिस चीज मिले। वह उस के लिये पैसा देना चाहता है। वह उसे बीमार को खिलाने के लिये चाहता है। उस के लिये भी वह खालिस चीज नहीं पाता है। उसे भी मिलावट की ही चीज लेनी पड़ती है। सब से बड़ी मुश्किल तो यह है। इस में इकानोमी का सवाल नहीं है। आज तो हर चीज में मिलावट हो रही है। आज मिलावट का घी और डालडा का सवाल नहीं है। यह कीमत के फर्क और चीपनेस का सवाल नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि इस सवाल को कई पहलुओं से देखने की जरूरत है। इस पर गौर करके कानून बनाना चाहिये। मैंने समरी ट्राइल के बारे में निवेदन किया है। लेकिन वह भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी अगर वह मैशिनरी जो कि इस कानून को चलावेगी वह अच्छी नहीं होगी। इस के लिये अच्छे अफसरान रखे जायें और जैसा कि मेरे एक मित्र ने सुझाव दिया था उन के साथ ऐसे लोग भी एसोशियेटेड हों जो कि इस में दिलचस्पी रखते हों। इस में सन्देह नहीं कि जो लोग इस में दिलचस्पी लेते हैं उन का ताल्लुक इस से कर दिया जाये तो वह इंस्पेक्टरों की नाक में दम कर देंगे कि इस चीज को इफेक्टिव बनाओ। लेकिन ऐसे लोग भी बहुत कम मिलेंगे। लेकिन जहां ऐसे लोग मिलेंगे वहां यह चीज कारगर होगी। ऐसे लोगों के एसोसियेशन के बारे

में इस समय तो मैं कोई सुझाव नहीं दे सकता । लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ऐसे एसोसिएशन को इस मैशिनरी के साथ मिलाया जाये तो सम्भव है कि कुछ फायदा हो । यह कानून इतने दिन लटका रहा । कानून बनाने वाले भी सोचते थे कि क्या बनायें । बनाने को तो कानून बना लें लेकिन उसका क्या असर होने वाला है, इस को बना कर क्या करेंगे । इस को सोच कर के रह जाते हैं । मैं नहीं जानता कि हमारी सरकार इस पर क्या सोच रही है और किस तरह इस को इफेक्टिव बनायेगी । लेकिन मेरा सुझाव यह है कि अगर वह इस को इफेक्टिव बनाना चाहती है तो इसके लिये सब से जरूरी यह है कि वह इस की मैशिनरी के काम करने वालों पर ध्यान दे, कौन लोग इस को चलाते हैं इस पर ध्यान दें ।

मेरा एक और निवेदन है । यह जो कानून हमारे स्टेट गवर्नमेंटस के मिलावट के सम्बन्ध में है उन पर वह अमल करने की ज्यादा कोशिश कर रही हैं । कांस्टीट्यूशन में यह विषय कानकरेंट लिस्ट में आ गया है । पहिले ही से स्टेट गवर्नमेंटस् ने इस के लिये अपने यहां कानून बनाये हुये हैं । उन कानूनों को वह अपने अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रही हैं । इस में यूनीफार्मिटी हो या न हो इससे कोई खास असर नहीं पड़ता और जैसा मैंने निवेदन किया इस हमारे कानून से यूनीफारमिटी लाने की ही कोशिश की जा रही है, लेकिन और कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है । अब जो आप कानून बना रहे हैं मैं समझता हूं कि इसके बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनसे स्टेट गवर्नमेंट्स सहमत नहीं है । वह अपने कानूनों को ज्यादा अच्छा समझती है । और अपने कानूनों पर अमल करना भी वह ज्यादा इफक्टिव समझती है । इस वास्ते हो सकता कि जो आप कानून बना रहे हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट्स उतने इफक्टिव तरीके से काम न करें जैसा कि वह अपने कानून पर कर रही है क्यों कि इसके बहुत से विषयों से वे सहमत नहीं हैं । इस लिये इस विषय पर भी विचार करना आवश्यक है । मैं ज्यादा समय न लेकर यही निवेदन करूंगा कि कानून बनाना तो एक चीज है लेकिन जो मुख्य चीज है वह उस पर अमल करने के लिये एक अच्छी मशीनरी कायम करना है ।

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद—पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का ध्यान मिलावट के बड़े प्रश्न की ओर गया यह स्वागत करने की बात है । आज यह मानी हुई बात है कि जो वस्तुयें हमारे भोजन की हैं या औषधियों की हैं उन में बहुत गहरी मिलावट हो रही है । कर्र होने की आवश्यकता है । मुलायमियत से काम बहुत नहीं चलेगा क्यों कि इसमें बड़े गहरे गहरे मक्कार, जो अपने आर्थिक स्वार्थ के लिये दूसरों को कुछ भी हानि पहुंचा सकते हैं , लगे हुये हैं ।

मुझे बहुत ब्योरे में जाना नहीं है । बहुत से भाइयों ने चर्चा की और लोग जानते हैं कि किस प्रकार से खाने पीने की वस्तुओं में और औषधियों के मामले में आज जाल और फरेब हो रहा है ।

इसमें बहुत धनी लोग भी शामिल हैं । एक समय की बात है, शायद मेरे भाई श्री बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला को याद हो बहुत वर्ष हुये कलकत्ते में घी का काम करने वाले लोगों के घरों में बड़े सांपों की चर्बी पाई गई थी । कलकत्ते के पास उड़ीसा है, उड़ीसा में बड़े बड़े अजगर होते हैं, उन अजगरों के चमड़े की जूतियां पहनी जाती हैं । इन अजगरों की चर्बी को इकट्ठा करके बहुत से व्यापारियों न घी में मिलाया था और वे पकड़े गये । उन की बिरादरी में ने सुना

[श्री टंडन]

बहुत प्रतिष्ठित थी, वैश्य कुल के प्रतिष्ठित समाज के लोग इस काम में शामिल थे। मैंने सुना कि उनके ऊपर बिरादरी का कुछ दण्ड हुआ। उधर तो रोकथाम हुई, परन्तु आज दूसर प्रकार की मिलावट करने की समस्या हमारे सामने है। आज घी में अजगर की चर्बी मिलाने की शायद बहुत ज़रूरत नहीं रह गयी इस लिये कि मिलावट के लिये दूसरी चीजें सामने आ गयी हैं। बनस्पति पदार्थ इनमें मुख्य है। केन्द्रीय सरकार ने उस बनस्पति पदार्थ को एक ठीक और उचित चीज़ माना है दूसरी तरफ श्री झुनझुनवाला संसद् के एक सदस्य जो डाक्टर हैं उनकी यह सम्मति रख रहे हैं कि वह हानिकारक है और उस के कारण बहुत से रोग उत्पन्न हो रहे हैं।

हमारी सरकार ने बड़े बड़े व्यापारियों के कथन को और उन के पक्ष में दिये हुये कुछ वैज्ञानिकों के कथन को मान लिया है मैं जानता हूं कि दो एक वैज्ञानिकों ने यह मान लिया है और यह कह दिया है कि इस के प्रयोग से कोई हानि नहीं है, इधर वह वैज्ञानिक हैं, उन्होंने चिकित्सा के काम में कभी कोई अनुभव भी नहीं किया है, यहां एक चिकित्सक का कथन आपके सामने है और मेरा अनुमान है कि यदि चिकित्सकों को अच्छी तरह से इस विषय में कहने दिया जाये तो आप को यह अनुभव होगा कि यह चीज़ ठीक नहीं है। परन्तु चिकित्सकों को छोड़ दीजिये, पैसे में इतना बल है कि वह चिकित्सकों की राय को पलट देता है और वैज्ञानिकों की राय को भी पलट देता है। मेरा तो यह सुझाव है कि हमारी मंत्रिणी जी ये जो व्यापारी लोग हैं, पैसा पैदा करने वाले लोग हैं इन के नैतिक स्तर का पुराना अनुभव करके इस प्रश्न को देखें और समझें कि आखिर इस व्यापार में उसी बिरादरी के लोग लगे हैं जो घी में अजगर की चर्बी मिला सकती थी। बिरादरी से मेरा मतलब पैसा पैदा करने वाली बिरादरी से है, वह बिरादरी जो पैसा पैदा करने में नैतिकता को कोई जगह नहीं देती। वह बिरादरी सभी जगह है, येनकेन प्रकारेण किसी भांति पैसा आ जाये यही उन का ध्येय रहता है। वही बिरादरी आज इस प्रकार की बनस्पति मिलों को चला रही है, बनस्पति बनाने अथवा घी के साथ बनस्पति मिलाने में उस को क्या बड़ा पाप दिखाई देगा ? दस बीस हज़ार रुपया देकर इसकी राय ले लेना या उसकी राय ले लेना यह कोई कठिन बात इस समय नहीं है।

मैं मंत्रिणी जी से कहना चाहता हूं कि आज जो आप देश में मिलावट को रोकना चाहती हैं, आप की इस मनोवृत्ति का स्वागत है, परन्तु आप ऐसा करने के लिये साहस भी तो दिखायें वह शक्ति अगर आप में हो तो इसे बन्द कीजिये, आप की गवर्नमेंट के लिये यह तो बहुत छोटी चीज हैं। आपने कानून बनाया, परन्तु अगर आप में साहस हो तो आप इस मिलावट की वस्तु के बनने को रोकिये। मैं उसके लिये आप को गहरी बधाई दूंगा। क्या इस के लिये कुछ और जानकारी की आवश्यकता है कि मिलावट चारों ओर हो रही है और बनस्पति पदार्थ घी में मिलाया जा रहा है, अच्छा घी मिलना ही आज एक समस्या बन गई है। असली घी जनता को सुलभ करने के लिये यह प्रश्न आज से नहीं करीब पन्द्रह वर्ष से सरकार के सामने रहा है कि कोई ऐसा रंग निकाला जाये जो बनस्पति में मिलाया जाये ताकि दोनों में भेद हो सके ....

सभापति महोदय : गत २९ वर्षों से।

श्री टंडन : जी। केन्द्रीय शासन सम्बन्धी मेरा अनुभव कम है, आपका अनुभव पुराना है। आपका कथन ठीक है कि यह प्रश्न इतने वर्षों से सरकार के सामने पेश है, इधर थोड़ा सा जो मेरा अनुभव हुआ उसमें मैंने देखा कि इस प्रश्न के ऊपर सरकार टाल मटोल करती है।

सन् १९५१ में इस प्रश्न को मैंने उठाया। कांग्रेस की कार्य समिति के भीतर मैंने यह प्रश्न उठाया और तब मुझ को यह आश्वासन दिलाया गया कि बहुत शीघ्र इसके लिये यह प्रबन्ध हो जायेगा कि बनस्पति में मिलाने के लिये कोई रंग निकल आये और बहुत शीघ्रता के साथ यह चीज़ सामने आ जायेगी। प्रश्न टल गया, इस विषय के जो मंत्री थे, वे बुलाये गये और उनसे बात चीत हुई और उन्होंने भी कहा कि बहुत शीघ्रता से यह चीज़ की जायेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपना इस विषय में उस समय जो मत प्रकट किया था वह कार्य समिति की सन् ५१ की कार्यवाहियों में रक्खा हुआ है। कार्यसमिति के बाद फिर वह विषय आल इंडिया कांग्रेस कमेटी में उठाया गया। इस भवन के मेरे कांग्रेस सहयोगी गण ध्यान दें कि यह विषय आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सामने जब गया तब उसने अपनी राय दी कि बहुत शीघ्र बनस्पति में रंग मिलना चाहिये जिससे कि घी में मिलावट न हो सके परन्तु यदि यह बहुत जल्दी नहीं हो सकता तो उन्होंने इस बात पर बहुत बल दिया कि बनस्पति पदार्थ का बनना बन्द किया जाये।

पहले इस के ऊपर आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बल दिया कि जो पदार्थ वनस्पति घी कहलाता है या जिस को अंगरेजी में वेजिटबल प्रोडक्ट कहते हैं उसका बनना बन्द किया जाय। मुझको याद है, कांग्रस के भीतर जो मंत्री थे, हमारे प्रधान मंत्री तथा दूसरे मंत्रिगण ने उस समय इसका विरोध किया था। परन्तु आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने उसको स्वीकार किया और अधिक मत से उसको पास किया। यह आप लोगों को याद होगा। हम लोगों ने समझा था कि जब आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, जो कि मुख्य अधिकारिणी है कांग्रेस नीति की, एक बात तय की है तो अब तो यह गवर्नमेन्ट मानेगी ही। यह सन् १९५१ की बात है। आज सन् १९५४ है। लगभग तीन वर्ष हो गये, न तो वह रंग ही आज तक आया है और न उन व्यापारियों के माथे पर इस सन्देह में कि शायद वनस्पति बन्द होगा कोई शिकन आई है।

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारीबाग पश्चिम) : और न आयेगी।

श्री टंडन : कहीं कोई चर्चा इस पदार्थ के बन्द करने की नहीं है।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : शिकन मिनिस्टरों के चेहरे पर आ गई है।

श्री टंडन : हमारे यहां बराबर विज्ञान की शालायें खुलती चली जा रही हैं वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिये। हमारे देश में रासायनिक प्रयोग बहुत हुए हैं और बराबर बढ़ रहे हैं गहरे विषयों पर। परन्तु आश्चर्य होता है कि इस छोटी सी बात के लिये कि कोई रंग मिल सके कोई प्रयोग सफल नहीं हुआ। कलकत्ते में हमारे गांधी जी के भक्तों में से एक हैं, उन्होंने एक रंग सामने रखा भी और स्पष्ट जान पड़ता था कि वह कुछ काम करेगा। सम्भव है कि उसमें कुछ त्रुटि रही हो, परन्तु वह सरकार के देखने की बात थी। फिर भी उस रंग को गवर्नमेन्ट ने नहीं चलाया। उन साहब ने . .

सभापति महोदय : श्री सतीश चन्द्र दास।

श्री टंडन : श्री सतीश बाबू ने तो रंग सामने रखा। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है गवर्नमेन्ट ने, यह कह कर कि यह ठहरता नहीं है, उस को स्वीकार नहीं किया। यदि आप के पास कोई अच्छी वस्तु नहीं क्योंकि चारों ओर जो आप के इतने वैज्ञानिक हैं वह कोई रंग नहीं निकाल सके तो आप कम से कम इस का प्रयोग तो कर के देखते ताकि सब की समझ में आता कि आप में सच्चाई है। नहीं तो ऐसा मालूम होता है, मेरे हृदय पर यह भावना है, कि यह बात टाली जाती है और उस के बारे में आप में सत्यपक्ष की भावना नहीं है यह भावना नहीं है कि हम इस मिलावट के क्रम को बन्द करें।

श्री गिडवानी (थाना) : सत्य भावना न होने का कारण ?

श्री टंडन : उस में मुझे जाना नहीं है। कारण सम्भवतः यह है, मंत्रियों के दिल में एक बात धंसी हुई है कि यह चीज़ शुद्ध है, इस से कुछ हानि होने वाली नहीं है। मैं इस भावना को स्वीकार नहीं करूंगा जिस की ओर माननीय सदस्य का शायद संकेत है कि उस में कोई बड़े बड़े कैपिटलिस्टों का पैसा काम कर रहा है।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : वह भी हो सकता है।

श्री टंडन : प्रभाव तो काम कर सकता है परन्तु यह मेरी भावना है कि उन के मन में ऐसा विश्वास है कि इस से हानि नहीं है और इस लिये उन्होंने इसको महत्व नहीं दिया है। मैं इस को अनुचित मानता हूं। यह चीज़ ठीक नहीं है। इस के लिये थोड़े साहस की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि बड़े बड़े व्यापारी लोग इस काम के विरोध में हैं कि उन के व्यापार में कुछ भी रोक थाम हो। इस व्यापार से स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है यह उन के लिये गोण बात है। उनके लिये पैसा मुख्य है, स्वास्थ्य गौण है। मंत्रिणी जी के लिये तो स्वास्थ्य मुख्य होना चाहिये, पैसा गौण होना चाहिये। देश का स्वास्थ्य संभले इस के लिये मेरा निवेदन यह है कि कांग्रेस वालों को अपने आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रेज़ोल्यूशन पर बल देना चाहिये। मुझ को मालूम है, मैंने सुना था कि कुछ मंत्रियों ने इस प्रकार की बात कही थी कि यह रेजोल्यूशन तो पास हो गया परन्तु हमारे चलाये चलेगा नहीं। वर्किंग कमेटी और आल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मत साधारण रीति से ले लिया जाता है सरकारी नीतियों को चलाने के लिये, उस का सहयोग पाने के लिये। लेकिन जहां पर बहुमत एक काम के पक्ष में है और आप चाहते हैं कि दूसरा काम किया जाय, वहां पर आप ने उस बहुमत को टरका दिया।

मुझ को अधिक नहीं कहना है। केवल इतना निवेदन करना है कि यह अधिनियम या कानून जो बन रहा है, यह कुछ ही दूर जा सकता है। लेकिन अगर यह मालूम हो बड़े बड़े व्यापारियों को, जो कि उत्पन्न करने वाले हैं, मिल मालिक हैं, कि गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया किसी ऐसी वस्तु को सहन नहीं करेगी जो कि स्वास्थ्य के विरुद्ध है तब मिलावट के अपराध में रोक थाम हो सकेगी। यह चीज ऐसी है कि इस के प्रमाण के लिये किसी एनैलिसिस की जरूरत नहीं है। स्पष्ट बात है कि यह फैला हुआ अपराध है, इसको रोकने के जो साधारण उपाय हैं उन को आप न करें तो आप के इस कानून की मनशा पर सन्देह होता है। इस काननू को पास कर के क्या आप केवल दिखाना चाहते हैं कि हां ! हम ने खाद्य मिलावट को रोकने के लिये कानून बना दिया। एक विष सामने है, यह बहुत बड़ा और व्यापक विष है। इस को रोकिये। अगर आप समझते हैं कि यह आप की शक्ति के बाहर है कि आप इस के लिय रंग निकाल सकें तो आप इस का बनना बन्द कर दीजिये। गरीबों के लिये शुद्ध

तेल का खाना अच्छा है। केवल गरीब अमीर की बात नहीं है। शुद्ध तेल से सस्ता या अधिक पोषक बनस्पति नहीं है। तिल्ली का तेल हो, या सर्सों का तेल या मूंगफली का तेल हो, जो शुद्ध पदार्थ है, जो जमाया हुआ नहीं है, जिस में हाइड्रोजिनेशन नहीं हुआ है, जिसमें निकल का प्रयोग नहीं किया गया है। खाने के लिये वह अधिक ीक है उसे चलाइये। लेकिन जिस प्रकार से निकल या दूसरी चीजों का प्रयोग करके हाइड्रोजिनेशन होता है और वह जमी हुई वस्तु घी के नाम पर चलती है यह स्पष्ट छल है। आप यह कह सकते हैं और हो सकता है कि कहा जाय कि तेल में महक है। महक तो हटाई जा सकती है। आप महक हटा कर के तेल बेचें, लेकिन उसको जमाने का जो कार्य है उस में विष उत्पन्न होता है, इस को आप न होने दें। इतना करना कोई कठिन बात नहीं है। कुछ भाई कहते हैं कि बनस्पति में घी की शक्ल आती है तो इसमें क्या हर्ज है? यह घी की शक्ल देना भी तो एक छल है। इस कपट जाल को आप रोकें। और इस प्रकार से देश का नैतिक उत्थान कर के देश के स्वास्थ्य की रक्षा करें।

श्री लोकनाथ मिश्र (पुरी) : मैं हृदय से इस विधान का समर्थन करता हूं क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि यह अत्यन्त लाभदायक सामाजिक आर्थिक विधान है जिस पर इस संसद् को अभी चर्चा करनी है। हम जानते हैं कि अपमिश्रण हर जगह तथा हर प्रकार के खाद्य-पदार्थों में किया जाता है जिस से राष्ट्रीय स्वास्थ्य को हानि हो रही है तथा सरकार ने जो लोक हितकारी राज्य की अध्यक्ष समझी जाती है इस सर्वव्यापी बुराई का कोई भी उपचार नहीं किया है। जैसी इस विधान की रचना की गई है उस से यह समय की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। मैं माननीय मंत्री से यस निवेदन करूंगा कि जो कोई भी इस विधेयक को पढ़ता है तथा विभाग की प्रशासन व्यवस्था की ओर देखता है तो उसे सच्चाई तथा गम्भीरता की कमी ही सर्वत्र ज्ञात होती है। खंड २० के अनसार कोई भी खरीदार खाद्य-वस्तु को सार्वजनिक विश्लेषण के लिये अपने खर्च पर भेज सकता है किन्तु खराब सिद्ध हो जाने पर भी उस पर अभियोग नहीं चला सकता है। इसी से हमें विधान की सत्यता तथा गंभीरता के सम्बन्ध में शंका होने लगती है। विधेयक में कहा गया है कि एक राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला होगी। किन्तु एक साधारण व्यक्ति का वास्तविक भोजन क्या है? चावल, गेहूं थोड़ा सा तेल या घी और सब्जी। इन में से तेल दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थों में सरलता से अपमिश्रण किया जा सकता है। इस वैज्ञानिक युग में भी इस समय तक वे वनस्पति को रंग नहीं दे सके हैं। यही अपमिश्रण का मूल है। मुझे आश्चर्य है कि मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में, पुरी कालेज में, ही कुछ लोग इस वनस्पति के एजेंट बन कर विद्यार्थियों को यह सिद्ध करने गये कि वनस्पति एक आदर्श भोजन है। यदि इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सका तो हम कैसे विश्वास करें कि सरकार इस मामले में गम्भीर है। इसलिये मैं नम्रता पूर्वक माननीय मंत्री को यह सुझाव दूंगा कि या तो वनस्पति को बाजार से पूर्णतः हटाने के लिये अथवा उसे इस प्रकार रंगने के लिये जिस से कि वह किसी दूसरी चीज से बिना पता लगाये न मिलाया जा सके तत्काल कोई कार्य-वाही की जानी चाहिये।

तत्पश्चात् सरकार की व्यवस्था, सरकार की प्रयोगशालाओं के अलावा, प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिये कि वह ऐसे किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चला सके जिस ने इस विधान के विरुद्ध अपराध किया हो। इसलिये इस विधान के पारित होने पर एक राष्ट्रव्यापी आन्दोलन किया जाना चाहिये जो सामान्य चुनावों सम्बन्धी आन्दोलनों से भी अधिक प्रभावशाली तथा शक्तिशाली हो

[श्री लोकनाथ मिश्र]

जिस से कि लोग यह समझ सकें कि खाद्य में मिलावट करना एक अपराध है। इसलिये मैं कहूंगा कि जैसे ही यह विधान पारित हो सरकार को न केवल इसे क्रियान्वित करने के लिये शासन यंत्र की ही स्थापना करनी है किन्तु उसे एक नियमित आन्दोलन चलाना चाहिये तथा दो एक महीनों में ही उन सभी व्यक्तियों को समाप्त कर देना चाहिये जो इस के लिये जिम्मेदार हैं। वे थोड़े ही हैं, वे आसानी से पकड़े जा सकते हैं, परन्तु हमें उन्हें पकड़ने के लिए तत्पर रहना चाहिये। हम लोगों में यह धारणा उत्पन्न करनी चाहिये कि ये व्यक्ति हत्यारे हैं, तथा देश के शत्रु हैं। यदि यह तथ्य सब लोगों को ज्ञात हो जाय कि ऐसे व्यक्तियों से घृणा करनी चाहिये तथा उन्हें दंड देना चाहिये तो हम आसानी से वातावरण को बदल सकते हैं तथा इस विधान के लागू करने में सरकार का कार्य सरल कर सकते हैं।

जब स्वयं दिल्ली में भी हमें यह विश्वास नहीं होता है कि जो घी अथवा तेल हम ने क्रय किया है वह शुद्ध है तो गांव की अवस्था का अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिये इस अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक विधान को अत्यधिक सावधानी तथा तत्परता से काम में लाना है केवल, विधान बनाने से ही हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है।

अन्त में मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से यह व्याख्या करन की प्रार्थना करूंगा कि इस अधिनियम के अधीन चलाये जाने वाले अभियोगों पर स्थानीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। यह केवल इस कारण है क्योंकि सरकार समस्त शक्तियां अपने हाथों में रखना चाहती है तथा इन सारी शक्तियों को हाथ में ले कर भी वह इन को प्रयुक्त नहीं कर सकती है। यदि इस विधान को सफल बनाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपराधी पर अभियोग चलाने का अधिकार होना चाहिये।

तत्पश्चात् विधेयक में उल्लिखित व्यवस्था भी बहुत पेचदार है। अपराधियों के बच निकलने की बहुत संभावनायें हैं। मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे मामलों पर विचार बहुत संक्षिप्त तथा शीघ्रता से होना चाहिये तथा साक्ष्य सम्बन्धी प्रविधिक नियम हटा लिये जाने चाहियें क्योंकि यह राष्ट्रीय आपातकालीन विधान है।

खाद्य का प्रश्न सभी दलों से सम्बन्ध रखता है, इस का सम्बन्ध सभी व्यक्तियों से है, सलिये मुझे प्रसन्नता है कि यह विधान प्रस्तुत किया गया है। किन्तु केवल संविधि पुस्तक में ही इसे रखना व्यर्थ होगा। हमें यह देखना चाहिये कि एक वर्ष भीतर इस मिलावट की बुराई को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाये। मुझे विश्वास है कि यह एक बहुत बड़ी सफलता होगी तथा माननीय मंत्री को उस राष्ट्र का धन्यवाद प्राप्त होगा जो भोजन की कमी के कारण नहीं अपितु अच्छे भोजन की कमी के कारण भूखों मर रहा है। इसलिये मैं विधेयक का इन शब्दों के साथ समर्थन करता हूं तथा पुनः सच्चाई से प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री अवसर के उपयुक्त एक सरकारी तथा गैर सरकारी राष्ट्रव्यापी आन्दोलन का संगठन करें जिस से कि यथा-संभव शीघ्र यह बुराई समूल नष्ट की जा सके।

श्री डाभी (कैरा उत्तर) : मैं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित किये गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं एक या दो महत्वपूर्ण उदाहरण दूंगा जिन से ज्ञात होगा कि देश में किस सीमा तक खाद्य-अपमिश्रण चल रहा है। मैं "खाद्य अपमिश्रण की समस्या" शीर्षक वाले एक समाचार से जो हिन्दुस्तान टाइम्स के एक संवाददता द्वारा २५ अप्रैल, १९५४ के अंक में लिखे गये थे, कुछ वाक्य पढूंगा। ".....

स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता के अनुसार खोमचे वालों के द्वारा बेची जाने वाली ५० प्रतिशत खाद्य वस्तुओं में अपमिश्रिण होता है । नई दिल्ली नगरपालिका समिति के स्वच्छता निरीक्षकों को परीक्षण के निमित्त दूध के नमूने प्राप्त करने के लिये सड़कों पर दूध-वालों का पीछा करना पड़ता है । अब वे लोग भी चालाक हो गये हैं वे दूध में पानी दुग्धशाला में न मिला कर ग्राहक के नल से ही ले कर मिलाते हैं ।"

अब मैं तेल के अपमिश्रण का एक उदाहरण दूंगा । मैं नाडियाड नगर से आया हूं तथा मैं ने स्वयं अपनी आंखों से अपमिश्रित तेल के द्वारा कई लोगों को मरते देखा है । लोग सोचते हैं वनस्पति में अपमिश्रण नहीं होता है ।

"वनस्पति में भी अपमिश्रण" १९ अगस्त, १९५० के "हरिजन" में प्रकाशित एक समाचार का शीर्षक था जिस के अनुसार अपमिश्रण में वैज्ञानिकों के दिमाग से भी पूर्ण सहयोग प्राप्त किया गया था । इस सम्बन्ध में मैं प्रवर समिति के द्वारा प्रस्तावित निवारक तथा कठोर दंड सम्बन्धी संशोधनों का स्वागत करूंगा । अब मैं इस विधेयक को सुधारने की दृष्टि से कुछ संशोधनों का सुझाव दूंगा । आप को ज्ञात होगा कि खंड २(९) के अधीन कोई भी खाद्य वस्तु गलत ब्रांड की समझी जायगी । मैं इस खंड का स्वागत करता हूं ।

तत्पश्चात् श्रीमान्, खंड २(९) (ङ) के सम्बन्ध में मेरा सुझाव, जो कि मेरे संशोधन में परिव्याप्त है, यह है कि जब किसी वस्तु अथवा खाद्य पदार्थ का निर्माता अथवा विक्रेता यह दावा करता है कि यह पूर्णरूपेण शुद्ध तथा चमत्कारिक है तो उस के गुणों को सिद्ध करने का दायित्व उसी पर होगा जिस के द्वारा इन गुणों का दावा किया गया है ।

अब मैं खंड १६ पर आता हूं । इस खंड के सम्बन्ध में मैं ने कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है । मैं चाहता हूं "दंडनीय" शब्द के स्थान पर "दंड दिया जायेगा" होना चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं स्वास्थ्य मंत्री से बम्बई उच्च न्यायालय के एक प्रतिवेदित मामले का निर्देश करूंगा । उस के अनुसार इस शब्द "दंडनीय" के कारण मजिस्ट्रेट को दंड तथा अर्थदंड दोनों के न देने का स्वविवेक मिल जाता है ।

अब मैं एक या दो बातों का स्पष्टीकरण करना चाहूंगा । खंड ९ में खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति का प्रश्न है । यह कहा गया है कि इन खाद्य निरीक्षकों की कुछ निश्चित अर्हतायें होनी चाहियें । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि सरकार को यह निर्देश कर देना चाहिये कि इन खाद्य निरीक्षकों की क्या अर्हतायें होंगी । जब तक उन की अर्हतायें तथा वेतन पर्याप्त नहीं होगा वे घूस लेने के लोभ का संवरण नहीं कर सकेंगे । हम जानते हैं कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम कई राज्यों में लागू है किन्तु इन खाद्य निरीक्षकों की अक्षमता तथा अयोग्यता के कारण इसे वह सफलता प्राप्त नहीं हुई है जो कि होनी चाहिये थी ।

खंड १२ में स्पष्टीकरण के लिये एक दूसरा प्रश्न है कि खरीदार दुकानदार को चीज़ खरीदते समय सूचित कर देगा कि क्योंकि उसे कुछ सन्देह है इसलिये वह उस वस्तु को विश्लेषण कराने के लिये खरीद रहा है । वह दुकानदार उसे कभी वह वस्तु नहीं बेचेगा । मैं नहीं जानता कि इस का क्या आशय है । यदि अभियोग चलाने का ही मन्तव्य है तो शब्दावली में परिवर्तन कर दिया जाना चाहिये ।

मेरी सम्मति यह है कि इस अधिनियम के पारित होने पर भी खाद्य अपमिश्रण के जो

[श्री डाभी]

इतने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है समूल नष्ट होने की आशा नहीं की जा सकती है, लेकिन साथ ही यदि सरकार यह देखने के लिये कि इस अधिनियम का सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा उचित रूप से पालन किया जा रहा है समुचित कार्यवाही करेगी तो इस से यह अपमिश्रण की बीमारी बहुत कुछ दूर हो जायगी ।

ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर (अमृतसर) : सभापति जी, इसमें शक नहीं कि यह जो बिल इस वक्त हाऊस के सामन ज़ेरे बहस है यह एक बड़ा अहम बिल है । इसपर हमारे देश की बुनियादी तरक्की बहुत हद तक मुनहसर है । मैं परसों ही बाज यूरोप और एशिया के मुल्क को देख कर वापस आयाहूं ।

सभापति महोदय : तनिक जोर से।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : क्या माननीय सदस्य यूरोप में अपनी आवाज़ खो आये हैं ?

ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर : तो यह एक कुदरती बात थी कि जब मैं वापिस आया और दोस्त मिले तो उन्हों ने पूछा कि भाई तुम ने क्या फर्क़ देखा । इसके मुताल्लिक मैं एक बात ज़रूर कह देना चाहता हूं कि पार्लयामेंट के मैम्बरान ने और मुहतरिमा मिनिस्टर साहिबा ने मुझ से ज्यादा मुल्क देख हैं । मेरा तो यह पहला मौक़ा था । उन्हों ने तो दूसरे मुल्कों के कई दौरे किये हैं । यकीनन वह इन बातों के मुताल्लिक़ मुझ से ज्यादा जानती होंगी । सिर्फ़ एक बात मेरे सामने थी अगर दो तीन बातें हमारे देश में जल्दी से हो जायें तो जो हमारे नेचुरल रीसोर्सेज़ हैं, जो हमारे ज़राये हैं, जो हमारे देश की हालत है, उनको देखते हुए हमारा देश किसी से पीछे नहीं है । बेशक कई दोस्त प्रैजुडिसेज़ के साथ जाते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं और जल्दी ही अपनी राय भी बना लेते हैं कि हम में यह कमज़ोरी है और आप तो बड़ी दूर तक पहुंचे हुए हैं । कई बातों में यह ठीक भी है । मसलन यही जो मसला हमारे ज़ेरे ग़ौर है । मैं ने स्वीडन में स्टॉक हाल्स में एक भाई से पूछा कि यह चीज़ों की मिलावट के मुताल्लिक़ आप की देश की हालत क्या है और मिलावट करने वाले को क्या सज़ा है । तो मुझे शरमिन्दा होना पड़ा । उस ने कहा कि आप उस बात के मुताल्लिक़ मुझ से पूछ रहे हैं जो हमारे देश में है ही नहीं । इसलिये इसकी सज़ा के मुताल्लिक़ मैं आप को कुछ नहीं बतला सकता । तो उस के बाद हम थोड़े से होशियार हो गये और फिर कोई बात पूछते वक्त बड़ी ऐहतियात से काम लेते थे कि कहीं ऐसा ही जवाब न मिले । फिर जहां जहां हम यूरोप में गये हम देखते रहे मगर पूछने की हिम्मत नहीं की क्योंकि हमारे दिमाग में यह एडल्ट्रेशन की बात ज्यादा थी । इस बात को हम अपने यहां रोज़ रोज़ सुनते हैं । ऐसे ऐसे फूड एडल्ट्रेशन के मामले हम ने देखे और सुने हैं जिन का यहां ज़िक्र करने में हमें शर्म आती है क्योंकि यहां कही हुई बात दूर तक चली जाती है । दूध में ऐसी ऐसी चीज़ों की मिलावट होती है कि जिन का यहां ज़िक्र करना भी ठीक नहीं । वैसे गन्दा पानी और छप्पड़ का पानी तो हमने दूध वालों को मिलाते देखा है । हमारे यहां एक प्रसिद्ध कहावत है कि किसी मालिक ने अपने नौकर को आध सेर दूध लेने को भेजा । नौकर ने आधा दूध पी कर उसमें आधा छप्पड़ का पानी मिला दिया । तो उस में कहीं से एक मेंढकी भी आ गई । जब मालिक ने पूछा कि यह मेंढकी कहां से आ गई तो उस ने कहा कि आध सेर दूध में क्या हाथी आ जाता । कोई भी कहावत जो बनती है वह किसी बुनियाद पर बनती है । तो मैं इस कहावत को छोड़ता हूं । मेरे एक दोस्त ने बताया कि एक

खानदान का बुजुर्ग बेरोज़गारी से तंग आ कर बाज़ार से संखिया ख़रीद लाया। यह सही बात है कि वह संखिया खिला कर अपने परिवार का खात्मा कर देना चाहता था। तो कहते हैं कि जब घर जा कर रात को उन सब ने संखिया खा लिया और बच्चों को भी खिला दिया कि ख़त्म हो जायें तो इन्तज़ार करते रहे कि अब मरते हैं, अब मरते हैं, मगर सुबह तक ज़िन्दा ही रहे। यानी संखिया भी मिलावट वाला था। इसलिये उस से उन की मौत वाक़ै नहीं हुई। यानी मिलावट में हम इतने बढ़ गये हैं कि संखिया भी हमें मिलावट का ही मिलता ह। तो मैं ने दूसरे मुल्क की मिसाल दी थी कि इस मामले में हम में और उन में कितना फर्क़ है।

श्री अलगू राय शास्त्री (ज़िला आज़मगढ़—पूर्व व ज़िला बलिया–पश्चिम) : यूरोप में पालिटिक्स में मिलावट है।

ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर : पालिटिक्स की मिलावट तो पालिटिक्स से दूर हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह खाने की चीज़ों में मिलावट तो हमारे देश में सब से ज्यादा सज़ा के क़ाबिल है। क़त्ल के जुर्म में सब से बड़ी फांसी यानी मौत की सज़ा होती है। और किसी जुर्म में इतनी सज़ा नहीं है जितनी क़त्ल के जुर्म में है। मगर जो फूड में मिलावट करते हैं यह क़त्ल से कम नहीं है। मैं समझता हूं कि किसी को एक रोज़ मार देना या क़त्ल कर देना इस से अच्छा है कि रोज़ रोज़ बुरी खुराक दे कर उस की सेहत खराब कर के उसे मरने की हद तक ले जाना। मैं समझता हूं कि यह क़त्ल से ज्यादा बड़ा जुर्म है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि यह बिल जो एक क़ानून की शक्ल ले रहा है, उस पर जल्दी से इस ढंग से अमल किया जाये कि यह बीमारी हमारे देश से दूर हो जाय।

पंजाब गवर्नमेंट ने इस बात का तजुर्बा किया है। वहां उन्हों ने इस को दूर करने के लिये समरी ट्रायल किये हैं। तो वह कुछ एफैक्टिव भी हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि हम को इसी तरह का कोई स्पीडी ऐक्शन लेना चाहिये जिस से बहुत जल्द इस तरह के जुर्म कम हों। मैं ने पंजाब में ही देखा है और दूसरी जगह भी देखा है कि जो इन्सपैक्टर चैक करने के लिये जाते हैं, वह इस ढंग से चैक करते हैं कि मिलावट करने वालों को इस से एनकरेजमेंट ही मिलता है। उन्हें कोई डर नहीं लगता। उन का माइंड इस तरफ़ और चलता है। यह इन्सपैक्टर लो पेड होते हैं। इसलिये यह इस का अच्छा इलाज नहीं है।

दूसरी बात वह है जो कि टंडन जी ने कही थी। पंजाब में एक कहावत है कि बुरे की बजाय बुरे की मां को मारो, बुरे को मारने पर इतना अच्छा नतीजा नहीं निकलता है अच्छा नतीजा तब निकलता है जब कि बुरे की मां को मार दिया जाय, ताकि बुरे पैदा ही न हों। यानी जहां से बुराई निकलती है उस जगह को ही बन्द करना ज़रूरी है। हमारे देश में एडल्ट्रेशन का एक अलहदा प्रोडक्शन हो रहा है। हमारे देश में एडल्ट्रेशन के बड़े बड़े कारख़ाने खुफ़िया तौर पर मौजूद हैं जहां से चीज़ें मिलावट हो कर दूसरी जगहों पर जाती हैं। सज़ा बेशक किसी छोटे से दूकान दार को मिल जाती है, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से एन्कवायरी करें तो आप को पता लगेगा कि यह ऐडल्ट्रेशन तो ऊपर से होता है और इसकी सज़ा पाता है वह छोटा दूकानदार जो इस को बेच रहा है। यानी इन सोर्सेज़ को बन्द करना चाहिये, बड़ी तेज़ी से बड़े बेलिहाजी से और बड़े ज़ोर से इन चीज़ों को बन्द करना चाहिये। मैं बिना संकोच के यह बात कह देता हूं कि हमारा प्रेरणा का तरीका ठीक है। हमारी गवर्नमेंट ज़ोर का या धक्के का या

[ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर]

सख्ती का तरीक़ा इस्तेमाल नहीं कर रही है। वह प्रेरणा का तरीक़ा इस्तेमाल कर रही है। यह प्रेरणा का तरीक़ा हमारा ठीक है। मगर बाज़ बातें ऐसी बिगड़ जाती हैं जैसे कभी किसी फ़ोड़े का आपरेशन कर के जिस्म से उस का निकालना ज़रूरी हो जाता है और डाक्टर को बड़ा तेज़ नश्तर लगाना पड़ता है ताकि सारे जिस्म में ज़हर और बीमारी न फैले और इस वजह से उस को काटना ही पड़ता है, इसी तरह से यह मिलावट करने की बीमारी हमारे देश में घर कर गई है कि जिस को अब सख्ती और ज़ोर से निकालना बहुत ज़रूरी है। एक साहब ने थोड़ा सा लेबोरेटरीज़ का ज़िक्र किया लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह भी इसको नहीं रोक सकतीं। लेबोरेटरीज़ से भी काम नहीं चलेगा। दूध वालों ने ऐसा तरीक निकाला है याना कुछ चीज़ें ऐसी निकाली हैं जिन के डाल देन से दूध जब टैस्ट होने के लिये जाता है तो जांच का मीटर सही नतीज़ा नहीं बतलाता। इसलिये यह बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में हाई पैमान पर जगह जगह जांच पड़ताल की जाय और जुर्म करने वालों को सज़ा दी जाये और जब लोगों को सख्त सज़ायें मिलना शरू हो जायेंगी तो मेरा ख्याल है कि इस का इलाज बहुत जल्दी हो जायगा। इस के अलावा हमें ऐसा इन्तज़ाम करना चाहिये जिस से एक ही रोज़ में एक वक्त पर दूध या किसी और चीज़ में मिलावट करने वालों पर अचानक रेड आर्गेनाईज़ किया जाय और उन्हें पकड़ा जाये। एक ही दिन में सब पर रेड करना ज़रूरी है ताके उन को संभलने का मौक़ा न मिल सके कि वह इस में कुछ चालाकी कर सकें। ऐसे ढंग से इस का इन्तज़ाम किया जाये।

एक बात और की जानी ज़रूरी है कि ह शख्स जिस को इस जर्म में तीन दफ़ा सज़ा मिल चुकी हो अगर वह फिर मिलावट करते हुये पकड़ा जाय तो उसे उस व्यापार से बिलकुल अलग कर देना चाहिये और उसे इस बात की इजाज़त नहीं होनी चाहिये कि वह किसी डायरेक्ट या इन्डायरेक्ट तरीक़े से उस व्यापार में शामिल हो। इन अल्फाज़ के साथ मैं इस बिल का खैर मुक़द्दम करता हूं कि इस बिल को और भी अच्छा और मुफ़ीद बनाकर इस हाऊस में पास किया जाय।

[श्री बर्मन पीठासीन थे]

श्रीमती उमा नेहरू (ज़िला सीतापुर व ज़िला खेरी–पश्चिम) : जनाब चेयरमैन साहब मैं इस मिलावट के बिल का स्वागत करती हूं। मैं समझती हूं कि इस बिल को बहुत पहले आना चाहिये था मगर फिर भी ग़नीमत है कि आज वह दिन आया जब यह बिल हमारे सामने आया है। इस बिल को देखने के बाद और यहां व्याख्यान सुनने के बाद मेरी राय और सब की राय भी यही है कि जो जनता की सरकार होती है, उस की पहली ड्यूटी, पहला फर्ज़, पहला धर्म जनता की सरकार का यह होता है कि वह जनता के स्वास्थ्य का विचार करे। आज यह सवाल हमारे सामने है तो मैं समझती हूं कि हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा इस बात का ख्याल करेंगी। जब हम जनता के स्वास्थ्य की तरफ़ ख्याल करते हैं तो सब में पहली अड़चन जो हमारे सामने आती है वह वनस्पति की आती है। उस वनस्पति का क़िस्सा इतना हुआ है कि मैं तो उस का ज़िक्र करते डरती हूं। मैं समझती हूं कि वनस्पति अगर वेजीटेबल-प्राडक्ट के नाम से हो और उस की तारीफ और खूबियां उस के साथ हों तो हमें ऐतराज़ नहीं लेकिन जब यह वनस्पति घी के धोखे में आता है और हमारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं या

उस की तह में नहीं जाते हैं वह उस को घी की शक्ल में देख कर धोखे में आ जाते हैं और जिस का नतीजा यह हो रहा है कि उस वनस्पति घी को खा कर हमारे देश के नौजवान कमज़ोर पड़ रहे हैं। वनस्पति घी का सवाल इस हाउस में पहले आ चुका है और हमारी कांग्रेस कमेटी में भी आया है लेकिन हम को यह देखना है और समझना है कि वनस्पति घी जो है वह दरअसल में नेशन (राष्ट्र) के वास्ते स्लो प्वायज़निंग है और हमें अपने देश के नौजवानों के खातिर और मल्क़ की तंदरुस्ती के खातिर इसे जल्द से जल्द बन्द करना है। हमें देखना यह है कि वनस्पति बन्द करने में हमें किन किन अड़चनों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यही होगा न कि यह बड़े बड़े वनस्पति के कारखाने और मिलें बन्द हो जायेंगी और हमारे जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जिन्हों ने उन को चलाया है, उन को नुक़सान होगा, लेकिन मैं समझती हूं कि उन चन्द सरमायदारों के मुक़ाबले में नेशन के स्वास्थ्य की रक्षा करना कहीं ज़रूरी है और मैं समझती हूं कि जो जनता की सरकार होती है उसका धर्म यह नहीं है कि वह उन कारखानेदारों की रक्षा करे। इसलिये मुझे अपनी हैल्थ मिनिस्टर साहिबा से कहना है कि यह जो वनस्पति घी है इस को अपने देश से हमें बिल्कुल नेस्तोनाबूद करना है और मिटा देना है। यह सोचना कि नहीं ये कारखाने हमारे यहां है इन को हमें ज़िन्दा रखना है या ऐसा करने से बिज़नेसमेन (व्यापारी) खत्म हो जायेंगे इसलिये वनस्पति इंडस्ट्री को क़ायम रखा जाय और भले ही नेशन का स्वास्थ्य खत्म हो जाय। मैं समझती हूं कि यह तंग ख्याली है। आज इसका इस्तेमाल करने से हमारे देश के आदमियों की वाइटेल्टी रोज़ व रोज़ कम होती जा रही है, जो भी बीमारी भारत में आती है वह अपना घर ही बना कर रहती है। कारण क्या है? हम में शक्ति काफ़ी नहीं रही है, हमें खाना नहीं मिलता है। मैं तो उन लोगों में से हूं जो थाली में अगर खाना कम आता है तो भले ही कम आवे लेकिन जो भी हो वह शुद्ध घी का तैयार किया हुआ हो। और वह खाना वाइटैलिटी और विटैमिन युक्त हो ताकि हमारी नेशन की शक्ति बढ़े। लेकिन यह कहना कि हमारी थालियों में बारह कटोरियां हों भले ही सब ज़हर की हों, यह बिल्कुल ग़लत बात है। सरकार जब इस बात को समझती है कि हमें स्वास्थ्य का ख्याल करना है तो सख्ती के साथ इस क़ानून के ऊपर अमल होना चाहिये और इस क़ानन का अमल कराने के लिये हमें ईमानदार आदमियों को मुकर्रर करना चाहिये। जब इस सिलसिले में इंसपैक्टरों का ज़िक्र आता है तो हम ऐसा सोचने लगते हैं कि इस से हमारा काम चलने वाला नहीं है। इन का तो कोई चरित्र ही नहीं होता है, लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि सब के सब ऐसे नहीं होते हैं, उन में भी ईमानदार आदमी होते हैं और मैं चाहूंगी कि इस काम पर ऐसे सच्चे और ईमानदार आदमियों को तैनात किया जाय और सख्ती के साथ इस क़ानून का पालन किया जाये। मैं चाहूंगी कि अगर आप को इस दिशा में सख्ती करनी है तो पहिले बड़े कारखानों पर कीजिये, छोटों को पीछे लीजिये, दो तीन बड़े बड़े कारखाने बन्द कर दीजिये और तब आप देखियेगा कि सारी शक्ल ही बदल जायेगी लेकिन जब तक आप यह नहीं करेंगे छोटों को सज़ा दें और बड़ों को बनाये रखें, तब तक देश में उन्नति नहीं हो सकती है।

आखिर में मुझे यह कहना है कि अलावा इस क़ानून के, जिस पर कि गवर्नमेंट को सख्ती से अमल कराना है, इस मिलावट की बुराई के खिलाफ़ हम को अपने समाज में आवश्यक वातावरण पैदा करना है ताकि गवर्नमेंट लेविल पर यह टैकल की जाय। सामाजिक स्तर पर भी इस को हटाने की कोशिश की जाये और मुझे पूर्ण आशा है कि उस दशा में हमें अवश्य फीसलता प्राप्त होगी। इसलिये मैं अपनी

[श्रीमती उमा नेहरू]

मंत्रिणी महोदया को मुबारकबाद देती हूं और उन से प्रार्थना करती हूं कि वह सख्ती से बर्ताव करें और इस की कोशिश करें और बग़ैर कुछ सोचे हुए जो भी बड़े कारखाने हमारे इस नेक रास्ते में आयें हम उन को मिटा कर छोड़ें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव(गुड़गांव) : जनाब चेयरमैन साहब, मुझे बड़ी खुशी है कि ऐडल्टरेशन आफ फूड के रोक के मामले में जो वायदा आनरेबुल मिनिस्टर साहिबा ने किया था आज वह पूरा किया जा रहा है । आज इस हमारे सेशन में यह सब से पहला बिल है और अगर कोई मुझ से सच पूछे तो मैं यह अर्ज़ करूंगा कि यह इस सेशन का सब से अहम बिल है । इस से ज्यादा अहमियत का मामला शायद ही हाउस में आयेगा । आज स्पेशल मैरेज बिल का ज़िक्र हुआ । यहां और भी चीज़ों का ज़िक्र हुआ, लेकिन इसकी अपनी अहमियत और अपनी खूबी, अगर यह कामयाब हो जाय, तो इतनी है कि मैं समझता हूं कि यह नेशन बिल्डिंग की पहली चीज़ है जिससे हम को फ़ायदा पहुंचेगा । लेकिन जहां मेरा यह ख्याल है कि यह बिल बहुत ज़रूरी है, मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं इस बिल को देख कर उतना ही मायूस हूं । इस बिल के अन्दर वह चीज़ें नहीं हैं जिनसे कि मैं यह कह सकूं कि यह बिल दरअस्ल इतना फ़ायदा पहुंचायेगा जितना कि आनरेबुल मिनिस्टर साहिबा चाहती हैं कि हम को पहुंचाये । मैं उनके मोटिव्ज़ को डिस्प्यूट नहीं करता । मैं उनको जानता हूं कि वह खुद इस बात पर ज़ोर देना चाहती हैं कि यह बिल ही पास न हो, बल्कि ऐडल्टरेशन इस देश से उठ जाय । लेकिन इन्डिविजुअल को इस बिल के अन्दर हक देने में अगर हम कामयाब हो गये तब तो फ़ायदा होगा वरना यह बिल, जैसा कि मेरे चन्द दूसरे दोस्तों ने कहा, हमारी आर्की-इव्ज़ में ही धरा रहेगा और हमारी दिक्कतों को बरक़रार रखेगा ।

एक चीज़ है इस बिल में जिस पर मैं असूली तौर पर डिफ़र करता हूं । जब यह बिल सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया था उस वक्त मैं ने अर्ज़ किया था कि इस बिल के अन्दर बहुत बड़ी कमी है जिस को हमें दूर कर देना चाहिये । उस कमी का ज़िक्र मेरे दोस्त श्री लोकनाथ मिश्र ने किया और मैं ने उस के मुताल्लिक ऐमेन्डमेन्ट भी भेजा है और पहले भी अर्ज़ किया था । सारे पेनल कोड में सब से ज़रूरी दफ़ा वह है जो हरएक शख्स को अपने प्रोटेक्शन के वास्ते अख्त्यार देती है । सारे आप के क्रिमिनल लॉ में सारी आप की पुलिस और फ़ौज एक तरफ और हर इन्सान को जो आप ने हिफ़ाज़त खुद अख्त्यारी का हक़ दिया है वह एक तरफ़ है । तो मैं निहायत अदब से अर्ज़ करूंगा कि मैं शायते जो प्राविज़न्स पर्सनल हिफ़ाज़त के वास्ते हमारे पेनल कोड में हैं उन को ज्यादा वज़न दूंगा । आज लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी, स्टेट गवर्नमेन्ट और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट सब की सब अपना काम करती हैं और वह अपनी अपनी जगह हैं । मैं आज उन सब को कंडेम करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं ताहम मैं समझता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि यह बिल कामयाब हो, हर एक इन्डिविजुअल को जो अख्त्यार है कि अगर उस के साथ कोई शख्स अत्याचार करे, उस के जिस्म पर या उस की प्रापर्टी पर, तो उसको अख्त्यार है कि वह कोर्ट्स में जाकर अपना रिड्रेस सीक करे, इसलिये अगर आप चाहते हैं कि यह बिल कामयाब हो तो इस में प्राइवेट पर्सन को अख्त्यार दीजिये जिस में कि कोई प्राइवेट पर्सन अपने आपको बचा सके, अपने लिये रिड्रेस

सीक कर सके। इस बिल के अन्दर आप ऐसा अख्त्यार दीजिये कि जिसकी रू से वह महज़ गवर्नमेंन्ट को नहीं बल्कि एक प्राइवेट आदमी रोंग डूअर को प्रोसिक्यूट कर सके जो उस के जिस्म को, उस के ख़ानदान को, उसकी रेस को, उसकी नेशनैलिटी को बरबाद करने पर तुला हुआ है। आप अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का मुलाहिज़ा फरमायेंगे तो देखेंगे कि हर सेक्शन उस के अन्दर ऐसा है जिस से प्राइवेट आदमी को राइट दिया गया है, १९८ दफा से १९९ दफा में जितने जरायम दर्ज हैं उनमें दर्ज है कि जिस के अन्दर प्राइवेट आदमी को यह अख्त्यार नहीं है कि वह रिड्रेस हासिल कर सके। लेकिन आम तौर पर यह क़ायदा है कि हर एक आदमी को अख्त्यार है कि अगर वह किसी आदमी से नुक़सान उठाता है तो वह कोर्ट्स से रेमेडी सीक कर सके। यहां एक सवाल यह पूछा जायगा कि वेन्डर को नोटिस दफ़ा १२ बिल के अनुसार दे दिया कि उसके माल को पब्लिक एनालिसिस कर के टेस्ट किया जायेगा। लेकिन इस दफ़ा के रखने का मतलब क्या है क्योंकि यह दफ़ा लगी हुई है कि आप सब को यह हक़ देते हैं। मैं एक चीज़ ख़रीदता हूं और वेन्डर से कहता हूं कि उस के पास एक चीज़ ख़राब है, मैं उस की पब्लिक एनालिसिस करना चाहता हूं। अव्वल तो इस का साबित करना नामुमकिन है कि एक आदमी ने क्या नोटिस दिया वेन्डर कहता है कि नहीं दिया। आप के पास क्या सबूत है। अगर पुलिस कहे कि गवाह चाहिये तब क्या यह किया जाये कि एक विटनेस के रूबरू नोटिस दिया जाय और उसके दस्तखत कराये जायें। दस्तखत कर के अगर वह गवाह बन जाय तो भी मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आई विटनेस बनाकर भी कैसे काम चलेगा। उस वक्त इस के सबूत का सवाल पैदा होगा कि आया नोटिस उसके सामने दिया गया या नहीं। यह बात आप की तवज्जह के क़ाबिल है। या आइन्दा जो वेन्डर है वह हुज्जत करे कि मेरे सामन कुछ नहीं हुआ क्योंकि वेन्डर के दस्तखत आपने कराये नहीं हैं। इसलिये मैं अर्ज़ करूंगा कि मैं चाहता हूं कि दरअस्ल हर एक आदमी को यह हक़ हो कि वह प्रोसिक्यूट करा सके। यह जो चीज़ रखी गई है वह इस क़दर माकूल नहीं है कि जिस से हम अपने मक़सद को फूल प्रूफ़ कह सकें।

मैं निहायत अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि बिल कामयाब हो तो हर एक आदमी को यह हक़ हो, सिवा उस हक़ के कि जो लोकल गवर्नमेंट को हो, आप हर एक शख्स को हक़ दीजिये कि अगर वह किसी तरह पब्लिक ऐनालिस्ट रिपोर्ट नतीजा एनालिसिस ले सके और वहां से यह जवाब आये कि यह ऐडल्टरेटेड है तो वह कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर सज़ा दिला सके। यह कहा जा सकता है कि इसके अन्दर बड़ी ख़राबी होगी। इस के अन्दर बहुत से झूठे मुकदमे चलेंगे। सब से बड़ी ख़राबी इस के अन्दर यह होगी कि वेन्डर प्राईवेट पर्सन की मर्सी पर हो जायेंगे। लेकिन उस के लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कितने सेफ़गार्ड्स हैं, हर एक क़ानून में सेफ़-गार्ड्स रखे जाते हैं ताकि प्राइवेट आदमी अपने हक़ को ऐक्यूज न कर सके, और वह इस बिल में भी रखे जा सकते हैं। एक चीज़ इस में यह होनी चाहिये कि ऐसी सूरत में जब कि हम कोई चीज़ लेते हैं, जब तक हम यह साबित न करें कि वही चीज़ पब्लिक ऐनालिस्ट के पास भेजी गई, उस वक्त तक कोई शख्स इस मामले में सज़ा नहीं पायेगा। इस के वास्ते हमें रूल्स बनाने पड़ेंगे कि जिस शख्स से चीज़ ख़रीदी जाय उस से उसी वक्त उस चीज़ पर दस्तखत करा लिये जायें और उस के बाद जैसे आप फूड इन्स्पेक्टर को अख्त्यारात देते हैं उसी तरह प्राइवेट आदमी

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

को, जो चीज़ खरीदता है, वह अख्त्यारात देते ह उसी तरह प्राइवेट आदमी को, जो चीज़ खरीदता है, वह अख्त्यारात होंगे। इस तरह के रूल्स बनाने पड़ेंगे जिनकी रू से वह चीज़ प्राइवेट आदमी ऐनालिस्ट के पास भेज सके और अगर उस का जवाब यह आये....

राजकुमारी अमृतकौर : क्या मैं एक क्षण के लिये अन्तरयण कर सकती हूं ? जो संशोधन मैं ने प्रस्तुत किया है उस में यह बात आ जाती है क्योंकि मैं ने एक अग्रेतर परन्तुक जोड़ दिया है कि वही नियम जो खाद्य निरीक्षक पर लागू होते हैं खरीदार पर भी लागू होंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं बड़ा मश्कूर हूं आनरेबल मिनिस्टर साहिबा का जिन्हों ने मेरी तवज्जह अपने एमेन्डमेंन्ट की तरफ़ दिलाई। उस के पेश्तर मैं ने खुद एमेन्डमेन्ट भेजा है और उस में मैं ने यह लिखा है कि इस तरह के रूल्स बनाये जायें। इस तरह से कि खुद फूड इन्स्पेक्टर के पास वह शख्स जाय और वह दरख्वास्त दे फूड इन्स्पेक्टर को, इस से मैं मुतमैयन नहीं हूं क्योंकि इस में तो फूड इन्स्पेक्टर को सारा अख्त्यार है और मैं जानता हूं कि फूड इन्स्पेक्टर इतने ईमानदार नहीं होते हैं। जो इन्स्पेक्टर बेईमान हैं वह ईमानदारी से काम नहीं कर सकते हैं। उन्हों ने किस कदर ज्यादतियां की हैं अगर मैं आप को बतलाने लगूं तो तक़रीर लम्बी हो जायेगी। मैं चन्द मिसालें आप के सामने पेश कर सकता हूं कि जिन में बीस बीस हज़ार की प्रापर्टी और पचास पचास हज़ार की प्रापर्टी का उन्हों ने चालान किया और खद खराब चीज़ें मिला कर चालान करवाया। लोगों को तंग किया और रिश्वतें ऐंठी हैं।

इस वास्ते मैं ज्यादा यकीन फूड इंस्पेक्टर में और उस मशीनरी में जो आज मौजूद है नहीं करता हूं। इसलिये यह मशीनरी इम्प्रूव हो, बेहतर बने यह हम सब की ख्वाहिश है। अगर अच्छी मशीनरी हो तो आप प्राइवेट आदमियों को उस के साथ न रखें तो मैं ज्यादा परवाह नहीं करूंगा। मेरी शिकायत तो यह है कि आप के पास आज जो मशीनरी है वह न ईमानदार है, न काफी है और न एलर्ट है। उसी मशीनरी को अगर आप रखेंगे तो मुझे डर है कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं वह पूरी नहीं होगी। इस लिये मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो रूल आप बनायें वे फूल प्रूफ़ हों और मैं चाहता था कि इस बारे में हमें सिलेक्ट कमेटी कोई हल पेश करती। लेकिन अभी भी कुछ देर नहीं है। अगर आप चाहें तो ऐसे रूल्स बन सकते हैं कि अगर कोई चीज़ एनलेसिस के लिये जाय तो जिसकी चीज़ जाय उस को यह शिकायत न रहे कि उस के साथ इन्साफ़ नहीं हुआ। मैं यह चीज़ हाउस में बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि हाउस को इस बात पर इनसिस्ट करना चाहिये कि प्राइवेट पर्सन को इस के लिए ज़रूर प्रासीक्यूट करने की इजाज़त मिले। अगर आप यह इजाज़त रखेंगे तो आप इस बिल में एक ऐसा प्रावीज़न कर देंगे जो कि और बिलों में नहीं है और मुझे उम्मीद है कि अगर किसी प्राइवेट आदमी को तकलीफ़ होगी तो वह अपना रिड्रेस हासिल कर सकेगा।

दूसरी चीज़ जो मैं बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं वह गवर्नमेंट की मेंटैलिटी के बारे में है। जब तक गवर्नमेंट अपनी मेंटैलिटी को दुरुस्त नहीं करती तब तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं होगी। मेरे बुजुर्ग टंडन जी ने इस तरफ़ गवर्नमेंट की तवज्जह दिलाई। क्या मैं भी अदब से चन्द एक फ़िकरे उस में इज़ाफ़ा कर सकता हूं। वनस्पति के बारे में मैं ने कितनी बार हाउसमें अर्ज़ किया है। मेरे पास पिछली पार्लियामेंट के आधे से ज्यादा मेम्बरों के दस्तखत आज भी मौजूद हैं

जो चाहते थे कि जहां तक वनस्पति का सवाल है इस वनस्पति को या तो रंग दिया जाय और अगर नहीं रंगा जा सकता है तो इस को बन्द कर दिया जाय। नैशनल कांग्रेस ने भी यही डाइरेक्टिव भेजा था। हाउस को मालूम है कि आज भी मेरे नाम से हाउस में एक बिल मौजूद है जो चन्द रोज़ हुए हाउस के सामने आया था। मगर चूंकि एक मेम्बर साहब का इन्तक़ाल हो गया इसलिये हाउस में उस पर ग़ौर नहीं हो सका। मैं आज फिर कहता हूं कि इस वनस्पति को बन्द कीजिये। गवर्नमेंट की हर रिपोर्ट में दर्ज है कि ९० फीसदी घी में वनस्पति की मिलावट है। गवर्नमेंट ने अर्सा हुआ एक वनस्पति कमेटी मुक़र्रर की थी। बदकिस्मती से मैं भी उस का मेम्बर था। मैं उस का मेम्बर बनना नहीं चाहता था लेकिन मुझ से वायदा किया हमारे आनरेबुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आनरेबुल श्री मुन्शी ने, श्री थिरुमलराव ने कि वह इस वनस्पति को रंगवा देंगे। एक कमेटी बनाई गयी। उस कमेटी न यह फ़ैसला कर दिया कि देश के अन्दर कोई ऐसा रंग नहीं है जिस से कि यह रंगा जा सके हालांकि पहले एक मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि रतनजोत का ऐसा रंग है लेकिन दिक्कत यह है कि रतनजोत काश्मीर से आती है और इतनी मिक़दार में नहीं मिलेगी। उन की खिदमत में अर्ज़ किया गया कि यू० पी० में रतनजोत मिलती है और कम कीमत पर मिलती है और इतनी तादाद में मिलती है कि वनस्पति को रंगा जा सके। वहां उस वक्त हमारे देश के सब से बड़े साइंटिस्ट श्री एस० एस० भटनागर भी तशरीफ रखते थे। वह भी उस कमेटी के मेम्बर थे। उन्होंने वायदा किया कि मैं डेढ़ साल में एक ऐसा रंग निकाल दूंगा जैसा गवर्नमेंट चाहती है। लेकिन आज डेढ़ साल से भी ज्यादा हो गया लेकिन वह रंग नहीं निकला। मैं समझता हूं कि आज हिन्दुस्तान के साइंटिस्टों का दिवाला निकल चुका है और वे इस काबिल नहीं हैं कि ऐसा रंग निकाल सकें। मैं ज्यादा स्ट्रांग लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं ने अपने डिसेंटिंग नोट में भी यही अल्फाज़ इस्तेमाल किये हैं। मैं इस चीज़ को बहुत ज्यादा फील करता हूं कि जो हमारी कैटिल इंडस्ट्री है और जो हमारी काटेज इंडस्ट्री है उस को यह चीज़ तबाह कर रही है लेकिन गवर्नमेंट के कानों पर जूं नहीं रेंगती। जनाब वाला मुलाहिज़ा फ़रमायेंगे कि अभी हमारे एक बुजुर्ग ने ज़िक्र किया सतीशचन्द्र दास गुप्त के रंग का। उन्होंने वह रंग इस कमेटी के पास भेजा। उस के वास्ते यह कहा गया कि यह रंग तो काला है देखने में अच्छा नहीं है। इस देश के अन्दर तो बहुत सारे आदमी काले हैं। हमारे बुजुर्ग श्रीकृष्ण महाराज को कृष्ण ही कहते हैं। उस रंग में कोई खराबी नहीं थी। लेकिन गवर्नमेंट को मंजूर नहीं कि इस को रंगा जाय और उस की मैं बहुत सी वजूहात नहीं देता हूं। इस के अलावा दो और रंग थे। पंजाब गवर्नमेंट ने इस के खिलाफ़ २५ साल से जहाद जारी रखा हुआ है। पंजाब गवर्नमेन्ट ने एक रंग भेजा और बम्बई गवर्नमेन्ट ने एक रंग भेजा लेकिन दोनों के लिए उस कमेटी ने कह दिया कि हम को मंजूर नहीं है। यह वह रंग है जिस को इंगलैंड की नेशनल काउंसिल न पास किया था कि उसके खाने से कोई खराब असर नहीं होता है। अमरीका ने भी इस को पास किया था कि इसके खाने से कोई खराब असर नहीं होता। वह रंग हिन्दुस्तान में मिठाइयों में डाला जाता है। लेकिन वनस्पति कमेटी में हमारे साइंटिस्ट इतने मुलायम दिल बन गये कि कहने लगे कि यह तो कैंसर प्रोड्यूसिंग है। मैं साईंटिस्ट नहीं हूं इसलिय मैं नहीं कह सकता कि उनकी बात कहां तक दुरुस्त है। मैं नहीं समझता कि यह ख्याल उनका कैसे हो गया। यह रंग अभी मिलाया नहीं गया और उन्होंने कह दिया कि यह कैंसर प्रोड्यूसिंग है। मेरा एक्सपर्टों से बहुत साबिक़ा पड़ा है।

ठाकुर दास भार्गव]

मैं उन के खिलाफ़ कोई मोटिव एट्रीब्यूट नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं जानता हूं कि महज़ उन की राय पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कनविक्शन बेस नहीं करती हैं । अगर यह रंग कैंसर प्रोड्यसिंग है तो उन को और रंग ढूंढना चाहिये था । मेरा सजेशन था कि यह जो सतीशचन्द्र दास गुप्त का रंग है और रतनजोत या किसी दूसरे रंग से मिला कर इन दोनों से बनस्पति को रंग दिया जाय । अगर एक गरम करने से उड़ जायेगा तो सतीशचन्द्र दास का रंग तो बाकी रह जायगा । यह चीज़ मैं ने अपने मिनिट आफ़ डिसेंट में रखी है । इसकी कापी एक सोसायटी ने तमाम मेम्बरान पार्लियामेंन्ट के पास भेजी है और अगर वह नहीं पहुंची है तो मैं भेज दूंगा । मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि हमको मालूम है कि एक चीज़ के अन्दर मिलावट है । गवर्नमेंट की रिपोर्ट में यह चीज़ मौजूद है । गवर्नमेंट का एक एक शख्स जानता है, मिनिस्टर जानते हैं और फूड मिनिस्टर जानते हैं । मुझ से वायदा किया गया है कि रंगवा देंगे । तो अगर उसे रंगवा नहीं सकते तो इस का लाजीकल कांसीक्वंस यह है कि आप इस को बन्द कर दें । मैं ने इस हाउस में छः लाख आदमियों के दस्तखतों की अर्ज़ियां पेश कीं जिन से आपके कमरे भरे हुए हैं । उन आदमियों की यह ख्वाहिश थी कि वह वनस्पति नहीं चाहते । मैं ने दिल्ली के सौ डाक्टरों से लिखवा कर भेजा कि इससे नुक़सान होता है । लेकिन हमारे साईंटिस्ट कहते हैं कि जो और आइल्स हैं और जो हाइड्रोजिनेटेड और रिफ़ाइन्ड आइल हैं इन तीनों में कोई फ़र्क नहीं है । मैं मानने को तैयार हूं । उनमें फ़र्क़ नहीं होगा । वह यह भी कहते हैं कि घी के मुक़ाबले यह चीज़ ख़राब है । हमारे मिनिस्टर साहिबान अपने घर में खाते हैं प्योर घी । मिस्टर सिन्हा आज यहां इस वक्त मौजूद नहीं हैं । और किसी मिनिस्टर से पूछिये तो मालूम होगा कि वह अपने यहां प्योर घी खाते हैं और मुझ से कहते हैं प्योर घी हिसार से मंगा दो । और जब लोगों का सवाल आता है तो साईंटिस्ट कहते हैं कि इस के खाने से नुक़सान नहीं है । यह दुरुस्त नहीं है । मैं पूछता हूं कि क्या आप हिन्दुस्तान की मिलिटरी ताक़त को कमजोर करना चाहते हैं । हमारे ज़िले हिसार और रोहतक के ज़बरदस्त सिपाही हैं जिन्होंने दुनिया के मैदानों में नाम पैदा किया है और फ्लैंडर्स और टर्की में अपने मुल्क के लिये बड़े बड़े कारनामे पैदा किये हैं । वह फ़ौजी मेरे पास आ कर कहते हैं कि क्या हम को डालडा खिलाकर तपेदिक करना चाहते हैं । जिस वक्त मैं ने अपना बिल पेश किया था उस वक्त सरदार बलदेव सिंह यहां मिनिस्टर थे । उन्हों ने कहा कि हम कॉस्ट की परवाह नहीं करते । हम अपने सिपाहियों को प्योर घी खिलाना चाहते हैं ताकि उन की शक्ति कायम रहे । लेकिन उन्हों ने फ़रमाया कि हम दाम तो देते हैं घी के और मिलता है हमें डालडा क्योंकि यहां इस क़दर मिलावट है और वह मिलावट रुक नहीं सकती है । इस के लिये गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हम अशक्त हैं । हम उस को नहीं रोक सकते । आज यहां एक एक्सपर्ट की राय आती है कि डालडा अच्छा है । दूसरे की आती है कि अच्छा नहीं है । मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को मालूम है कि एडल्टरेशन है और गवर्नमेंट उस को बन्द नहीं करती । अगर वह खुद कुछ नहीं कर सकती तो वह वनस्पति की फ़ैक्टरियों को यह हुक्म दे सकती है कि या तो तुम वनस्पति का बनाना बन्द करो या ६ महीने में ऐसा रंग मिला दो जो पक्का हो और हर तरहसे ठीक हो । अगर आप यह ज़िम्मेदारी मुझपर और अपने साईंटिस्ट्स पर न डाल कर उन लोगों पर जो वनस्पति बनाते हैं डाल दें तो समझता हूं कि यह सवाल बड़ी आसानी से हल हो सकता है । निश्चय है कि ऐसा रंग निकल आवेगा ।

नामुमकिन है कि रंग न मिले। रंग फ़ौरन मिल जायगा अगर आप यह ज़िम्मेदारी उन के ऊपर डाल दें। यह मेरा कहना नहीं है, मैं तो अदना सा आदमी हूं। यह अल्फाज़ मैं श्री विनोबा भावे के कोट कर रहा हूं। श्री विनोबा भावे ने ऐसा फ़रमाया कि अगर गवर्नमेंट ऐसा करे तो चन्द महीनों के भीतर ही ऐसा रंग मिल जायगा जो गवर्नमेंट चाहती है। मैं आज खुद अपनी तरफ़ से कुछ भी अर्ज़ नहीं करना चाहता हूं। मैं इस बहस के वास्ते तैयार हो कर नहीं आया था, इसलिये मैं ने चन्द बातें आप के सामने अर्ज़ कर दीं। क्या मैं आप को महात्मा गांधी का डिक्टम सुना सकता हूं ? "वनस्पति न वनस्पति है और न घी है, यह जाल है, यह देश के दुश्मनों की कार्यवाही है"। यह उन के अल्फाज़ थे। मैं और किसी को क्यों स्वयं अपने उस सदन के एग्रीकलचर मिनिस्टर श्री जयरामदास दौलतराम को कोट करूं, डाक्टर पट्टाभी सीतारमैया को कोट करूं, टंडन जी को कोट करूं देश के किस लीडर को कोट करूं या डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद को ही कोट करूं जिन्हों ने साफ़ अल्फ़ाज़ में कहा है कि इस वनस्पति से इस देश के जानवरों की तरक्की रुकती है, एग्रीकलचरिस्ट्स का नुक़सान है और यह चार सौ बीस इनकारनेट है। यह मेरे अल्फाज़ नहीं हैं, यह उन्होंने फ़रमाया था, इस से ज्यादा और ज़ोरदार अल्फाज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकता....

आचार्य कृपालानी (भागलपुर व पूर्निया): राष्ट्रपति न प्रधान मंत्री से परामर्श नहीं किया था।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : किस से ?

सभापति महोदय : क्या इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना कर सकता हूं। हम इस विधेयक म विशेष रूप से वनस्पति पर ध्यान देते जा रहे हैं। और वह इस विधेयक से एक सगत विषय भी है, परन्तु इस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। कई माननीय सदस्यों को बोलना है, यदि माननीय सदस्य किन्हीं अन्य विषयों पर बोलना चाहें तो वह अपना भाषण को जारी रखें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं जनाब का शुक्रगुज़ार हूं कि मेरी तवज्जह इस ओर दिलाई, मेरा इरादा इस पर इतना ज़ोर देने का नहीं था, चूंकि मेम्बर साहबान ने इतना इस पर ज़ोर दिया और चूंकि चन्द बातें सामने नहीं आई थीं इसलिये चन्द वाक़यात म ने बयान कर देना मुनासिब और ज़रूरी समझा। मैं अब आप को दूसरी तरफ़ ले जाना चाहता हूं। हमारे देश में जो अव्वल दर्जे की चीज़ है, घी से भी जो उत्तम चीज़ है, वह दूध है। मैं जनाब की इजाज़त से उस के बारे में थोड़ा सा अर्ज़ कर देना चाहता हूं। जो यहां की एग्रीकलचर फ़ार्म लेबोरेटरी का दूध है और जिस को कहते है कि यहां से ८५ मील की दूरी से करनाल से मंगाते हैं उस के बारे में क्या कोई अपनी छाती पर हाथ रख कर कह सकता है कि वह भैंस का दूध नहीं है। भैंस एग्रीकलचरल लेबोरेटरी पूसा में नहीं हैं, तो यह भैंस का दूध कहां से आता है, इस के अन्दर क्या चीज़ है ? भैंस के दूध के साथ गाय का दूध मिलाना गंगा जमनी उस को बनाना मुनासिब नहीं है। एक आदमी चाहता है कि वह गाय का ही दूध पीये जो कि बहुत लाभदायक होता है लेकिन वह भैंस का दूध पीने को पाता है तो उस आदमी की भैंस का दूध पीने से भैंसे जैसी मोटी अक्ल हो जायेगी। खाने पीने की कोई चीज़ आज के दिन हमें शुद्ध नहीं मिल पाती है, सब में मिलावट हो रही है। गवर्नमेंट इस ईविल को शायद पूरी तरह से रिएलाइज़ नहीं करती है। आज हल्दी में, मिर्च में, खाने में, हर एक चीज़ के अन्दर मिलावट है, कुनैन म चॉक मिली रहती है, भला बतलाइये चॉक कौन से मलेरिया की दवा है ? किसी भी चीज़ को लीजिये उस में आप को मिलावट

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मिलेगी और ऐसी हालत के रहते मैं नहीं समझता कि कैसे लोग तंदुरुस्त बनेंगे और कैसे लोग देश के अन्दर ईमानदार बनेंगे। आज मारेल डेलीक्वैन्सी एड इनफिनिटम है। यह बीमारी हमारे बाइटल्स को घुन की तरह खा रही है और हमारा इस तरह इस पर तवज्जह देना आईवाश है और इस से कोई चीज़ निकलने वाली नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस ओर विशेष ध्यान दें और इस बिल को भी वही वक़अत दें जो आप और किसी महत्वपूर्ण बिल को देते हैं.....

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम) : मिलावट होना तो अनिवार्य है पर वनस्पति हानिकारक नहीं है। उस पर रोक लगाने से क्या घी में अन्य हानिकारक वस्तुओं की मिलावट किये जाने की संभावना नहीं है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं चाहता था कि मैं वनस्पति का ज़िक्र छोड़ दूं लेकिन मेरे लायक़ दोस्त ने फिर वनस्पति का झगड़ा छेड़ दिया और मैं इस वास्ते आप की इजाज़त से उन की बात का जवाब दे देना चाहता हूं। मेरे लायक़ दोस्त का कहना यह है कि जब आप मानते ह कि एडल्ट्रेशन होगा, तो यह वनस्पति जो उन के ख्याल में कोई ज्यादा तक़लीफ़-देह चाज़ नहीं है इस का एडल्ट्रेशन बजाय किसी दूसरी और नुक़सानदेह चीज़ के एडल्ट्रेशन के बेहतर है इसलिये एडल्ट्रेशन होने दें। इस के मानी यह हुए जसा कि म ने कहा था और टंडन जी ने भी फिर उस पर जोर दिया था कि उन की नीयत साफ़ नहीं है क्योंकि एक तरफ तो आप एडल्ट्रेशन को रोकने के वास्ते क़ानन लाते हैं और फिर आप का यह कहना कि इस चीज़ का एडल्ट्रेशन चले, यह मेरी समझ में मुनासिब नहीं है और मुझे आप बतलाइये कि कैसे आप उस असली चीज़ पर पहुंचेंगे जिस पर आप इस बिल के द्वारा पहुंचना चाहते हैं ? शायद मेरे दोस्त को नहीं मालूम है कि इस घी के अन्दर इसी चीज़ का एडल्ट्रेशन नहीं होता है। इस वनस्पति के अन्दर मोटर आयल व्हाइट आयल वग़ैरह कितनी चीज़ें मिलायी जाती हैं, वह अच्छी चीज़ें नहीं हैं। मुझे कोई भी ऐसी चीज़ बतलाइये जिस के अन्दर मिलावट कोई कैमिकल प्रापर्टी पैदा न करती हो। गुरुमखसिंह ने संखिया की मिसाल दी कि संखिया के खाने के बाद भी आदमी नहीं मरा क्योंकि संखिया भी एडल्ट्रेटेड है। आखिर मिलावट में इतना गुण तो है ही कि ज़हर के ज़हर को कम कर देता है। लेकिन किसी चीज़ के मिलाने से एडल्ट्रेशन को हम कडोन करें, यह कुछ ठीक नहीं जान पड़ता है। आज देश में ९० फीसदी मिलावट होती है। आज वनस्पति की क़ीमत मूंगफली के तेल से क़रीब क़रीब दुगनी होती है, वनस्पति में मूंगफली के तेल और हाइड्रोजिनेशन से कुछ लाभ नहीं होता लेकिन वनस्पति की क़ीमत मूंगफली के तेल के मुक़ाबले डबल थी और आज भी शायद डेढ़ गुनी है। आप क्यों ऐसी चीज़ बना कर ग़रीब लोगों को इस के खाने के लिये मजबूर करते हैं कि वह इतनी गुनहगार न हो और असली तेल का इस्तेमाल न कर के आप के वनस्पति का इस्तेमाल करे और उस की दुगनी क़ीमत वह ग़रीब दे ? इसलिये मैं अर्ज़ करूंगा कि यह वनस्पति के फेवर में एकोनॉमी का जो आर्गुमेंट दिया जाता है उस के लिहाज़ से भी वनस्पति का यूज़ किसी तरह से जस्टी-फ़ाईएबल नहीं है। बारह करोड़ रूपया इस देश का इस वनस्पति इंडस्ट्री के ऊपर जाया होता है और जिस से एक आयोटा और एक ग्राम भी देश की फ़िट कंटेंट तरक्की नहीं होती है, इस को बरक़रार रखना कहां तक जायज़ है ?

मैं चन्द एक बातें अर्ज़ करना चाहता हूं। मैं ने बहुत सारे अमेंडमेंट्स दिये हुए हैं लेकिन मैं इस समय उन पर बोलना नहीं चाह

लेकिन जनरली में यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस के अन्दर दो, तीन बातें निहायत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो यह है कि फूड इंसपेक्टस किस प्रकार के हों, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस हों किस तरह से उन को बांधा जाय कि वह जो उन को क़ानून द्वारा आर्बिटरेरी पावर्स मिल रही हैं लाखों रुपये की जायदाद को डिस्ट्रा करने का हम ने इस क़ानून में प्राविज़न रखा है, इसलिये यह ऐहतियात रखना बड़ा ज़रूरी है। यह पावर कि मजिस्ट्रेट उतने गवाह ले कर जितने वह ज़रूरी समझे उस को डिस्ट्राय कर दे, मेरे ख्याल में यह बहुत आर्बिटरेरी है। कलकत्ते के अन्दर उस का तजुर्बा हुआ। कलकत्ते के अन्दर कितने ही मजिस्ट्रेटों ने लाखों रुपये के तेल को यह कह कर कि इस में मिलावट है कंडेम किया और उन को हुक्म दिया कि उस को जाया कर दिया जाय, हालांकि वह तेल दूसरे इस्तेमाल में आ सकते थे। मेरा कहना यह है कि जिस आदमी के बरखिलाफ आप इस तरह की पावर्स किसी मजिस्ट्रेट को दें तो यह ज़रूरी है कि उस आदमी को भी इस का पूरा अख्तियार दिया जाय कि वह साबित कर सके कि इस के अन्दर कोई खराबी नहीं है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है कि मैं और तफ़सील में जाऊं। मैं तो यह भी जानता हूं कि आप की यह जो लेबोरेटरीज़ हैं और जहां कि टेस्ट किया जाता है कि फलां चीज़ में मिलावट है या नहीं और जिस की रिपोर्ट क़ानूनी हैसियत से कनक्लूसिव मानी जाती है, वहां मैं जानता हूं कि किस तरह से उन लेबोरेटरीज़ में सब्स्टीट्यूशन होता है जो चीज़ टेस्ट करने को भेजी जाती है उस की जगह पर दूसरी चीज़ रख दी जाती है, आखिर उन लेबोरेटरीज़ में भी तो हम ही लोग मौजूद हैं, वहां भी इस तरह से गड़बड़ होती है। आप इस तरह का प्रीज़म्पशन बना दें, ह्यूमन अफ़ेयर्स में फ़ाइनैलिटी नहीं होती, इतना प्रीज़म्पशन तो बना दें लेकिन इतना ग़लत प्रीज़म्पशन न बनायें कि हर एक आदमी इतना बंध जाये कि वह यह भी साबित न कर सके कि यह नतीज़ा दुरुस्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पुलिस अफ़सरों के खिलाफ़ सेफ़गार्ड्स दिये हुए हैं उस तरह के सेफ़गार्ड यहां भी प्रोवाइड किये जायं और उन सेफ़गार्ड्स पर फूड इन्स्पेक्टर्स को पाबन्द होना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि आनरेबुल मिनिस्टर साहिबा ने इस चीज़ को अपने अमेंडमेंट में शामिल किया है।

लेकिन इस के अन्दर भी मुझे थोड़ा सा ऐतराज़ है कि इन्स्पैक्शन के मुताल्लिक़ कोई प्राविज़न क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नहीं है। आनरेबुल मिनिस्टर साहिबा का जो एमेंन्डमेन्ट है वह इन्स्पैक्शन को रेफ़र करता है, वह सीज़र को रेफ़र नहीं करता है। यह डिटेल का सवाल है। मैं खुश हूं कि आनरेबुल मिनिस्टर साहिबा ने इस उसूल को मान लिया है कि जहां तक इन इन्स्पेक्टरों को ताक़त देने का सवाल है वहां वह भी उन सेफ़गार्ड्स से बाउन्ड रहेंगे जो कि सेफ़गार्ड्स आम तौर पर हम पुलिस अफ़सरों के बरखिलाफ़ रखते हैं।

मैं इस से ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। अब सिर्फ़ दस मिनट ही रह गये हैं और शायद कोई दूसरे मेम्बर बोलना चाहें।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता–दक्षिण पूर्व) यहां पर बताया जा रहा है कि अपमिश्रण का कार्य तो मनु के समय से चला आ रहा है परन्तु मैं इतिहास को टटोलना नहीं चाहता हूं। आज से बीस अथवा पच्चीस वर्ष पूर्व भी लोग केवल इतना जानते थे कि घी और दूध केवल गाय और भैंस ही दे सकती हैं, परन्तु अब तो देश के गांव गांव में अपमिश्रण की बीमारी घर कर गई है, कहीं ज्यादा और कहीं कम। हम कहीं भी यह विश्वास नहीं कर सकते कि जो शुद्ध भोजन हमें मिलना चाहिये, वह हमें मिल रहा है। सारे देश में साधारणतया अंधः

[श्री साधन गुप्त]

बड़े नगरों में विशेषतया अपमिश्रण का कार्य बहुत बढ़ चुका है । मुझे ज्ञात है कि आज कलकत्ते में जानवरों की खालों के काटे हुए बहुत बारीक टुकड़े चाय के स्थान पर बेचे जाते हैं । मैं एक और स्त्री को भी जानता हू जो दूध का व्यवसाय करती है परन्तु न तो उस के पास गाय भैंस ही हैं, और न ही वह कभी बाहर से दूध ही लाती है । इसी प्रकार, मेरे एक मित्र के पास, जो वकील हैं, उनके मुवक्किल के पास से एक पत्र आया जिस में यह लिखा था कि मेरे मित्र के मुवक्किल को २०० मन इमली के बीज, जिस में से १०० मन का आटा बनवाना था, और ५० मन की दाल बनवानी थी, दिये गये थे, परन्तु उन में भी अपमिश्रण कर दिया गया था । इसी प्रकार का अपमिश्रण हमारे गांव गांव में आजकल हो रहा है । कई बार तो खाद्य-पदार्थों में इस प्रकार की वस्तुओं का अपमिश्रण कर दिया जाता है, जो केवल स्वास्थ्य के लिये ही हानि-कारक नहीं होती हैं बल्कि विषैली भी होती हैं।

वास्तव में अपमिश्रण अधिकाधिक बढ़ता ही जा रहा है। आज जब हम भोजन करते हैं तो वह अपमिश्रित भोजन नहीं होता है वरन् वह तो समस्त अपमिश्रण ही होता ह । इसी प्रकार घी की बात है कि यह शत प्रतिशत अपमिश्रण ही होता है । उस में १५ प्रतिशत भी तो घी नहीं होता है । इस आधार पर, मैं भी श्री गुरुपादस्वामी के इन विचारों से, कि सस्ती होने के कारण अपमिश्रित वस्तुओं का विक्रय होता है, सहमत नहीं हूं । लोग जब अपमिश्रित वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो उन के हृदय में यह विश्वास रहता है कि वह शुद्ध वस्तु प्राप्त कर रहे हैं परन्तु इस प्रकार उन से विश्वासघात किया जाता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है, कि यह विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण है । यह कथन ठीक है, परन्तु मुझे इस के सफल होने के सम्बन्ध में आशंका है । हमें ज्ञात है कि खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण में बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है । वनस्पति में रंग देने के सम्बन्ध में हम ने उन की अनिच्छा को देखा था । वह लोग वनस्पति में रंग दिये जाने के इसी लिये विरुद्ध थे क्योंकि रंग दिये जाने के पश्चात वह अपमिश्रण के लिये प्रयुक्त नहीं किया जा सकता था । यही भय, इस विधेयक के सम्बन्ध में मुझे है । हमें भय है कि कहीं बड़े बड़े निहित स्वार्थों द्वारा किया गया विरोध इस विधेयक के उपबन्धों को निष्फल न बना दे ।

हम को ज्ञात ही है कि पिछले निर्वाचनों के समय कुछ प्रान्तों में चीनी के व्यापारियों के साथ एक समझौता किया गया था—और दलों को उन्हों ने निर्वाचन निधि में बहुत बड़ी धन राशियां एक विशेष चन्दे के रूप में दी थीं ।

सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य-अपना भाषण कल जारी रखें ।

इस के पश्चात् लोक-सभा, मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPD—HS—275 LSD—4-1-55—285